खण्ड-229, अंक-6
मंगलवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1884
(24 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ..	४३१–४३५
प्रश्नोत्तर	..	४३५–४४५
पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थित किये गये)	..	४४५
बिजली फेल हो जाने के कारण सदन का स्थगन ..	..	४४६
लखनऊ नगर में जल कष्ट से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना		४४६
नियम १०६ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय में जानकारी ..		४४६
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता (जारी) ..		४४७–५०२
नत्थी		५०३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलार, २४ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर श्री, (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उमनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद, द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री

जे० पी० मिश्र, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बंचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूरसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
नतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरासिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नासिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मेघनाथसिंह शिशौदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिज़वी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री

शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उप मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गंजडुडवारा नगरपालिका को बिजली देने की मांग

१—श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गंजडुडवारा नगरपालिका, जिला एटा की ओर से नगर के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रतिनिधि मंडल उससे हाल में आकर मिला और अपनी मांग पेश की? यदि हां, तो क्या, तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

नियोजन उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां। उन्होंने नगर के विद्युतीकरण की मांग पेश की। इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह जांच कितने दिनों में पूरी हो जायगी?

श्री अध्यक्ष—इसका तो यही जवाब है कि शीघ्र ही पूरी हो जायगी।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिनिधि मंडल का पत्र उनको मिला था उसमें क्या-क्या मुख्य बातें थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिजली लगाने की बात उन्होंने कही थी और हम जांच करा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के अन्दर वहां बिजली लग जायगी।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, मैंने मुख्य-मुख्य बातों के बारे में पूछा था, बिजली लगाने के बारे में नहीं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—एक ही बात उसमें थी कि वहां बिजली लगा दी जाय। उसकी जांच हो रही है और जैसा कि मैंने कहा, मेरा विश्वास है कि इस वर्ष के अन्दर वहां बिजली लग जायगी।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी वहां भी इसी प्रकार से बिजली लगवाना चाहते हैं जैसे कि यहां लगी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो आपका प्रताप है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार ने स्वयं कोई ऐसी योजना बनायी है जिसके अनुसार विभिन्न स्थानों का विद्युतीकरण करने की योजना हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी योजना हमारे पास है। असल में हम यह करते हैं कि उसका सर्वे कराते हैं। जहां हमें ज्यादा लम्बी लाइन नहीं खींचनी पड़ती है वहां हम बिजली देते हैं। इसी तरह देहात में भी १,५०० गांवों में बिजली देने का विचार इस पंचवर्षीय योजना में हमारा है।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकार ने सर्वे कराया है तो पूरे प्रदेश की सम्पूर्ण नगरपालिकाओं का कितने वर्षों में विद्युतीकरण हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो जितना-जितना धन यह सभा देती जायगी उतना काम हम करते जायंगे। देहात में बिजली देने के लिये करीब ९ करोड़ रुपया हमारे पास है और नगरपालिकाओं में भी जैसे-जैसे हमारी एकोनामी ठीक होती जायगी हम बिजली लगाते जायंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिन कस्बों में बिजली देने की योजना बनाई थी, उनमें क्या गंजडुडवारा शामिल था ? यदि हां, तो वहां बिजली क्यों नहीं दी गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में वहां बिजली लगवा देंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९४८ से पूर्व कोई लिखा पढ़ी की गई थी ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—१९४८ की सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन डी० एम० ने भी यह लिखा और बोर्ड ने भी यह समझा कि इसकी जांच करायें और अब हम इस प्रयत्न में हैं कि एक वर्ष में बिजली लगा देंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी उन १,५०० गांवों की लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अभी लिस्ट पूरी नहीं बनी है। ४००/४२५ गांवों की लिस्ट बन गई है। अगर माननीय सदस्य उसको देखना चाहें तो मेरे दफ्तर में देख लें।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गांवों के विद्युतीकरण करने की, जो योजना है, उसका उसूल क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—गांवों में बिजली देने के कई सिद्धान्त हैं। साधारण सिद्धान्त यह है कि जहां से बिजली की लाइन गई हो उसके पास वह गांव होना चाहिये और जितनी बिजली दें उतना रुपया हमें मिल जाय और हमें ज्यादा घाटा न हो वहां बिजली देने का प्रयास करते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका के साथ-साथ वे नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया कमेटी में भी बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, मैं तो गांवों की बात कह रहा हूं, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया कमेटी तो बहुत बड़ी चीज है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिजली किन सिद्धान्तों पर दी जाती है और सरकार ने क्या यह व्यापार किया है या सेवा के लिये बिजली देती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—शुरू-शुरू में बिजली देने के हमारे ३ सिद्धान्त हैं। सब से पहले तो हम देखते हैं कि वहां कितना खर्चा होगा, कितना लोड हो सकेगा और जितना लोड है वह खर्चा पूरा हो सकेगा या नहीं। वे तीन बातें हैं जिसके अनुसार हम बिजली लगाया करते हैं।

कुंवर श्रीपाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है, कि थोड़ा घाटा वे बरदाश्त कर सकते हैं, तो कितने फीसदी घाटा वे बरदाश्त कर सकते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—घाटा बरबाश्त करने की बात मैंने नहीं कही। शुरू में घाटा हो सकता है लेकिन अगर हमको यह यकीन हो कि थोड़े दिनों में मुनाफा होने लगेगा तो बिजली दे देंगे लेकिन अगर यह यकीन हो कि घाटा ही घाटा होगा तो नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रतिनिधिमंडल से पहले १९६० में उनके पास म्यूनिसिपैलिटी द्वारा पत्रक आया था और उस पर आश्वासन दिया गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बिजली निश्चय ही लग जायगी, इसी प्रकार का आश्वासन इस वर्ष भी तो नहीं दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—आप उसे जो समझें। मैंने जैसा कहा हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं। बिजली लगाने का काम बहुत आसान नहीं है। बहुत सा सामान नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हुए भी बिजली नहीं लगा सकते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके प्रतिनिधिमंडल के मिलने पर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिखने पर और हमारे यहां शम्सुल इस्लाम साहब हैं उनकी भी कई चिट्ठियां आयीं, और हम निश्चय कर चुके हैं कि हम वहां जल्द से जल्द बिजली लगवा देंगे।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

रसनही नाले की खुदाई का अपूर्ण कार्य

*२—श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री ६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के क्रम के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि भूमि कब तक हस्तगत हो जायेगी एवं किन-किन स्थानों पर पुल एवं पुलिया बनाने की योजना है ?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—भूमि हस्तगत हो चुकी है। निम्नलिखित स्थानों पर पुल बनाने की योजना है :—

(१) मील २३ फर्लांग १ पर।

(२) मील ३० फर्लांग १ फीट ३३० पर।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि हस्तगत कब की गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सितम्बर, १९६१ में।

श्री रामसुन्दर—श्रीमन् ६-३-६२ को एक सवाल का जवाब मिला था कि भूमि हस्तगत नहीं की गयी है और आज जवाब दिया जाता है कि भूमि हस्तगत की गयी है, तो क्या यह सही है कि ६-३-६२ को जो उत्तर दिया गया था वह गलत था और भूमि हस्तगत की जा चुकी थी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, प्रश्न यह था कि काम क्यों नहीं समाप्त हुआ है, तो उसका उत्तर यह है कि भूमि एक्वायर करने में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण काम समाप्त नहीं हो सका है।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन स्थानों पर पुल बने हैं और उनकी लागत क्या-क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि मील नं० २३ और ३० पर पुल बनने हैं और इनकी लागत क्रमशः ११ हजार और ९ हजार रुपये होगी।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन स्थानों पर वे पुल बनेंगे ? मैं स्थानों का नाम पूछना चाहता हूं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—किसी स्थान विशेष के बजाय जहां नाले हैं, किसी मील विशेष को बतलाना ही उसके लिये पर्याप्त है। २३ मील और ३० मील पर, इस प्रकार से समझा जाय।

*३—श्री रामसुन्दर—[८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

कलेक्टरी व सेशन अदालतों को निकट रखने का सुझाव

*४—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास हाल ही में वकीलों और जनता की तरफ से ऐसे सुझाव आये हैं कि जिन जिलों में कलेक्टरी और सेशन की अदालतों में काफी फासला है उन जिलों में दोनों को एक ही जगह पर कर दिया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—'जी नहीं।'

*५—श्री कमलासिंह यादव—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

रोडवेज वर्कशाप, गोरखपुर के डेली-वेजेज कर्मचारी तथा क्लीनर रामगरीब की मृत्यु पर मुआवजा

*६—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि गत नवम्बर सन् १९६१ में राजकीय रोडवेज वर्कशाप, गोरखपुर में श्री रामगरीब, क्लीनर की मृत्यु काम करते समय हुई थी? यदि हां, तो उसे सरकार की तरफ से कितना रुपया मुआवजा दिया गया?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—श्री रामगरीब, क्लीनर काम करते समय घायल हो गया था और उसी दिन सदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

मुआवजे के लिये कार्यवाही हो रही है।

*७—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज वर्कशाप (क्षेत्रीय वर्कशाप) गोरखपुर में कितने कर्मचारी डेली वेज पर काम करते हैं तथा उनकी कौन-कौन सी श्रेणियां हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०३ पर)

*८—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय रोडवेज कर्मशाला, गोरखपुर में दिनांक ९ फरवरी, १९६२ को कितने डेली वेजेज मजदूर काम पर हाजिर थे, उन कर्मचारियों को पूरे दिन का वेतन क्यों नहीं दिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—९ फरवरी, १९६२ को ४० डेलीवेजेज कर्मचारी काम पर हाजिर थे। उनमें से ७ कर्मचारियों को पूरे दिन का और ३३ कर्मचारियों को आधे दिन का वेतन दिया गया क्यों कि ३३ कर्मचारी केवल आधे दिन तक काम पर हाजिर रहे।

शाहदरा–शामली–सहारनपुर सड़क पर बस सर्विस बढ़ाने की प्रार्थना

*९—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को पता है कि शाहदरा से शामली होते हुये सहारनपुर जाने वाली रोड पर रोडवेज की बसें आवश्यकता से बहुत कम हैं। क्या सरकार इस रोड पर और अधिक बसें चलाने पर विचार कर रही है?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—ऐसा नहीं है।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के पहले प्राइवेट बसेज वहां पर कितनी चलती थीं?

श्री गनेशीलाल—पहले ३६ बस सर्विसेज चलती थीं और वे चल रही हैं।

श्री भीखालाल—क्या परिवहन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि उस क्षेत्र की जनता की ओर से इस तरह का कोई रिप्रिजेंटेशन सरकार के पास आया है कि वहां बसों की तादाद बढ़ाई जाय और क्या वह वहां की जनता के कष्ट को देखते हुये बसों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री गनेशीलाल—इस समय इस की सूचना नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय परिवहन मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जब रोडवेज की बसें वहां नहीं चलती थीं उससे पहले उस रोड पर प्राइवेट बसों की संख्या बहुत अधिक थी, तो क्या इसको देखते हुये वह बसों की संख्या वहां बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---यों तो सर्वे होता रहता है, जितनी जरूरत होती है उतनी बसें डाली जाती हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस रोड पर जो विभाग की ओर से बसें चलती हैं वे, जो प्राइवेट बसें पहले चलती थीं उनके अनुपात में, बहुत कम हैं तो क्या मन्त्री जी ज्यादा नहीं तो कम से कम १-२ बस वहां बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि सर्वे होता रहता है और जितनी आवश्यकता होती है, उतनी बढ़ा देते हैं। आप कम हैं या ज्यादा यह कह सकते हैं।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या यह सत्य है कि मौजूदा बसों का एलोकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया से छोटी लाइन की जरूरत को मद्देनजर रखते हुये तय कर के किया गया है और सर्वे वगैरा से उनके घटने बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस वक्त तो मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिस से मैं यह बात कह सकूं।

श्री चन्द्रजीत---जब सर्वे समय-समय पर होता रहता है तो इस बात को देखते हुये कि जनता की ओर से भी दरखास्तें आई हैं क्या मन्त्री महोदय आदेश देंगे कि फिर सर्वे करा के आवश्यकतानुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन---मुझे ऐसी किसी दरख्वास्त की इत्तिला नहीं है, आप कह रहे हैं तो देख लेंगे।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट बसें कितने इन्टरवेल से चलती थीं और अब रोडवेज की बसें कितने इन्टरवेल से चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो तफसील की बात है, मेरे पास इसके डिटेल नहीं हैं।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया---बसों की संख्या कम है या नहीं यह इस पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कह दिया कि इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है ।

*१०-११---**श्री झारखंडेराय**---[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बांसगांव तहसील में चिलवा पुल से भाटापार पुल तक तरैना नदी से भूमि क्षरण

*१२---**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में बांसगांव तहसील में तरैना नदी के किनारे चिलवा पुल से लेकर भाटपार पुल तक किस-किस गांव में कितनी भूमि ऐसी है जिस पर भूमि क्षरण के कारण खेती नहीं हो पाती है या खेती की पैदावार घट गई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)---ऐसी कोई सूचना कृषि विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

*१३---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सरकार उक्त नदी के किनारे उपरोक्त गांवों में भूमि क्षरण (स्वायल इरोजन) रोकने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवराजसिंह---अभी कोई ऐसा आयोजन नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, कब्ल इसके कि मैं प्रश्न करूं,मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है उसकी आप इजाजत दें। वह यह है कि प्रक्रिया नियमावली में उत्तर देने के सम्बन्ध में धारा ३६(२) इस प्रकार है "कि यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मन्त्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वह परिस्थितियों को देखते हुय उपयुक्त समझे दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियुक्त करेंगे"। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि मन्त्री जी के पास ऐसी सूचना नहीं है तो नियमावली के अन्तर्गत उनको ऐसी सूचना देनी चाहिये। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में आप प्रश्न बाद में कर सकते हैं और उसको आप चाहें अल्पसूचित कर दी जिये ताकि सूचना आपको मिल जाय, यह मैं कर दूंगा। इस समय आप अनुपूरक प्रश्न कीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह सूचना रेवेन्यू विभाग से आसानी से मिल सकती थी अगर वह चाहते ?

श्री शिवराजसिंह—इस सम्बन्ध में सदन में भ्रांति पैदा हो गई है। प्रदेश में भूमि संरक्षण कार्य के लिये जो जिले छांटे जाते हैं उसकी सूची स्टेट स्वायल कन्जरवेशन बोर्ड सरकार के पास भेजता है। इसलिये विभाग के अन्दर जिलों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

श्री कल्पनार्थसिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि तीसरी योजना में इस तरह की कोई योजना उक्त नदी पर लागू करने के लिये विचाराधीन है या नहीं ?

श्री शिवराजसिंह—तीसरी योजना में इस नदी पर कोई ऐसी योजना लगाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि कृषि विभाग के पास वही सूचनायें रहती हैं जो कि उसकी स्कीम्स में होती हैं, उसके अलावा रेवेन्यू विभाग के पास रहती हैं ?

श्री शिवराजसिंह—इसके लिय सूचना चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त सूचना एकत्रित करने के लिये किन-किन साधनों का अनुसरण किया गया है ?

श्री शिवराजसिंह—प्रत्येक जिले के अन्दर एक स्वायल कन्जर्वेशन कमेटी बनी हुई है और हर साल हर जिले के मुताल्लिक वहां से स्वायल कन्जर्वेशन प्रोग्राम की रिपोर्ट आती है तथा उन रिपोर्टस को इकट्ठा करके स्टेट स्वायल कन्जर्वेशन बोर्ड अपने प्रदेश की योजना बनाता है अगर उसका आधार भूमि क्षरण समस्या पर निर्भर करता है।

श्री झारखंडेराय—मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि तरैना नदी के किनारे चिलवां पुल से लेकर भाटपार पुल तक पहले बहुत जंगल थे, खासकर जामुन के जंगल इसलिये स्वायल इरोजन रुका हुआ था। लेकिन भूतपूर्व जमीन्दारों ने सब जंगल कटवा दिये इसलिये भूमि क्षरण हो रहा है ?

श्री शिवराजसिंह—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, नोटिस चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मन्त्री जी बतायेंगे कितनी भूमि इस नदी के किनारे आती है इन गांवों में ?

श्री शिवराजसिंह—इस सम्बन्ध में इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त प्रश्न से सम्बन्धित कितने गांव हैं जिनके लिये यह प्रश्न किया गया ?

श्री शिवराजसिंह—यदि सदस्य महोदय इसमें इतनी दिलचस्पी रखते हैं तो मैं कहूंगा कि अपने जिले की स्वायल कजरवेशन कमेटी के द्वारा वह इसको स्वायल कन्जरवेशन बोर्ड के पास भेजें। इस समय स्वायल कन्जर्वेशन बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रदेशीय सरकार के पास नहीं भेजी है इसलिये इस सवाल के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री नरसिंहनारायण—मन्त्री जी इस बात को सूचना मान कर कि उक्त गांवों में बहुत ज्यादा स्वायल इरोजन हो रहा है कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे स्वायल इरोजन रुक सके ?

श्री शिवराजसिंह—माननीय सदस्य यदि लिखकर भेजेंगे तो अवश्य विचार किया जायगा।

भैंसों के वध पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

*१४—**श्री गणेशचन्द** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास हाल ही में जनता की तरफ से ऐसे सुझाव आये हैं कि जिस तरह से गाय तथा गाय के वंश के बध पर रोक लगा दी गई है उसी तरह से भैंसे या भैंस के वंश के वध पर रोक लगा दी जाय ?

श्री शिवराजसिंह—गोवध की तरह भैंस या भैंस के वंश के वध पर रोक लगाने के हेतु जनता की ओर से कोई सुझाव सरकार के पास नहीं आया।

*१५—**श्री गणेशचन्द** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवराजसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मन्त्री जी बगैर जनता के सुझाव के यह देखते हुये कि भैंस दुधारू जानवर है, और अपने प्रदेश में दूध की बहुत आवश्यकता है उसके वध पर भी रोक लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह—सरकार भैंस के वध पर कोई प्रतिबन्ध लगाना इसलिये जरूरी नहीं समझती है क्योंकि बगैर इस प्रतिबन्ध के ही भैंस की तादाद इस प्रदेश में बहुत बढ़ रही है। प्रति वर्ष इस प्रदेश में १ लाख १४ हजार ६ सौ भैंसों का वध सालाना होता है तब भी भैंसों के आंकड़े १४ प्रतिशत १० वर्ष में बढ़े हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि आजकल भैंस का दूध अधिक उपयोग में आ रहा है पहले से और वह अधिक दुधारू जानवर भी होता है इसलिये इसके लिये कोई तरकीब सरकार सोच रही है कि दुधारू भैंसें न कटने पायें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि अपने प्रदेश की जनता के लिये पौष्टिक पदार्थों की बहुत आवश्यकता है और घी वगैरह आजकल बहुत मिलावट के साथ मिल रहा है इसलिये कम से कम दुधारू भैंसों के वध पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, दुधारू भैंसें वैसे ही नहीं कटतीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दुधारू भैंसें वैसे ही नहीं कटतीं। यह सूचना माननीय मन्त्री जी को कैसे उपलब्ध हुई क्योंकि मेरी सूचना में है कि कटती हैं ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, उसके पीछे एकोनामिक फैक्टर है। इसलिये वही भैंसें कटती हैं जो अनएकोनामिकल हो जाती हैं। जो भैंसें दुधारू हैं उनको रखना तो एकोनामिक है ही मालिक के लिये, इसलिये ऐसा कहा गया।

*१६—**श्री ऊदल**—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८—**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़)—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

भगवानपुर तथा हरौड़ा परगनों में नलकूप लगाने की योजना तथा ढमोला नदी के कटाव को रोकने के लिए सर्वेक्षण

*१९—**श्री जयगोपाल**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि Third Five-Year Plan में परगना हरौड़ा व भगवानपुर में कितने नलकूप लगाये जा रहे हैं और कहां-कहां ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में परगना भगवानपुर में ७ तथा हरोड़ा में एक नलकूप का निर्माण प्रस्तावित है। इन नलकूपों के लिये स्थानों (Sites) का अभी चुनाव नहीं हुआ है।

श्री जयगोपाल—क्या माननीय मन्त्री इन जगहों का निश्चय करने के बाद उसकी सूचना मुझे दे देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—माननीय सदस्य चाहते हैं तो भेज दी जायगी।

*२०—**श्री जयगोपाल**—क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि ग्राम धानाखंडी, परगना सहारनपुर को ढमोला नदी काटती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी हां। ग्राम धानाखंडी को ढमोला नदी के कटाव से बचाने के लिये एक स्कीम (Scheme) बनाने के हेतु आवश्यक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री जयगोपाल—मैं आभारी हूंगा कि इस स्कीम के मुकम्मल हो जाने पर माननीय मन्त्री जी मुझे इसकी सूचना देंगे।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यहां पर जो ढमोला नदी काटती जा रही है उस सम्बन्ध में जो सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है वह किस विभाग द्वारा कराया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सर्वेक्षण नहर विभाग द्वारा हो रहा है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या वह योजना इस वर्ष की योजना में सम्मिलित हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—अभी वह योजना आई नहीं है और जब तक आ न जाय तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके आने में कुछ अर्सा लगेगा।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायगा और इस पर कितनी लागत आ रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—शीघ्र ही होने की आशा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या धानाखंडी परगने में उस नदी ने और भी कटाव किये हैं और उन पर सर्वेक्षण हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---किसी और जगह की अभी सूचना मिली नहीं है।

*२१-२३---श्री भीखा लाल---[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४---श्री कल्पनाथसिंह---[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६---श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री हिम्मतसिंह---[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७-२९---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०---श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कासिमाबाद नोनहरा-गाजीपुर बस सर्विस बन्द रहना

*३१---श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में थाना कासिमाबाद से जो बस ८ बजे सुबह नोनहरा पारा होती हुई गाजीपुर जाती थी वह बस बन्द हो गई है ? यदि हां, तो इस बस के बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल---२६-३-६२ से बस फिर शुरू कर दी गई है। २८-२-६२ से कम आमदनी की वजह से बन्द कर दी गई थी।

*३२---श्री रघुवीर---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गाजीपुर में थाना कासिमाबाद बस रुकने का एक सेंटर है ? यदि हां, तो क्या यहां बस स्टेशन बनवाने की कोई योजना है ?

श्री गनेशीलाल---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीर---क्या परिवहन मन्त्री बतलायेंगे कि २८-२-६२ से कमी की वजह से जो बस बन्द कर दी गई तो इतने दिन में सरकार को क्या घाटा हुआ है ?

श्री गनेशीलाल---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रघुवीर---२६-३-६२ से जो यह बस चालू की गई है तो यह गाजीपुर बस स्टेशन के इंचार्ज की शरारत की वजह से बन्द की गई थी ?

श्री गनेशीलाल---जब भी बस बन्द की जाती है तो उसके पहले एक हफ्ते तक प्रति मील भाड़ा देखा जाता है। जब हमारे शेड्यूल रेट में कमी होने लगती है तो बस बन्द कर दी जाती है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---वहां के शेड्यूल्ड रेट क्या हैं ?

श्री गनेशीलाल---१ रुपया ५० नये पैसे प्रति मील के हिसाब से हमारा शेड्यूल्स रेट है, जब इससे कमी होती है तो घाटा समझा जाता है।

श्री चन्द्रजीत---बस जो १ महीने पहले बन्द की गई थी और १ महीने बाद चालू की गई तो क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता को देखते हुये चालू की गई या इस बीच में सरकार को मुनाफा की आशा हो गई इस वजह से चालू की गई ?

श्री गनेशीलाल—क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता को देखते हुये इसे दोबारा चालू किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय जनता की तरफ से उनको क्या प्रार्थना-पत्र मिला था ?

श्री गनेशीलाल—इसकी सूचना तो इस समय नहीं है।

*३३—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

अमरोहा बस स्टेशन बनवाने की स्वीकृति

*३४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या अमरोहा, जिला मुरादाबाद के बस स्टेशन को सरकार बनवाने का निर्णय कर चुकी है ? यदि हां तो उसके कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री गनेशीलाल—जी हां।

जमीन मिल जाने पर बस स्टेशन बनवाने का काम शुरू हो सकेगा ।

*३५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या अमरोहा की जनता की ओर से इस सम्बन्ध में सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर बस अड्डे के लिये दो मर्तबा जमीन खरीद कर क्यों छोड़ दी गई ?

श्री गनेशीलाल—इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन एक प्लाट नम्बर ३८१९ तजवीज हुआ है और उसके असेसमेंट के लिये डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोसीडिंग चल रही है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—उसके मिलने की कब तक आशा है ?

श्री गनेशीलाल—शीघ्र ही मिल जायगी।

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह—[हटा दिया गया ।]

*३७-३९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०—श्री परमाई (जिला हरदोई)—[स्थगित किया गया ।]

*४१-४२—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३-४५—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—[८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९७-प/३३-१४८-५९, दिनांक २८ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों, को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

†छापे नहीं गये ।

बिजली फेल हो जाने के कारण सदन का स्थगन

श्री अध्यक्ष—अब जो कार्य इस सदन में हो रहा है,वह सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। मुझे सूचना यह मिली है कि पावर हाउस से ही कुछ बिजली का गड़बड़ हो रहा है। अतः मैं समझता हूं कि १२ बजे तक यह सदन स्थगित कर दिया जाय। बिजली आने पर यहां फिर १२ बज से कार्यवाही शुरू होगी।

(इस समय ११ बजकर ३७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

लखनऊ नगर में जल कष्ट से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास ४, ५ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आई हैं। उनमें से एक सूचना माननीय नरसिंह नारायण जी की है जो मैंने स्वीकार की है। वह इस प्रकार से है: "लखनऊ शहर तथा ऊपरी सतह पर बसे पूर्वी लखनऊ में जल कष्ट के कारण विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। शाम को बड़ी प्रतिक्षा के बाद पानी आता है लेकिन उसका दबाव इतना कम होता है कि एक घंटे में मुश्किल से एक बाल्टी पानी ही भर मिलता है। इसका कारण लखनऊ महापालिका का जलकल विभाग फिलहाल गोमती के टूटे हुये बांध पर डाल रहा है जिसकी मरम्मत का कार्यभार स्वायत्त शासन विभाग का लोक निर्माण विभाग करा रहा है। २० अप्रैल, १९६२ तक इसके पूरा होने का आश्वासन उपरोक्त विभाग ने दिया था जिससे पानी २ फुट और ऊपर बढ़ जाता परन्तु ऐसा न हो सका। परिणाम स्वरूप २६ हजार गैलन की जगह पर अब केवल २५,००० गैलन तथा उससे कम पानी मिल रहा है। गर्मी में इस पानी की कमी के कारण उपरोक्त हल्के तथा शहर में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं।" माननीय स्वशासन मन्त्री के पास यह सूचना भेज दी गई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वह कब इस पर अपना वक्तव्य दे सकेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अभी तक मुझे यह इत्तला नही मिली है। शाम तक मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा। कल के लिये इसको रख दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दे दीजियेगा। जो शेष सूचनाएं रह गई हैं उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नियम १०६ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय में जानकारी

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम १०६ के अतर्गत मैंने आपके द्वारा इस सदन में एक विवाद की आज्ञा चाही थी। कल सोमवार को मैं इन्तजार करता रहा कि शायद आपकी तरफ से उसकी घोषणा हो, किन्तु वह नहीं हुई आज २४ तारीख हो गई है। ये चार दिन बीच में हैं, तो उसके बाद फिर विवाद नहीं हो सकेगा और फिर उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जायगा। इसलिये आप कोई निर्णय उस पर देने की कृपा करें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे मिल लें तो अच्छा होगा। हम आपस में उसको डिस्कस कर लें ताकि मालूम हो सके कि वह उसके अन्तर्गत आता है या नहीं।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष सन् १९६२-६३ के आय-व्ययक पर मतदान आरम्भ होगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—हम लोगों के सामने अभी जो माल विभाग का अनुदान पेश होने जा रहा है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को पुस्तिका आज मिली है जिसमें उसके कार्य का विवरण बतलाया गया है। वह हमको अभी ११ बजे असेम्बली में आते हुये मिली है। ऐसी अवस्था में हम उसको पढ़ नहीं पाये हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो उसके लिये हम लोगों को पर्याप्त समय दिया जाय ताकि हम लोग उसके विवरण का अध्ययन कर सकें और यहां पर भाषण दे सकें। आप सरकार को ऐसा आदेश देने की कृपा करें कि बजट के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिटरेचर मिलना हो वह पर्याप्त समय पहले मिल जाय ताकि हम लोग उसको देख सकें और उस पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष—मैं यह मानता हूं कि जो साहित्य किसी अनुदान के सम्बन्ध में हो वह जल्द से जल्द या पर्याप्त समय पूर्व माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिये, लेकिन जो विवाद आज के लिये निर्धारित है उसको रोकना मेरे लिये असम्भव है। कल भी यह विवाद चलेगा। तो जो माननीय सदस्य उसका अध्ययन करना चाहें वह अध्ययन करके कल उस पर बोल सकते हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीनों अनुदान एक साथ मूव कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी हां। उसी में सुविधा होगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—वृहत् जोत कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६४,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,६४,०१,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३८,०५,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं हस्ब दस्तूर जब मांगों को प्रस्तुत करता हूं तो मेरे दिल की यही ख्वाहिश रहती है कि इन मांगों के मुताल्लिक जितना समय दिया जाय उसमें से ज्यादातर समय हमारे मित्रों को मिलना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा समय मिलने से

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

वह अपने विचार पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं जो अक्सर बड़े लाभदायक प्रतीत होते हैं। मैं उनका पूरा फायदा उठाना चाहता हूं और इसीलिये मैं कभी अनुदान पेश करते समय ज्यादा वक्त इस सदन का नहीं लेता। तमाम साहित्य इस के संबंध में बंट चुका है और आज भी बंटा है और हमारे भाई भीखा लाल जी अगर उसे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते थे, आज भी असेम्बली उठ गयी थी आधे घंटे के लिये, लेकिन कल भी उसे पढ़ कर अपनी बात कह सकते हैं और मेरा यह खयाल है कि हमारे अन्य मित्रों ने उसका अध्ययन किया होगा और सब बातें उन के सामने होंगी। तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा अर्ज न करके इतना ही कहूंगा कि यह माननीय सदन हमारी इन मांगों को स्वीकार करे।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं एक सूचना माननीय मंत्री जी से चाहूंगा। जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें हदबन्दी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और माननीय राजस्व मंत्री के कार्यकाल का यह एक महत्वपूर्ण कानून रहा है। तो इस कानून के बनने के बाद सरकार को कितनी भूमि प्राप्त हुई और उसका क्या हुआ, यदि यह बता सकें तो अच्छा हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें काफी कार्यवाही हो रही है। कई जिलों में प्रेस्काइब्ड अथारिटी बन चुकी है, नोटिसेज भी जारी हो रहे हैं। कुछ आब्जेक्शन्स का फैसला भी हुआ है और कुछ जमीन सरप्लस में मिली भी है और आइंदा भी मिलने वाली है।

श्री अध्यक्ष—अब इस संबंध में कटौती के प्रस्ताव नत्थी ख, ग और घ में दिये गये हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में मैं आदरणीय सदन का ध्यान नियम १९० की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विशेष रूप से इसलिये आकृष्ट कर रहा हूं कि अगर माननीय सदस्य इस नियम को पढ़ने की कृपा करेंगे तो वह इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राघवेंद्र प्रतापसिंह और उनके साथियों ने दिया है वह नियमित नहीं है। आप देखेंगे कि 'क' में, जो नियम १९० का अंश है, उसमें है कि :—

"किसी मांग की राशि कम करने के लिये निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा—

(क) "कि मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय" मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये, ऐसा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जायगा, ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य उस नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शायेगा जिस पर वह चर्चा करना चाहता हो। चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे। 'ग' जो है वह इस प्रकार से है:—

"(ग) कि मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय" ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिये जो शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हों। ऐसा प्रस्ताव "प्रतीत कटौती" कहा जायगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशेष शिकायत तक ही सीमित होगी।

अब माननीय राघवेंद्रप्रताप सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव भेजा था वह इस प्रकार से था—"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय"।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, वह गलती से हो गया।

श्री अध्यक्ष—मैंने गलती के खयाल से नहीं कहा। चूंकि इस विधान सभा में बहुत से नये सदस्य आये हैं, उनकी सूचना के लिये मैंने पढ़कर सुनाया। गलती हो गई तो कोई बात नहीं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां १०० रुपया वहां एक रुपया कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—सभी नेताओं की अनुमति से मेरे पास यह सूचना आई है कि माननीय यादवेंद्रदत्त जी ने जो प्रस्ताव अभिसूचित किया है या जो अब संशोधित रूप में माननीय राघवेंद्रप्रताप सिंह जी कह रहे हैं उसको माननीय भानुप्रताप सिंह जी प्रस्तुत करेंगे। पूर्व इसके कि मैं उनसे कहूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव पर कुछ कहें, यह बात निवेदन कर दूं कि यह प्रस्ताव इतना व्यापक है कि जितने अन्य प्रस्ताव हैं वह उसमें कवर हो जाते हैं। इस प्रस्ताव में सारे दूसरे कटौती के प्रस्ताव समाविष्ट हो जाते हैं, तो दूसरे प्रस्तावों को रखने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रस्तुत किये हुये समझे जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नं० ४ मूव करेंगे।

श्री अध्यक्ष—नं० १ मूव करेंगे।

तो अन्य जितने प्रस्ताव हैं वह प्रस्तुत समझे जायेंगे और अन्त में उत्तर देने का अधिकार माननीय भानुप्रताप सिंह को ही होगा।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के सम्मुख प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोत-कर के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, जैसा कि इसमें भी छपा है, इन प्रस्तावों को उपस्थित करने का कारण यह है कि राजस्व विभाग की नीतियों और कार्य करने के ढंग से इस प्रदेश के किसानों में घोर असंतोष है। इस असंतोष को व्यक्त करने और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके बारे में कुछ सुझाव देने के लिये यह कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

श्रीमन्, सब से पहले मैं इस सम्मानित सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्व विभाग का मालगुजारी वसूल करने का जो ढंग है तथा जो नीति है वह बहुत ही पुरानी और दकियानूसी है। न तो किसी प्रकार उसको वैज्ञानिक ढंग कहा जा सकता है और न ही उसको न्यायोचित ही कहा जा सकता है। इस बात को हमारे देश के काफी बड़े-बड़े नेताओं ने माना है। यहां तक कि हमारे सामने कई कमेटियों की रिपोर्ट्स हैं जिनमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि एक फ्लैट रेट से लगान का लगाया जाना कोई वैज्ञानिक ढंग नहीं है और इससे न्याय नहीं होता है, इससे छोटे-छोटे किसानों के साथ अन्याय ही होता है। श्रीमन्, यह जो ढंग है लगान लगाने का यह बहुत ही पुराना ढंग है और इसमें उस समय की बची हुई पुरानी परम्परा चली आ रही है जब यह समझा जाता था कि जमीन राजा की है या बादशाह की है या जो शासन कर रहा है उसकी है। परन्तु आज इस बात को सभी उन्नतशील देशों ने माना है कि जमीन का मालिक किसान होता है न कि सरकार। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी गांव-गांव जाकर, प्रदेश के कोने-कोने में इस बात का दावा किया कि जमीन का मालिक जमीन को जोतने वाला किसान है। तो अब उससे पीछे हटना हम लोगों के लिये संभव नहीं है परन्तु यह विचार करना पड़ेगा कि किसान किस प्रकार का मालिक है। क्या वह वास्तव में जमीन का मालिक है? क्या उसे मालिक के सभी अधिकार प्राप्त हैं? श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

श्रीमन्, किसी चीज के स्वामित्व के तीन लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यह होता है कि जो व्यक्ति किसी भूमि का या सम्पत्ति का मालिक होता है उसको उसके इस्तेमाल करने का किराया नहीं देना पड़ता। यह स्वामित्व का पहला लक्षण है। यहां लखनऊ शहर में ही जो लोग अपने मकान में रहते हैं उनको उसका किराया नहीं देना पड़ता, लेकिन जो दूसरों के मकान में रहते हैं, उनको किराया देना पड़ता है। दूसरा लक्षण यह होता है कि उसका मालिक उसको जिस प्रकार से चाहे उपयोग में ला सकता है और उस पर कोई बाधा नहीं डाली जा सकती। तीसरा लक्षण यह है कि जब वह उसको बेचना चाहे वह उसको बेंच डाले। तो यह तीन अधिकार स्वामित्व के होते हैं। यह तीनों अधिकार हमारे अधिकांश किसानों को प्राप्त नहीं हैं और कम से कम सीरदारों को तो प्राप्त नहीं हैं। जो भूमिधर हैं उनको कुछ प्राप्त जरूर हैं। फिर भी हम यह दावा कर रहे हैं कि किसान भूमि के मालिक हैं। हर तीन में से दो किसान सीरदार हैं। ऐसी दशा में यह दावा करना कि हमने किसानों को भूमि का मालिक बना दिया न्यायोचित नहीं है।

श्रीमन्, जब हम इस बात को मानते हैं कि किसान जमीन का मालिक है या कम से कम यह कहते हैं कि उसको मालिक बनाने की हमारी नीति है, तो फिर किसान के ऊपर मालगुजारी या लगान नहीं लग सकता। उस पर लग सकता है तो केवल आय-कर लग सकता है। जब हम कहते हैं कि मालगुजारी या लगान लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिये तब हमारा तात्पर्य यह नहीं होता कि खेती करने वालों से कोई टैक्स ही न लिया जाय। लेकिन जब हम बुनियादी तौर पर इस बात को मान लेते हैं कि जमीन का मालिक किसान है तब हम उससे मालगुजारी नहीं ले सकते। जिस प्रकार अन्य व्यवसाय करने वाले लोगों से आय कर लिया जाता है वैसा ही उनसे भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी दलील जो मालगुजारी न माफ करने के विषय में दी जाती है वह यह है कि यदि मालगुजारी बन्द कर दी जायगी तो सरकार का कारोबार कैसे चलेगा।

सरकार के कुल आय-व्ययक में मालगुजारी का भाग निरन्तर घटता जा रहा है। इस संबंध में मैं टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन आंकड़ों से मालूम होता है कि केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों को जो आमदनी हो रही है, उनमें मालगुजारी का जो भाग है वह इस प्रकार से है—

वर्ष	मालगुजारी का प्रतिशत	वर्ष	मालगुजारी का प्रतिशत
१८१८-१९ ..	७३.१	१९११-१२ ..	३१.९
१८३९-४० ..	७०.६	१९३८-३९ ..	१६.१
१८५०-५१ ..	६६.५	१९५३-५४ ..	८.६
१८७१-७२ ..	४२.८	१९६०-६१ ..	५.००
१८८१-८२ ..	३५.५		
१८९१-९२ ..	३६.५		
१९०१-२ ..	३३.९		

इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि मालगुजारी का भाग निरन्तर घटता जा रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकारों के आय-व्ययक के आंकड़ों में उसका प्रतिशत ५ है। अब समय आ गया है कि इस ५ प्रतिशत को भी समाप्त कर दिया जाय।

श्रीमन्, राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार को सब मिला कर २,००० करोड़ रुपये की आय १९६०-६१ में हुयी थी। इसके अलावा हमारी सरकारें कर्जा भी लेती हैं, डेफीसिट फाईनेंसिंग भी करती हैं। इन उपायों से भी १८८५ करोड़ रुपया १९६०-६१ में भारत सरकार और प्रादेशिक सरकारों ने खर्च किया। इसमें १०० करोड़ रुपया मालगुजारी से वसूल होता है जो कुल खर्चा ३८८५ करोड़ रुपये का लगभग २.५ प्रतिशत ही आता है।

मैं इन आंकड़ों को इसलिये उपस्थित कर रहा हूं जिससे सदस्यगण यह समझ सकें कि अगर मालगुजारी माफ कर दी जायगी तो देश के ऊपर कोई आफत आने वाली नहीं है। यह मैं मानता हूं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और इसके खर्च में मालगुजारी का जो प्रतिशत है वह अब भी १० है, जो एक काफी बड़ी रकम होती है, इसलिये वह ऐसी स्थिति में इस समय नहीं है कि पूरी रकम को छोड़ सके। इसलिये, इस बात के होते हुये भी कि हमारी पार्टी इस बात को अच्छी तरह से मानती है कि मालगुजारी लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिये, फिर भी इस वजह से कि हम किसी एक बात पर सब एक मत हो जायं, एक ठोस और रचनात्मक सुझाव में यह देना चाहता हूं कि जिन किसानों के पास ३ एकड़ या इससे कम भूमि है उनकी मालगुजारी माफ कर दी जाय। उसका हिसाब मैंने लगाया है कि उसके माफ करने से क्या परिणाम होगा। इस संबंध में यद्यपि बजट में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये हैं उससे मालूम होता है कि ऐसी जोतों का पूरा क्षेत्रफल २२.८ प्रतिशत है। यानी अगर हम ३ एकड़ से नीचे वालों की मालगुजारी छोड़ दें तो पूरी मालगुजारी में से २२.८ प्रतिशत की कमी होगी। इस समय हम लगभग २२ करोड़ रुपये मालगुजारी से वसूल करते हैं। इस २२ करोड़ में से २२ प्रतिशत ४.६ करोड़ होता है। ४.६ करोड़ तो आमदनी में कमी होगी, लेकिन इसके वसूलने का जो खर्चा होता है वह भी बहुत कम हो जायगा, क्योंकि उसका रकबा तो २२ प्रतिशत ही है, लेकिन किसानों की संख्या ६७ प्रतिशत से कुछ ऊपर यानी दो तिहाई है। यानी दो तिहाई वसूलने के खर्च से छुटकारा मिल जायगा। करीब ढाई करोड़ रुपये मालगुजारी के वसूलने में हम खर्च करते हैं। उसमें से १ करोड़ या उससे कुछ कम में ही बाकी धन वसूल किया जा सकता है, इस तरह से अंतिम हानि जो होगी, खर्चे और आमदनी दोनों का हिसाब लगाने के बाद, वह केवल ३ करोड़ रुपये की होगी। ३ करोड़ रुपये इस प्रदेश के लिये बहुत बड़ी रकम नहीं है यह देखते हुये कि हम १९१ करोड़ रुपये का बजट पास करने जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि गांवों में खेती करने वाले ६७ प्रतिशत किसानों के मन में एक उल्लास और उत्साह की तरंग उठ खड़ी होगी। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिये जिससे जनता उत्साहित हो जाय, उनमें उल्लास आ जाय। मैं कहता हूं कि इतनी छोटी रकम से आप इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं और यह भावना पैदा कर सकते हैं कि यह सरकार हमारी है और हमारे प्रतिनिधि हमारे लाभ के लिये काम कर रहे हैं। फिर भी आप न करें तो मैं यही कहूंगा कि यह हमारा, आपका और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है।

मैंने ३ एकड़ वाले किसानों को ही क्यों छांटा? वैसे तो बात होनी चाहिये अनएकोनामिक होल्डिंग्ज की ज्यादातर लोगों ने अनएकोनामिक होल्डिंग्ज के लिये कहा है कि रेंट फ्री करना चाहिये, परन्तु कौन एकोनामिक होल्डिंग है और कौन अनएकानामिक यह बड़ा विवाद ग्रस्त प्रश्न है। इसका निश्चय कैसे हो? जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट में १० एकड़ से कम को अनएकानामिक कहा गया है। हमारे माननीय चौधरी चरणसिंह जी जो इस विषय में काफी जानकारी रखते हैं, उनका कथन है कि सवा ६ एकड़ से कम अलाभकर जोत है। इस वाद विवाद में न पड़कर मैंने एक ऐसे रकबे का सुझाव दिया है जो किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं गिना जा सकता। कारण यह है कि औसत परिवार यदि साढ़े ४ आदमियों का मान लें और जो औसत पैदावार देश की है उसमें ३ एकड़ की पैदावार जोड़ें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ३ एकड़ वाले किसान केवल अपने और अपने परिवार का पेटपाल लें तो उसने बहुत कुछ किया, उसके लाभप्रद होने का सवाल उठता ही नहीं है। यह विवादग्रस्त न रहे इसी लिये मैंने नीचे उतरकर ऐसा सुझाव रखा है कि जिसको सदन के सभी दल के लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्रीमन्, आज विपक्ष से यह बात कही जा रही है और संभव है जैसे हमारी और बातें नहीं सुनी जातीं, इसको भी न सुना जाय, लेकिन मैं इस सदन के समक्ष उस कमेटी की रिपोर्ट का

[श्री भानुप्रताप सिंह]

कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन, गोविन्द बल्लभ पंत और श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े-बड़े नेताओं के नेतृत्व में बनी थी सन् १९३६ में। उसमे लिखा है कि "लगान का उचित सिद्धांत यह होना चाहिये कि लगान के रूप में काश्तकार को केवल वह रकम देनी पड़े जो उसके निजी और पारिवारिक खर्च तथा उत्पादन में लागत खर्च को पूरा करने के बाद उसके पास बचे। "फिर आगे उसमें लिखा है" यह अत्यावश्यक है कि लगान के मौजूदा बोझ को घटाया जाय और अलाभकर आराजी को लगान से बरी कर दिया जाय।" हमारी बात नहीं मानते तो न मानें, लेकिन अपने नेताओं की बात तो कांग्रेस जनों को माननी ही चाहिये।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—किस सन् की यह रिपोर्ट है ?

श्री भानुप्रतापसिंह—१९३६-३७ के एग्रेरियन रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनायी थी। जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट में यह तो नहीं माना गया है कि लाभहीन आराजी को मालगुजारी से मुक्त कर दिया जाय, फिर भी उन्होंने यह सिफारिश की थी कि छोटे किसानों को राहत पहुंचायी जाय। जमींदारी उन्मूलन कमेटी की उन सिफारिशों को मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। "हम यह सिफारिश करते हैं कि एक एकड़ तक की आराजी पर प्रति रुपया ६ आने, ४ एकड़ तक ही आराजी पर प्रति रुपया ४ आने, ६ एकड़ तक की आराजी पर प्रति रुपया २ आने और १० एकड़ तक के अलाभकर जोत पर प्रति रुपया एक आना शीघ्र से शीघ्र कमी कर दी जाय।" लेकिन इस सुझाव पर भी कोई अमल नहीं हुआ है।

यह टैक्सेशन का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि टैक्स उससे लिया जाय जो टैक्स दे सके। जिस किसान की बात हम इस समय कर रहे हैं, ३ एकड़ या उससे कम वाले, उसके बारे में मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर कोई भी सम्मानित सदस्य अपने कलेजे पर हाथ रख कर यह नहीं कह सकता कि उसके खाने और पीने के बाद एक पैसा भी उसके पास बचता है। जब उसके पास कोई बचत नहीं होती तो उस पर टैक्स लगाने का सरकार को कहां से अधिकार हो जाता है ?

कल हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गांव वालों को टैक्स देना चाहिये। उन्होंने कुछ आंकड़े पढ़ कर सुनाये, हम उन आंकड़ों में विश्वास नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि उन आंकड़ों की प्रतिलिपि हम लोगों को भी मिल सकती हो तो दिला दें, ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाय। फिलहाल उन आंकड़ों को सही मानते हुये मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि शहर वाले ज्यादा टैक्स देते हैं तो ज्यादा सुख और सुविधा भी वे प्राप्त करते हैं। शहर में अच्छी सड़कें हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, बिजली की रोशनी है, चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध है और यहां तरह-तरह के अनेक सुख व सुविधा के साधन मौजूद हैं। हमने देहातों के सुख व सुविधा के कौन-कौन से साधन अब तक जुटाये हैं ? हम यह नहीं कहते कि गांव वालों को टैक्स नहीं देना चाहिये या गांव वालों को अपनी इस पंच-वर्षीय योजना में योगदान नहीं करना चाहिये। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि आप एक समान सिद्धांत टैक्सेशन का बना दीजिये और उसके अनुसार सभी व्यवसाय करने वालों, चाहे वे खेती करते हों, चाहे वकालत करते हैं, चाहे डाक्टरी करते हों, या नौकरी करते हों, समान रूप से एक सिद्धांत सब पर लागू किया जाय। उस सिद्धांत के अन्तर्गत खेती करने में कोई ज्यादा आमदनी करता है तो उसे टैक्स देना चाहिये और वे देंगे, मैं समझता हूं कि इससे किसी को भी कोई इन्कार नहीं है; लेकिन जो टैक्स दे नहीं सकते, जिन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता, जिनके सुख व सुविधा के लिये कोई विशेष प्रबन्ध आपने नहीं किया है, उनसे टैक्स मांगना अनुचित है। यही मेरा इस सदन से निवेदन है।

श्रीमन्, जिस तरह से कि टैक्सेशन के संबंध में यहां अलग-अलग सिद्धान्त बरते जाते हैं, उसी तरह से राजस्व विभाग में सोशल जस्टिस के भी डबल स्टैन्डर्ड यानी २ मापदंड माने गये हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर जोत की हदबन्दी कायम की गई है। शायद इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम न हो, मैं भी कभी समाजवादी था और मुझे आज भी इस में कोई आपत्ति नहीं है कि आप समाजिक न्याय के नाम पर बंटवारा कीजिये। आपत्ति मुझे केवल इतनी ही है कि आपका सामाजिक न्याय केवल देहाती क्षेत्रों के लिये ही है। यह जो आप ने २ मापदंड सामाजिक न्याय के उपस्थित किये हैं उससे यह दिखलाई देता है कि आप का असली उद्देश्य क्या है। आपने ४० एकड़ की सीमा निश्चित की है, मैं कहता हूं कि आप ३० एकड़, २० एकड़ या दस एकड़ निश्चित करें या जितना औसत हो वह सब बराबर-बराबर बांट दें, लेकिन आप उसी सिद्धांत को शहरों में भी लागू कीजिये, कोई भी दूसरा व्यवसाय करने वाला हो उस पर भी लागू कीजिये।

हमारे यहां पर हर माननीय सदस्य को कुछ वेतन और भत्ता मिलता है और उससे कम पर जो सबसे अच्छे से अच्छा किसान देहात का रहने वाला है उसकी श्रम की सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस सदन के सदस्यगण सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं तो वे स्वयं भी पहले त्याग करते और स्वयं भी उस स्तर तक पहुंचते, लेकिन सारा सामाजिक न्याय और धर्म दूसरों के लिये ही है अपने ऊपर लागू करने के लिये कुछ नहीं है। इसलिये मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि इसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे। आप यह न समझें कि मेरे पास ज्यादा खेती है इसलिये मैं यह रख रहा हूं। आपके कानून से मेरे पास खेत निकलने वाला नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि प्रदेश का इस से अहित हुआ है।

इस देश में जितनी भी खेती की पैदावार बढ़ी है उस की आधी केवल खेती का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण बढ़ी है और आधी प्रति एकड़ औसत पैदावार बढ़ने से बढ़ी है। अगर हम पिछले दस साल के आंकड़ों को देखें तो मालूम होगा कि इस प्रदेश में पिछले दस वर्षों से नई जमीनें टूटने की क्या रफ्तार रही है, अब कितनी जमीन टूट रही है और कितना अहित हदबन्दी कानून से हुआ है। सन् १९५०-५१ से १९५४-५५ तक ५ साल में १८ लाख एकड़ नई जमीन टूटी। और उसके बाद जब से हदबन्दी की चर्चा शुरू हुई तबसे नई जमीनों का टूटना बिलकुल कम हो गया और इधर के इन ५ सालों में केवल ७ लाख एकड़ जमीन ही टूटी है, यानी पुरानी रफ्तार से ११ लाख एकड़ कम जमीन टूटी है। अगर यह रफ्तार न गिरती और इस ११ लाख एकड़ नई टूटी जमीन पर और खेती हुई होती तो उस पर १ करोड़ मन गल्ला और अधिक पैदा हुआ होता जिसको आपने ऐसा कानून बनाकर खत्म कर दिया। इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है। भूमिहीन का भला होता तो हम समझते कि अच्छा हुआ, लेकिन आपने तो इससे कृषि व्यवसाय को ही प्रेरणाहीन बना दिया है। उसमें जो पढ़े लिखे लोग पूंजी लगा सकते थे वह निकलते चले जा रहे हैं, और यही कारण है कि आज बावजूद इसके कि हमारे सूबे में ७५ लाख एकड़ कृषि योग्य बंजर जमीन है फिर भी जमीनों का टूटना बन्द हो गया है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस से कृषि की ओर आकर्षित होने वाले लोगों पर पड़ा है कि आप के चाहने पर भी अब कोई इस तरफ न आकर दूर ही रहना चाहता है। और अब हम इसके लिये आपसे अधिक नहीं कहेंगे क्योंकि जो नुकसान होना था वह हो चुका, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपने जो सीलिंग के अन्दर सीलिंग लगा रखी है, साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नई जमीन कोई नहीं खरीद सकता उसको कम से कम दूर कर लीजिये।

आये दिन बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने आती है। आये दिन नेतागण कहते हैं कि नवयुवक गांवों में जा कर बसें और वहां खेती करें, कानपुर कालेज के स्नातकों से कहा जाता है। लेकिन क्या साढ़े १२ एकड़ की खेती करने के लिये कोई कानपुर कालेज या रुड़कपुर विश्वविद्यालय का स्नातक गांव में जाने के लिये तैयार होगा? जब आपको डाक्टर नहीं मिलते अच्छी तनख्वाह और भत्ते देने के बाद भी, तो कृषि स्नातक कैसे साढ़े १२ एकड़ की खेती करेंगे? साढ़े १२

[श्री भानुप्रतापसिंह]

एकड़ की खेती से जितना लाभ हो सकता है वह शायद उससे ज्यादा नहीं है जो केन्द्रीय सरकार के चपरासी का वेतन है। वर्तमान स्थिति में अब हम जोत हदबन्दी कानून को रद्द करने की बात तो नहीं करते, लेकिन यह जरूर कहना चाहते हैं जब आपने एक सिद्धान्त मान लिया है कि ४० एकड़ तक खेत रखना न्यायोचित है तो फिर क्या कारण है कि जो नई खेती करना चाहता है गांव में रह कर उसको आप साढ़े १२ एकड़ पर रोक देना चाहते हैं ?

जहां तक मुझे याद है, जब सीलिंग का कानून पेश था उस समय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना की गई थी और उन्होंने, यदि मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, आश्वासन दिया था कि सीलिंग के अन्दर जो सीलिंग है इसको हटा लिया जायगा।

मालगुजारी वसूली का ढंग भी ऐसा है जिससे किसान को बड़ी तकलीफ है। आपने कानून में यह व्यवस्था कर रखी है, और अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारा यह ऐसा देश है जिसमें कानून का उल्लंघन सरकार स्वंय करती है। आये दिन यहां पुलिस विभाग की बात आती है कि थाने में ले जा कर लोगों को मारा जाता है जब कि कोई कानून उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन पुलिस वाले स्वंय उल्लंघन करते हैं। इसी प्रकार से वसूली के विषय में हमारी सरकार स्वंय अपने बनाये हुये कानूनों का उल्लंघन करती है। इसमें लिखा हुआ है: अगर कोई किसान मांगने पर लगान न दे तो उसे एक मांग-पत्र या उपस्थिति पत्र तामील किया जाय। लेकिन मेरी जानकारी में यह कहीं नहीं होता। होता यह है कि पहले दिन ही अमीन पहुंचता है, किसान को कुछ नहीं मालूम उसे कितना देना है, और पहले ही दिन पूरी रकम मांगी जाती है और अगर पूरी न मांगी तो किस्त मांगी जाती है, और अगर किसान तत्काल नहीं दे सकता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की नीति गलत है। लेकिन उसका कार्यसंचालन ऐसा है जिससे नतीजा यही निकलता है। हमारी तहसील में कुर्क अमीन को सरकारी तौर पर दो चपरासी मिलते हैं। लेकिन आमदनी उसकी इतनी ज्यादा है कि २, ३ आदमी अपने पास रखे रहता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस अमीन का नाम और तहसील बता दीजिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—नाम मैं बाद को बता दूंगा, तहसील मेरी डुमरियागंज है। तो इस बुराई को भी दूर करना चाहिये।

सेक्योरिटी आफ टेन्योर का यह हाल है कि अब भी १५ साल के बाद यह स्थिति है गांवों में कि २, ३ साल लेखपाल से मिल कर नाम लिखा लिया और कब्जा कर लिया। इसका कारण यह है कि हमने ट्रेसपासर को एक स्टेटस दे रखा है। जब कोई ट्रेसपास करता है जमीन पर, तो बजाय इसके कि पुलिस उसको निकाल दे, होता यह है कि मुकदमा लड़ना पड़ता है, फिर वहां पता नहीं किसके हक में डिक्री हो। कोई समय था जब, मैं मानता हूं कि इस तरह का कानून होना चाहिये था कि जो ट्रेसपासर है उसका कुछ स्टेटस माना जाय; लेकिन अब १५ वर्ष के बाद जब रेकार्ड आपरेशंस हो चुके, तरह तरह की कार्यवाहियां हो चुकीं, उसके बाद ट्रेसपासर को यह राइट देना बिलकुल अनुचित मालूम होता है। इसी के कारण सेक्योरिटी आफ टेन्योर को धक्का पहुंच रहा है। जब जमीन किसी काश्तकार की घोषित कर दी गयी तो उस पर कोई कैसे ट्रेसपास कर सकता है ? कोई मकान में घुस आये तो उसका चालान हो सकता है, उसको सजा हो सकती है। परन्तु जमीन के ट्रेसपास के विषय में पुलिस थाने में जांय तो कोई सुनवाई नहीं होगी। कहा जायगा, जाइये, मुकदमा लड़िये। १९६२ के युग में आज यह बात ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि अब ट्रेसपासर छोटा छोटा किसान नहीं है। गांव के बदमाश हैं जो डंडे के जोर पर ट्रेसपास करके छोटे छोटे किसानों के खेत पर कब्जा कर रहे हैं। अगर विश्वास न हो तो हम उदाहरण दे सकते हैं। अब इस कानून को ही बदलने की आवश्यकता है। जो सन् ५२ में बात थी वह वह आज नहीं है, उसमें आज संशोधन की जरूरत मालूम होती है।

लेखपाल और पटवारी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके संबंध में बहुत कोशिश की चौधरी चरण सिंह ने, लेकिन अपनी जगह पर वह ज्यों के त्यों बने हुये हैं। मेरा निवेदन यह है कि लेखपालों की आवश्यकता नहीं है ? एक बार आप किसानों को प्रमाण-पत्र दे दें कि यह प्रमाण-पत्र दिया जाता है, इतनी जमीन आपकी है। जब तक प्रमाण पत्र किसी इजलास से कैंसिल न हो, यदि कोई दूसरा उस जमीन पर कब्जा करता है, या खेती करता है तो उसके लिये कानून बना हुआ है, वह जमीन उससे निकल कर गांव समाज की हो जानी चाहिये।

[अनुदान संख्या १––बृहत् जोतकर––

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यादवेन्द्र दत्त	मद––वृहत् जोत-कर के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––(१) अव्यावहारिक सरकारी नीति पर चर्चा। (२) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री बाबू लाल श्रीवास्तव	मद––वृहत् जोत-कर के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य––कर संबंधी गलत नीति पर चर्चा।
३	श्री उग्रसेन	मद––निगम कर को छोड़कर आय पर कर के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––वृहत् जोतों की सीमा निर्धारण पर चर्चा करना।

अनुदान संख्या २––भू-राजस्व

१	श्री यादवेन्द्र दत्त	मद––भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––(१) सरकारी अव्यावहारिक नीतियां। (२) लगान आधा न करने की जैसी गलत नीतियां। (३) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री लालबहादुरसिंह (वाराणसी)	मद––१––उगाही के नायब तहसीलदार के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––उगाही के नायब तहसीलदारों का विलयन। रेगुलर नायब तहसीलदारों में न करने का सुझाव।

[] कटौतियों के प्रस्ताव श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार प्रस्तुत किये गये माने गये।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
३	श्री जगदीश प्रसाद पांडेय	मद—भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—बाढ़ पीड़ितों की सहायता तथा टेस्ट वर्क्स में बरती जाने वाली नीति की आलोचना करना।
४	श्री टम्बेश्वरी प्रसाद	मद—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकार की लगान संबंधी नीति की चर्चा करना।
५	श्री भीखा लाल श्री चन्द्र जीत, श्री सुरजन राम श्री विजय पाल सिंह तथा श्री शराफत हुसेन रिजवी।	मद—भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—अधिकतम जोत-सीमा कानून असफल रहा है, उसकी जांच के लिये एक कमेटी बना कर उसे नये ढंग से लागू करना—सरकार ने अभी तक अलाभकर जोत वालों को राजस्व से मुक्त नहीं किया, चकबन्दी कानून में परिवर्तन करने के सुझाव देना ताकि छोटे किसानों के हित की रक्षा हो—इन्दाराज के नियमों में परिवर्तन के सुझाव देना।
६	श्री उग्रसेन	मद—भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—६ १/२ एकड़ तक की जोत से लगान हटाने की मांग करना।
८	श्रीमती विनय लक्ष्मी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—टिहरी गढ़वाल एवं अन्य पर्वतीय जिलों में भू-अभिलेख संबंधी कार्यवाहियों में गरीब किसान को असरदार भूमिपतियों द्वारा बेकाबिज होने से रोकने की कोई भी प्रभावकारी व्यवस्था नहीं की गई है।
९	श्री छेदालाल चौधरी (खीरी)	मद—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकार ने उन समस्त खेती के स्थानों (Holdings) के जहां पानी के निरन्तर भरे रहने से फसलें नष्ट हो जाती हैं, उन किसानों की न तो समुचित व्यवस्था ही की है और न मालगुजारी ही माफ की है, इसी प्रकार जंगलों के निकटवर्ती खेतों (जोतों) की फसलों का जंगली पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने से रोकने की भी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा उचित रूप से नहीं हुई है ?

अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री याववेन्द्रदत्त	मद—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—अधिक धन की मांग करना ।
३	श्री चन्द्रबली	मद—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—वर्तमान दुर्भिक्ष सहायता की नीति को बदल कर मानवोचित नीति अपनायी जाय ताकि सर्वपीड़ित की पूरी सहायता हो सके ।
४	श्री छांगुर, श्री झारखंडे राय, श्री रघुबीर राम तथा श्री भीखा लाल ।	मद—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—निःशुल्क सहायता देने के नियम में परिवर्तन के सुझाव देना तथा अपर्याप्त निधि को बढ़ाने की व्यवस्था की मांग करना । जांच के काम और सहायता के ढंग में परिवर्तन के सुझाव देना ।
५	श्री उग्रसेन	मद—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—आकाल ग्रस्तों की सहायता के स्थायी स्रोतों के विकास का सुझाव देना ।]

श्री विश्वनाथ (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भूमि के ऊपर बजट की मिली हुई समस्यायें और इससे पहले जो बजट की समस्याओं पर बातें हुई उन सब को मिला कर भूमि के संबंध में और वृहत् जोतकर के संबंध में जो बातें हैं, उन सब पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

अभी मुझ से पहले बोलने वाले मननीय सदस्य ने कहा कि यहां पर कुल मिला कर १८ लाख एकड़ जमीन पहले टूटी । उसके बाद ७ लाख एकड़ जमीन टूटी और ७५ लाख एकड़ अभी बाकी रह गयी है जिसे अभी तोड़ा जा सकता है । एक तरफ तो हम वृक्ष महोत्सव करके वृक्ष बढ़ाने की बात करते हैं । दूसरी तरफ आबादी को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है । हम देखते हैं कि जमीन बढ़ी, खेत बढ़े, लेकिन जंगल की कोई चर्चा नहीं, वृक्ष बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती और न आबादी पर रोकटोक करने की कोई जरूरत मालूम होती है । इस तरह से आप गाड़ी ले जाना चाहते हैं, लेकिन पटरी आगे हो या न हो और गाड़ी चाहे उल्टे या कोई मरे, लेकिन गाड़ी चले ।

[श्री विश्वनाथ]

इसी तरह से साढ़े १२ एकड़ की जो सीलिंग रखी गयी उसके बारे में यह आलोचना की गयी कि यह सीलिंग के अन्दर सीलिंग की बात है । एक तरफ नियोजन की बात कही जाती है और दूसरी तरफ हमारी लिप्सा बढ़ी हुई है । पांच तत्वों में चार पर तो छूट पूरी तरह से है, लेकिन एक जमीन जिसके हाथ में पड़ गयी उस पर लोभ संवरण नहीं हो सका है, जहां पाया उदरस्थ तक कब्जा करने की कोशिश की । अगर यही जारी रहा तो क्या किसी मनुष्य को जगह मिल सकेगी ? क्या खेती के लिये जमीन कोई किसी दूसरे को देने को तैयार होगा ? साढ़े १२ एकड़ का जहां तक सवाल है, जैसे पहले आवाज आती रही और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इसी विरोधी पक्ष के लोग कहा करते थे कि जमीन अभी लोगों के पास ज्यादा है, कुछ कम होनी चाहिये । और आज वह साढ़े १२ एकड़ में भी देख रहें हैं कि यह बहुत कम है, ज्यादा होनी चाहिये । सीलिंग के अन्दर सीलिंग के विरोध की बात कही ।

वसूली के बारे में भी जैसा कहा गया, अमीन लोग तुरन्त पहुंचते हैं वसूली के लिये । पहले मांग-पत्र पेश करना चाहिये । मगर तहसीलों में जाने वालों ने देखा है कि उधर तहसीलदार अपने को बचाने के लिये कहते हैं कि वसूली करो और इधर अमीन लोग कहते हैं कि किसी तरह वसूल हो जाय । लेकिन यही विपक्ष वाले लोग उधर मिल कर कहते हैं कि थोड़ा और रुको । एक तरफ तो गाड़ी के धुरे को अड़ंगा लगाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गाड़ी नहीं चल रही है । यह तो वही मसल हुई कि एक तरफ तो चोर से कहते हैं कि चोरी करो और दूसरी तरफ साह से कहते हैं कि जागते रहो ।

कहा जाता है कि खर्चा बहुत बढ़ गया है । मैं नहीं समझता कि बिला कर लगाये कैसे काम चल सकता है । भूखों मर रहा किसान भी अगर बोवाई का वक्त आ गया तो अपने खेत में कहीं से भी बीज ला कर डालता है और इसी उम्मीद पर डालता है कि कल को जब फसल पैदा होगी तो उसका भविष्य बनेगा । भविष्य की चिन्ता किसी भी सरकार को होनी चाहिये ।

वृहत् जोतकर की बात मैं कहूं, वह तो समाप्त ही हो गया जब हमारे सामने हद बन्दी आयी तो वृहत् जोत कर का अध्याय समाप्त हो गया । राजस्व के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर उसे भविष्य की चिन्ता है तो लागत के लिये कोई न कोई रास्ता उसको इस तरह का देखना ही होगा ।

समाजवादी व्यवस्था का भी नाम लेकर बातें कही गयीं । यह सब जानते हैं कि एक दूकानदार भी पचास जगहों से सामान इकट्ठा कर के अगर उनको मुनाफे पर बेचता है तो वह भी समाज सेवा करता है । वरना एक एक सामान को खोजने में उसकी कीमत से ज्यादा धन लगेगा ।

आज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात कही जाती है । आज प्राइवेट सेक्टर वाले को अपनी चिन्ता होती है, वह रात में भी उठ उठ कर देखने जाता है, लेकिन क्या पब्लिक सेक्टर में कोई आई० सी० एस० रात को उठकर देखने जाता है ? अभी हमारे अन्दर यह भावना नहीं आयी है कि हम राष्ट्रीय क्षति को अपनी क्षति समझ कर उसके लिये मरने को तैयार हों । जब तक यह नहीं होता तब तक किसी तरह की बात करना केवल आदर्श की बात होती है ।

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का इस डिमांड से क्या सम्बन्ध है ?

श्री विश्वनाथ—सहकारी खेती को हम पब्लिक सेक्टर मानते हैं, और अपनी निजी जोत प्राइवेट सेक्टर है । हमारी जो भूमि व्यवस्था है, जिसे हम सहकारी ढंग पर ला रहे हैं उसके विरोध में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह मैं कह दूं कि चाहे खेती साढ़े १२ एकड़ हो या कुछ हो अगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप जिन्दा रखेंगे तब तो वह अंडे देगी, लेकिन अगर अंडे के लालच में मुर्गी को ही खत्म कर देंगे तो फिर अंडे की आशा न रखिये ।

पिछली बार अभी-अभी कहा गया था कि ७५ अरब में से छठवें हिस्से पर मुहर लगाई गई थी और उसमें ५ अरब रुपया प्राप्त हुआ था । एक बात यह कही गई थी जो हमारी समझ में

नहीं आती है कि हमारे प्रदेश को केन्द्रीय सरकार ने रुपया कम क्यों दिया और ज्यादा क्यों नहीं दिया । हम देखते हैं कि केन्द्र को सारा देश चलाना पड़ता है । अगर इस तरह की भावना पैदा होने लगे कि वहां कम क्यों दिया और वहां ज्यादा क्यों दिया तो ठीक नहीं है । हमें इस बात का खयाल नहीं करना चाहिये । अगर हम सयाने हैं तो बच्चों को खिलाने के लिये अपने को भूखा रखने की कोशिश करनी होगी । इसी तरह से हमें पूरे देश को देखना है । अगर सचमुच हमें भारत की सेवा करना है तो अपने ऊपर संयम करके प्रगति के रास्ते पर चलना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

*श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, लगान के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में मेरी राय यह है कि ३६०० रुपये तक इंकम टैक्स नहीं लिया जाता है व्यापारी से तो किसानों में भी इसी आमदनी तक लगान नहीं लगना चाहिये । इससे ऊपर की आमदनी वाले किसानों पर लगान लगना चाहिये । किसानों और व्यापारियों के बीच में बड़ा भेद किया जा रहा है । किसानों को उसके गल्ले की सही कीमत दिलाई जाय । दरअसल में इसका कोई सही तरीका सामने नहीं आया । इसके संबंध में मेरी राय यह है कि अगर किसान के एक बीघे में तीन मन गल्ला पैदा होता है तो उसको १६ रुपये मन के हिसाब से उसकी कीमत ४८ रुपये मिलनी चाहिये । अगर किसी कारण किसान की खेती में नुकसान हो जाय यानी ओला पड़ जाय, पाला मार जाय या सूखा पड़ जाय और किसान की पैदावार बजाय तीन मन प्रति बीघे के केवल ३० सेर प्रति बीघा ही हो तो उसको उस गल्ले की कीमत वही ४८ रुपये मिलनी चाहिये । वरना उसकी माली हालत ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर किसी व्यापारी के कारखाने में आग लग जाती है तो जब तक उसका नुकसान पूरा नहीं हो जाता तब तक उससे इंकम टैक्स नहीं लिया जाता है ।

श्रीमन्, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की मौजूदा सरकार एक ऐसा काला कौआ है जिसकी चोंच तो किसान के खेत में और पूंछ बनिये के घर में है । वह किसान के खेत में खाकर किसान को खाद तक नहीं देना चाहता है और उसको बनिये के घर में देता है । मैं आगरा जिले से आया हूं । हमारे यहां बाह तहसील है, वहां पर मानसिंह डकैत हुआ है जिसको सारा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है । वह मालदारों को लट कर गरीबों को धन दिया करता था । लेकिन हमारी सरकार गरीबों से लूटकर मालदारों को देती है । उदाहरण के तौर पर किसानों से एक फसल पर सवाया गल्ला लिया जाता है और दूसरी फसल पर भी सवाया गल्ला लिया जाता है । इस तरह से किसान से १०० पये के १५० रुपये लिये जाते हैं जब कि व्यापारी से १०० रुपये के केवल १०४ या १०५ लिये जाते हैं । यह किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ? और बराबर यह कहा जा रहा है कि हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं ।

श्री अध्यक्ष—हमदर्द का सवाल नहीं है । प्रश्न इस समय वृहत् जोतकर का है । आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री मुलतानसिंह—बहुत अच्छा महाराज, मैं नया आदमी हूं । मैं पंजाब का रहने वाला हूं । मैंने यहां आकर देखा है, वैसे हम हमेशा यह देखते आये हैं कि शेर के साथ बकरी भागती है लेकिन इस प्रदेश में बकरी के साथ शेर भाग रहा है । किसानों का जितना शोषण किया जा सकता है वह किया जा रहा है । सरकारी बेंच की तरफ से एक माननीय सदस्य ने कहा कि १२ एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं देनी चाहिये । ठीक है । लेकिन उनकी बिरादरी वाले और उनके रिश्तेदार रोजाना करोड़ों रुपये की सम्पत्ति क्यों खरीद रहे हैं ? उस पर भी बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है ? एक दिन वह आयेगा कि २०० या १०० रुपये के धंधे में रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुलतानसिंह]

जायगा किसान की भी सुनी जायगी । जब तक आपकी मैजारिटी है आप अन्याय करिये, हम सहते रहेंगे । लेकिन जिस दिन हम आयेंगे उस दिन इसका बदला चुकायेंगे ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान अपने कानपुर जिले की कुछ खेती संबंधी योजनाओं के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे जिले में काफी जमीन रेह के बढ़ने से ऊसर होती जा रही है । हमारे यहां कानपुर में ऐग्रीकल्चरल कालेज है । उसमें इस तरह के रिसर्च के काम होते हैं । मैं चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरल कालेज जो कि जमीन की मिट्टी को देखता है, वह इस बात की भी रिसर्च करे कि कानपुर की उस ऊसर मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो भूमि का पुराना ऐक्ट है उसमें भी परिवर्तन होना आवश्यक है । जमींदारी उन्मूलन के बाद यह निश्चय किया गया कि भूमि का एलाटमेंट गांव सभाओं द्वारा भूमिहीन मजदूरों को हो, जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन भूमि असली भूमिहीनों को नहीं मिल पा रही है ।

श्री अध्यक्ष—यह आप दुर्भिक्ष पर बोल रहे हैं ? तीन विषय हैं—वृहत् जोत कर, मालगुजारी और दुर्भिक्ष ।

श्री मुरलीधर कुरील—वृहत् जोत कर, दुर्भिक्ष और मालगुजारी के सिलसिले में बोल रहा हूं ।

मैं यह कहना चाहता था कि जहां पर यह बात है कि गरीबी न बढ़े, भुखमरी न बढ़े, दुर्भिक्ष न हो, उसको रोकने के लिये बिल का सही तरीके से संशोधन हो, जिससे लोगों को भूमि मिले । इसं लिये आवश्यक है कि कानून में परिवर्तन किया जाय । जैसा कि मैं अभी कह रहा था, सही लोगों को गांव सभाओं द्वारा एलाटमेंट होता नहीं है । जोरदार लोग अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा जमीन को उनसे वापस ले सकें । गांव सभाओं के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अदालत में जा कर लड़ें और जिसको जमीन मिलनी चाहिये उसको मिल सके । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कानून में परिवर्तन करके, जिला स्तर पर एक एलाटमेंट कमेटी बनायी जाय और उसके द्वारा जो गांव सभायें सही एलाटमेंट नहीं करतीं हैं वह मामले उस कमेटी के सामने आयें और वह उनका सही रूप से एलाटमेंट करे । इस विषय में जिलाधीश को कोई अधिकार नहीं है । अगर कोई गलत एलाटमेंट होता है और जिलाधीश से शिकायत की जाय तो जिलाधीश सिवाय इसके कि एलाटमेंट को खारिज कर दे और कुछ नहीं कर सकता । दोबारा फिर गांव सभा उसी आदमी को एलाट कर सकती है । इस तरह से अगर जिलाधीश दस बार एलाटमेंट खारिज करे तो दस बार गांव सभा उसी आदमी को एलाटमेंट कर सकती है । इसलिये इसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है ।

जहां तक वृहत् जोत कर की बात है वह तो एक तरह से जब से जमीन पर सीलिंग का कानून पास हुआ है करीब-करीब समाप्त है । जो बड़े बड़े काश्तकार थे उन्होंने आपस में इस तरह से बटवारा कर लिया है कि शायद वह जो जमीन उनसे मिलती और भूमिहीनों को दी जाती, अब नहीं मिलेगी, जो वृहत् जोत कर था वह भी समाप्त सा हो गया है । तो इस तरह के जो आपस में बटवारे हुये हैं उनको सरकार को देखना चाहिये कि वह सही हैं या नहीं ? और एक ही परिवार के अगर चार व्यक्ति हैं, लड़की, स्त्री और पुरुष और सब मिलकर के अगर वह सब एक ही परिवार में बटवारा कर लेते हैं तो वह कहां तक सही है ? इन चीजों को देखना चाहिये । अगर गलत बटवारा हुआ है तो उसको कैंसिल करके सीलिंग के आधार पर दूसरे लोगों को वह भूमि मिलनी चाहिये । वरना उस सीलिंग के कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है और उससे उस भूमि-

हीन खेतिहर के लिये जिसके लिये कि आशा की जाती थी कि उसको कुछ लाभ होगा उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

अभी उस तरफ के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ३,६०० रुपये सालाना आमदनी पर कर लिया जाता है, लेकिन खेती करने वालों पर भी अगर ३,६०० पर ही कर लिया जाय तो वह उचित नहीं है । जहां तक मुझे याद पड़ता है बृहत् जोतकर में ३,६०० नहीं बल्कि ४,२०० रखा गया था कि ४२ सौ के ऊपर जिसकी आमदनी होगी उससे लेंगे । तो जहां तक किसान के मामले में छूट का सवाल है हर दिशा में सरकार ने किसान का सदैव खयाल रखा है और अब भी बराबर सरकार को खयाल है । इसलिये यह कहना कि किसानों का कोई खयाल सरकार नहीं रख रही है और गरीबों से पैसा लेकर के अमीरों की सहायता कर रही है, यह मैं समझता हूं सही नहीं है । आज की जितनी योजनायें हैं, और मैं समझता हूं कि जहां तक कि ब्लाक स्तर की योजनायें हैं, वह तो अधिकतर खेती करने वालों और खेती की तरक्की पर ही निर्भर है । उन्हीं के लिये सरकार ने सारी योजनायें बनाई हैं । अगर उनसे लाभ उठाया जाय और ब्लाक के कर्मचारियों से सहयोग किया जाय और इन योजनाओं में सहयोग देखकर के कार्य किया जाय तो मैं समझता हूं कि गांव में रहने वाले चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, चाहे खेती करने वाले किसान हों, उन सबके लिये काफी व्यापक स्थान है जिससे कि उन्हें लाभ हो सकता है तथा उनकी तरक्की हो सकती है । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं चार विषयों के बारे में अपने सुझाव और अपनी आपत्तियां रखना चाहता हूं । पहला विषय चकबन्दी है । चकबन्दी का जहां तक सिद्धान्त है, यह अच्छा है, चकबन्दी होनी चाहिये, यह ठीक है । परन्तु श्रीमन्, चकदन्दी जिस प्रकार से अपने प्रदेश के अन्दर की जारही है उसके द्वारा किसानों को कितना लाभ हुआ है यह अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि छोटे छोटे किसान जो हैं वह उसके द्वारा बिलकुल तबाह होते जा रहे हैं । जिस समय रेकार्ड आपरेशन्स होते हैं उस समय छोटे किसान को पता नहीं चल पाता है और उसकी अव्वल दर्जे की जमीन खराब श्रेणी में दर्ज कर ली जाती है । लेकिन जो लोग होशियार होते हैं वह बंजर खेतों को भी जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है उनको भी अच्छी श्रेणी में दर्ज करा लेते हैं और जब चकों के बनने का सवाल होता है तो वह डेढ़ दो बीघे वाला किसान या मुराई जो होता है, जो उसमें सब्जी उगाकर या किसी तरह अपना पेट भरता था वह तबाह हो जाता है, उसकी जीविका के सारे साधन समाप्त हो जाते हैं । मैं फतेहपुर जिले का रहने वाला हूं और तहसील फतेहपुर में जो चकबन्दी हुई है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है । मैंने कई ऐसे किसानों को खुद देखा है और उनसे यह पता चलता है कि चकबन्दी के द्वारा कैसे हर प्रकार का अन्याय उनके ऊपर हुआ है ।

जहां तक उसके खर्चे की वसूली की बात है, मैं उसके बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि चकबन्दी को कोई भी किसान चाहता नहीं है । हमारे माननीय माल मंत्री अगर राय लेना चाहें तो किसी क्षेत्र में राय ले सकते हैं, ३० प्रतिशत भी किसान चकबन्दी कराने के लिये तैयार नहीं होंगे । यह चकबन्दी जबरदस्ती की जा रही है और सरकार की तरफ से की जा रही है । यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कि किसी को बुखार न हो, लेकिन डाक्टर उससे जबरदस्ती कहे कि नहीं, तुमको बुखार है और तुम्हें इलाज कराना ही पड़ेगा । ठीक ऐसी ही बात चकबन्दी के बारे में है । किसानों की इच्छा के विरुद्ध यह चकबन्दी की जा रही है । मेरी प्रार्थना है कि यह चकबन्दी सरकार खुद कर रही है इसलिये किसानों से खर्चा वसूल करने की बात गलत है । उस खर्चेको सरकार को खुद ही बरदाश्त करना चाहिये ।

अब चकबन्दी के बाद दूसरी बात, जिस तरफ की मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह सी०एल०आर०डी० है । वास्तव में यह किसान के लिये एक विचित्र बला आई जिसको वह गरीब समझ नहीं पाता है कि वह क्या है । किसी किसान से २०० रुपया और किसी

[श्री रक्षपालसिंह]

से १५० रुपया मांगा जाता है । वह पूछता है कि आखिर मेरे पास उतने ही खेत हैं और जमीन खरीदी भी नहीं गई तब भी उससे यह पैसा क्यों मांगा जाता है । लेखपाल के कहने के अनुसार उन पर सी० एल० आर० डी० लगा दी जाती है । यह तरीका बिलकुल गलत है । एक बड़े भाई के नाम एक खेत चढ़ा है और दूसरा भाई अगर उस पर अपना नाम चढ़वाने की कोशिश करता है और दूसरे भाई का नाम पहले से चढ़ा हुआ है उसको यह पता होते हुये भी उस पर वह सी० एल० आर० डी० लगा दी जाती है । कहते हैं कि नया खाता कायम हो गया है । हम लोग माल का काम करते हैं तो इस वजह से जानते हैं कि ज्वाइन्ट खेत पर दूसरे भाई का नाम चढ़ गया तो सी० एल० आर० डी० लग जाती है ।

यह कहा गया था कि जिन स्थानों पर जिन बागों की हैसियत खत्म हो गई है उन स्थानों पर लगान लगा दिया जाय, लेकिन देखने में यह आता है कि सभी बागों पर, कुछ प्रमुख आदमियों के बागों को छोड़कर, लगान लगा दिया गया है । एक बात और सी० एल० आर० डी० की बतलाऊं कि इसका लगान ३, ४ लोगों से एक ही खेत के बारे में वसूल किया जाता है । यदि कोई अधिवासी था तो अधिवासी को देना पड़ता है । नया काश्तकार हो गया है तो जब उसका नाम चढ़ता है तो तीन साल का उसको पिछला देना पड़ता है । इस तरह से एक ही खेत का कई काश्तकारों को लगान देना पड़ता है । यह सी० एल० आर० डी० के अन्तर्गत धारा ७ है जिसके अन्तर्गत ऐसा हुआ है । असामी वाली जमीन पर जब से सीरदार हो जायगा तब से लगान दुगुना देना पड़ेगा । जब असामी का लगान है तो असामी के नाते उसको लगान देना पड़ता है परन्तु जब सीरदार हो जायगा तो उसको सर्किल रेट से दुगुना लगान देना पड़ेगा, ऐसी बहुत सी घटनायें हुई हैं । इसके बारे में कई स्थानों पर पहले सूचना बताई गई थी कि ऐसा हुआ है, लेकिन उनको आपत्ति करने का मौका नहीं दिया गया । फतेहपुर जिले में ऐसा हुआ है और उन स्थानों पर यह सुविधा होनी चाहिये और उनको आपत्ति करने का मौका मिलना चाहिये ।

एक मेरी मांग और है जिसको मैं सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं । ये लेखपाल किसानों को बहुत गुमराह करते हैं । सरकार द्वारा प्रत्येक लेखपाल को यह आदेश दिया जाय कि वह काश्तकार को साल में दो मर्तबा खतौनी और खसरा का रिकार्ड दे । वह पैसा लेकर उनको न दिया जाय ताकि किसानों को लेखपाल की इन्ट्री के बारे में पता चल जाय । १०, ५ साल तक किसानों को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि किस तरह से वे दाखिल खारिज करते हैं । यदि सरकार द्वारा इस प्रकार से कर दिया जाय तो इसमें खर्च होने की कोई सम्भावना नहीं है, लेकिन ऐसा करने से किसान को गुमराही से बचाया जा सकता है ।

वृहत् जोतकर के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वह यह है कि वृहत् जोतकर के बारे में जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर एक सज्जन दावा कर देते हैं, जो उस काश्तकार का रिश्तेदार होता है, अगर वह यह कह देता है कि इस खेत पर मेरा कब्जा १० साल से है, चाहे कब्जा कागजात पर हो या न हो, लेकिन ए० सी० ओ० और सी० ओ० से मिलकर वह अपना नाम दर्ज करा लेता है । यह तरीका बन्द होना चाहिये । नहीं तो यह कार्य सरकार का इन-एफेक्टिव होकर रह जायगा, अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा । जय भारत ।

श्री अध्यक्ष—कृपा कर यहां जय भारत न कहा कीजिये ।

*श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं वित्त मंत्री जी को इतना सुन्दर बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं, लेकिन उसके साथ में यह भी आवश्यक समझता हूं कि जो कमियां हैं,जो दिक्कतें हैं उनकी ओर भी आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करूं। जमींदारी समाप्त होने के पश्चात् जो जमीन जमींदारों ने छोड़ी थी वह ग्रामसमाज में निहित हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गई । उसका सारा प्रबन्ध ग्राम समाजों के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन १० साल के कार्य का अनुभव यह बतलाता है कि ग्राम समाज उस सम्पत्ति की रक्षा करने में बिलकुल असफल रहा है । हुवा यह है कि ग्राम समाज की जमींनें मौके पर लिखी हुई हैं, कागज में दुरुस्त हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सब लोगों ने जमीनों को जोत लिया है और उन पर अपना कब्जा कर लिया है । जब हमारे अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया जाता है तो डिप्टी साहब आदेश देते हैं तहसीलदार को रिपोर्ट करने के लिये, तहसीलदार नायब तहसीलदार को लिखता है, नायब तहसीलदार कानूनगो को लिखता है और कानूनगो लेखपाल को रिपोर्ट करने के लिये लिख देता है और मामला वहीं रह जाता है । जिसकी साठगांठ से कब्जा हुआ है जब उसी से रिपोर्ट मांगी जाती है तो असलियत कैसे सामने आ सकती हैं ?

दूसरी बात यह है कि ग्राम समाजों ने भूमि का पट्टा करने में उस नीति का परित्याग कर दिया है जो उनके लिये नियत की गयी थी । उन्होंने पट्टा उन्हीं लोगों को किया है जिनके पास भूमि है । भूमिहीन तत्व आज भी भूमि से वंचित रह गये हैं और जो चलते पुर्जे लोग हैं उन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर बेजाब्ता कब्जा कर रखा है । भूमिहीन आज परेशान हैं ।

चकबन्दी के लिये यह सही है, जैसी कि आपकी रूलिंग हुई, वह आज का विषय नहीं है, लेकिन सभी भाई उस के लिये कह रहे हैं इसलिये मैं अनुमति चाहूंगा कि दो शब्द उसके लिये निवेदन कर दूं । चकबन्दी में मेरा अपने अन्य भाइयों के विचारों से मतभेद है । मैं उस क्षेत्र का हूं जहां चकबन्दी हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष––जो विषय नहीं है उसके संबंध में यदि किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसे अनसुना करके आप विषय पर ही रहें ।

श्री बद्रीप्रसाद––एक हल्के से रेफरेन्स के बाद विषय पर आ जाऊंगा । चकबन्दी जहां भी हुई है उससे बड़ा फायदा हुआ है । लेकिन उसमें एक फ्ला मालूम होता है जिसकी ओर मैं आपका तथा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें जिस समय का मूल्यांकन होता है उसकी सही सूचना उस जमीन के मालिक को नहीं मिलती है और उसका परिणाम यह होता है कि चक कटने में गलती हो जाती है । अगर हमारे माल मंत्री जी इसे दुरुस्त करा दें तो जनता को बड़ी सुविधा हो जायगी ।

दूसरे, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां बहुत सी जमीन ऊसर, बंजर पड़ी हुई है । जिसमें रेह है । अगर उसे किसी प्रकार से सुधारा जा सके तो बड़ा फायदा हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में एक स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाया करता है और मीलों के रकबे में वह पानी भर जाता है और इस कारण वहां खेती नहीं हो सकती । जरूरत इस बात की है कि वहां का सर्वे कराया जाय और वहां का पानी निकालने का प्रबंध किया जाय ताकि उस क्षेत्र में खेती हो सके ।

श्री हुकुमसिंह विसेन––वाटर लागिंग इरिगेशन से संबंधित है, इसी तरह से ऊसर, बंजर .....

श्री अध्यक्ष––वह आज पहली बार बोल रहे हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन––तो बोल लें सब कुछ :

श्री बद्रीप्रसाद––चौथी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि दुरुस्ती कागजात में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को । जहां तक विधान का संबंध है उसके मुकदमें बड़े सीधे और सरल से हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में उनमें बड़ी दिक्कत होती है । साढ़े ४, ५ रुपये का खर्च उसमें होना चाहिये, लेकिन साढ़े १३ रुपया खुल्लमखुल्ला लिया जाता है । रजिस्ट्रार कानूनगो का दफ्तर

[श्री बद्रीप्रसाद]

कामधेनु बन गया है । तहसील विधूना में ५०० की जगह ५,५०० मुकदमें दुरुस्ती कागजात के पड़े रहते हैं . . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—किसी खास केस के बारे में आप बतला दें । ऐसे कह देने से कोई कार्यवाही कर पाना सम्भव नहीं होगा । आप किसी खास कैस के बारे में बतलायें कि उसमें इतना रुपया लिया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद—मैं उनको खास केस देने के लिये भी तैयार हूं, लेकिन वह यह आश्वासन दें कि उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी । वहां गुलछर्रे उड़ते हैं, लोग मौज करते हैं और आवश्यकता इस बात की है कि वहां सुधार किया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप खास केस दे दीजिये, मैं इंक्वायरी करा लूंगा ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया ।

मैं माननीय भानु प्रतापसिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस वृहत् जोत कर अनुदान के संबंध में एक-दो बातें बताना चाहता हूं । श्रीमन्, वृहत् जोत कर के संबंध में एक कानून सन् १९५७ में बना था । इसमें जो भूमि की अधिकतम सीमा रखी गयी थी वह ३० एकड़ रखी गयी थी । पहली जुलाई १९५७ को यानी १३६५ फसली को इतनी भूमि जिसके पास थी उस भूमि पर टैक्स लागू हुआ और वृहत् जोत कर ऐक्ट के अनुसार सन् १९२७ से पूर्व जहां बन्दोबस्त हुए वहां टैक्स निर्धारण के हेतु मालियत निकालने के लिये L.L.H.T. Act के Sec. 5 के sub-Section (२) के अनुसार ५० फीसदी लगान में वृद्धि कर सकते हैं । यह Rent Rate में वृद्धि, में मिसाल के तौर पर बताता हूं, कि जालौन जिले में हुई । वहां सन् १९२७ के पूर्व बन्दोबस्त हुआ । उसमें कुछ जागीरदारी को छोड़ कर बाकी सभी जगहों पर टैक्स लगाने के हेतु मालियत निकालने को लगान ५० फीसदी बढ़ दिया गया । जो लगान यह ड्योढ़ा कर दिया गया तो उससे किसानों की मालियत पर बहुत बड़ा असर पड़ा । न जाने किस कारण से इसके विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा १८ जुलाई को एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नम्बर है, G.O.No. २७३४/आई० सी० ४८००–१९५७, दिनांक १८ जुलाई, १९६० । इससे यह स्पष्ट हो गया कि १३६५ फसली की जोतों पर कर निर्धारण में यह बढ़े हुए रेन्ट रेट लागू नहीं किये जायेंगे । यह पत्र २ वर्ष बाद प्रकाशित हुआ, उसके पूर्व ही जिले के सारे केसेज तय हो गये थे और उन पर असेसमेंट हो गया और कर वसूली भी हो गई थी । उनके लिये अपील की कोई गुन्जाइश नहीं थी और न ही रिवीजन हो सकता था, उपरोक्त पत्र जिसमें यह आदेश था कि बढ़े हुये लगान की दरें १३६५ फसली में लागू नहीं होगी, कर दाता को किसी न्यायालय में आश्रय पाने की गुन्जायश नहीं थी । तो इससे यह सिद्ध हुआ कि अनुचित रूप से टैक्स लगाया गया और वह वसूल भी हुआ । अतः इस संबंध में मैं माननीय माल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उन किसानों के प्रति विश्वास बढ़ाने के हेतु यह विचार करें कि उनसे जो ज्यादा टैक्स लिया गया है वह वापस कराने की कृपा करें । इससे उनके प्रति और भी श्रद्धा बढ़ सकती है ।

मैं फसली १३६५ सन् के वृहत् जोतकर ऐक्ट के अनुसार निर्धारित कर के संबंध में कुछ आंकड़े देता हूं । इस बढ़े हुये Rent Rate के हिसाब से जिस मालियत पर कर लगा है उसमें और जो बगैर बढ़े Rent Rate पर कर लगता उसमें कितना अधिक फर्क है । आप देखें कि Act के अनुसार १८०० पर टैक्स निल है । उसके बाद ३२०० पर ५ न० पै० प्रति रु० है । फिर नैक्स्ट ५००० पर १० न० पै० प्रति रु० है । नेक्स्ट १०,००० पर २० न० पैसे, नैक्स्ट १०, ००० पर ४० नये पैसे, नैक्स्ट १०,००० पर ६० नये पैसे प्रति रुपया टैक्स है । इस प्रकार ४० हजार की आय पर १३,२५० रुपये होता है । और अगर यह रेन्ट न बढ़े तो उसी

रकम पर वह टैक्स ६,०५०रुपये होता है । इस प्रकार किसान को ७,२०० रुपये अधिक देना पड़ता है। तो श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार १८ जुलाई १९६० का जो राजस्व विभाग का सर्कुलर निकला है उसके इफेक्ट पर विचार होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि उस संबंध में क्या व्यवस्था होगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ समझ में आया नहीं ।

श्री विजयसिंह—यह वृहत् जोतकर ऐक्ट रेपील हो गया है और इसके संबंध में जो खर्चा Grant No. १ में मांगा गया है, उस कार्य को अगर रेगुलर लोगों से करायें तो कुछ कमी हो सकती है । यह कहा जा सकता है कि एस्केप्ड इन्कम के लिये डिपार्टमेन्ट रखा जायगा उसी के लिये यह grant है । जो मुहकमा सीलिंग का काम कर रहा है उन्हीं के द्वारा वृहत् आय कर का काम करा लें तो व्यय में कुछ कमी हो सकती है । क्योंकि सीलिंग के लिये जो staff है वही वृहत् जोत कर का भी कार्य कर सकता है क्योंकि अब कार्य बहुत थोड़ा हो गया है ।

रेवेन्यू अनुदान के संबंध में माननीय भानुप्रतापसिंह ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं यह विशेष रूप से कहता हूं कि लेखपाल को महामान्य गवर्नर महोदय से भी ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उस स्थान पर जहां कि वह रहता है। तो इस प्रकार से किसानों को जो परेशानी रहती है उसको बन्द किये जाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—मान्यवर, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये माननीय भानुप्रताप सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी भावना के कारण मैं उसका विरोध करता हूं यद्यपि अपना प्रस्ताव रखते हुये उन्होंने जो बहुत सी बातें कहीं उनसे सहमत हूं । किन्तु जिस भूमिका के साथ उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की हैं कि जमीदारों और ताल्लुकेदारों की पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी या जनसंघ, किसानों की नुमाइन्दा या प्रतिनिधि कहलाने वाली पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा किसानों की अधिक हितैशी है । उन्होंने ६७ फीसदी जिन किसानों को दुहाई देकर तीन एकड़ भूमि के ऊपर से लगान हटा देने की बात कही वह केवल उनकी वाकपटुता की बात है । इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने उस बात को बहुत ही होशियारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ रखा है । किन्तु उससे जो तीन करोड़ रुपये की हानि होगी उसके लिये उन्होंने यह दलील दी कि सरकार तो डेफिसिट बजटिंग करती ही है और कर्ज लेती है और यह सुझाव नहीं दिया कि इस कमी को कहां से पूरा किया जायगा । डेफिसिट बजट के यह माने नहीं होते कि खाली डैफिसिट कह देने से ही काम चल जायगा, आखिर किसी न किसी मार्ग से तो पूर्ति करना आवश्यक होता ही है ।

उन्होंने जो मालगुजारी के आंकड़े पेश किये उसमें भी उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया ? १८२१ से १९४६–४७ तक के आंकड़ों को उन्होंने पेश किया । जब हमारा बजट २५–३० करोड़ से ज्यादा का नहीं होता था उस समय ३३–३४ फीसदी मालगुजारी थी और आज जब हमारा दो अरब का बजट है तो पांच परसेन्ट मालगुजारी के अर्थ क्या होते हैं, यह हमारे भानुप्रतापसिंह जी भी अच्छी तरह से समझते हैं किन्तु चूंकि उनको यह सिद्ध करना था कि वह किसानों और खासकर छोटे किसानों के बड़े हितैशी हैं ।

(इस समय १ बज कर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, पीठासीन हुये ।)

मैं उनकी इस बात को मानता यदि वह साथ ही इस बात का भी प्रतिपादन करते कि राजस्व में जो ३ करोड़ की रकम घट जायगी उसको, ५० या १०० एकड़ से ऊपर की जोत वाले जो हैं उन पर यह अतिरिक्त भार डाल दिया जाय । और इस तरह से जो तीन करोड़ का घाटा

[श्री देवदत्त]

हो रहा है उसकी पूर्ति हो सकेगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया क्योंकि वे तो केवल किसानों के हिमायती ही अपने आपको सिद्ध करना चाहते थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिये 'हर्रा लगै न फिटकरी, रंग चोखा आवे,' के अनुसार वे अपने को किसानों का हितैषी साबित करना चाहते थे। इस प्रकार की बातों से सिवाय वाग्जाल के और कोई लाभ जन-साधारण को होने वाला नहीं है।

मैं इस प्रसंग में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यद्यपि सरकार की नीति सही है, किन्तु उस नीति का कार्यान्वियन ठीक प्रकार से १५ वर्षों के बाद भी नहीं हो पाया है। कई बार राजस्व मंत्री का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया है, लेकिन अभी तक पर्याप्त सुधार नहीं होने पाया है। जिस वक्त पटवारियों को हटाकर लेखपाल बनाये गये थे तो इसी सदन में यह कहा गया था कि लेखपाल के द्वारा जो एन्ट्रीज होंगी उन एन्ट्रीज का तब तक कोई मूल्य नहीं समझा जायगा जब तक उनको प्रापर आथारिटी एन्डोर्स न कर देगी। किन्तु आज ठीक इसके उल्टा होता है। लेखपाल किसी को जमीन किसी दूसरे के नाम लिख देता है उसके बाद जब वह यह कहता है कि इसमें संशोधन कर दिया जाय तो उससे कहा जाता है कि तुम कोर्ट में जाओ। इस प्रकार से लेखपाल की गलती का खमियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। उसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और खामख्वाह लेखपाल की शरारत से उसको १००–२००–५०० रुपया भुगतना पड़ता है।

एक बात की ओर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव समाजों और लेखपालों के बारे में जिला परिषद् ऐक्ट में कुछ दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि लेखपाल भूमि प्रबंधक सेक्रेटरियों के रूप में बने रहेंगे। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि लेखपाल का इतिहास बताता है कि गांव के अन्दर अगर कोई सबसे बड़ा समाज विरोधी तत्व है तो वह लेखपाल है। अगर यह कर दिया गया तो जो इस अधिनियम से गांव वालों को लाभ होने वाला है वह न हो पायेगा। लेखपाल के मानस को इतने दिनों की हुकूमत के बाद भी यह प्रशासन नहीं बदल सका है और वह आज पुराने पटवारी की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक हो गया है। माननीय राजस्व मंत्री जी जो जन भावना का समादर करते हैं, उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के स्टेप्स लें जिससे लेखपाल को इस प्रकार की कार्यवाहियों पर अंकुश लग सके। इससे किसान को जो परेशानी होती है वह उसको न उठानी पड़ेगी।

एक निवेदन और है मुझे मालूम है कि १९५०–५१ में किसानों से भूमिधरी के लिये १० गुना लगान जमा कराया गया था, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम आजतक शिकमी काश्तकारों अथवा अधिवासियों में बना हुआ है। उनको भूमिधरी के अधिकार नहीं दिये गये हैं। १०–१२ साल हो गये, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका रुपया भी वापस नहीं किया है। यह किसी भी प्रशासन के लिये शोभा की बात नहीं है। जिस बात के लिये जनता से रुपया जमा कराया गया न तो वह काम ही किया गया और न उसका रुपया ही वापस किया गया। आज हजारों लाखों की तादाद में इस प्रकार का रुपया हमारे किसानों का राजस्व विभाग में जमा है। हमारे राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि उदाहरण देने चाहिये तो मैं उनको नोट कराता हूं कि उन्नाव जिलान्तर्गत पुरवा तहसील में बिसरामऊ गांव में १८ किसान ऐसे हैं जिन्होंने १० साल पहले भूमिधरी का रुपया जमा किया है, लेकिन बावजूद इसके कि उनको भूमिधरी की सनदें भी मिली हुई हैं उनको भूमि पर अधिकार नहीं मिला।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपने नाम नहीं बताये। उनकी फेहरिस्त दे दीजिये।

श्री देवदत्त—मैं उनमें से एक का नाम बताता हूं। महंगू जो बिसरामऊ गांव का प्रधान है, उसका मामला है। मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि निम्नस्तर के प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा जो यह काम हुआ करते हैं उससे सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है।

इसके अतिरिक्त जो जमीन की बेदखलियां हो रही हैं उसके संबंध में मैं श्री भानु प्रतापसिंह जी से बिलकुल सहमत हूं कि पुलिस विभाग के कर्मचारी लोग कितना आतंक वहां पैदा कर रहे हैं। जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और जब पुलिस को ऐप्रोच किया जाता है तो वह कहते हैं कि तुम कानूनी कार्यवाही करो। वह कोई ऐक्शन नहीं लेते। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सैकड़ों बीघा जमीन सार्वजनिक खलिहान काबिज न कर लिये गये हों। इस तरह के जो समाज विरोधी तत्व हैं उनके ऊपर अगर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता तो यह सब चीजें प्रशासन को बदनाम करने के लिये की जाती हैं और खेद की बात है कि उस प्रशासन में जब उच्चाधिकारियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जाता है तो कुछ कार्यवाही नहीं होती। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि उन्नाव जिलान्तर्गत, पुरवा तहसील में बैगूलाल खेरा नामक एक मजरा है उसी के पास एक गांव है माधोपुर। वहां पुराने जमींदार ने सार्वजनिक खलिहान को तोड़ डाला और उसके ऊपर इमारत खड़ी कर ली और जब इसकी शिकायत वहां की पुलिस से की गयी और डी० एम० और एस० डी० ओ० से की गयी तो वह कोई ऐक्शन नहीं लेते। तो यह हरकत हमारे प्रशासन के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातों पर बहुत काफी ध्यान देने की जरूरत है।

श्री किसना (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सामने मैं दो बातों पर अपने विचार रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि १० बीघे तक के यानी ६ एकड़ तक के किसानों पर लगान हमारे विचार से खत्म हो जाना चाहिये उसका कारण यह है कि मैं देवरिया जिले की बात कहूं जहां के लोग हिन्दुस्तान के कोने-कोने में स्टेशनों पर कुली मिलेंगे। गोरखपुर जिले के मिलेंगे। कोलरीज जहां कोयला निकलता है आज सब लोग जानते हैं वहां इन्हीं जिलों के कुली मिलेंगे। आप जानते हैं कि वहां लोग कितने गरीब हैं। इसलिये १० बीघा खेत जोतने वालों पर लगान जरूर खत्म हो जाना चाहिये। जेकरा पास १० बीघा जमीन बा और परिवार में १०, १५ या ७-८ आदमी बा, त १० बीघा से कम जोते वाला लोग का कभी खाये के भर भेट मिले ला नाहीं। इसलिये १० बीघा खेत पर जो लगान है वह बिलकुल खतम हो जाये के चाहीं। जहां तक हदबन्दी के सवाल बा हमरा विचार से जे अपना जांगर से जेतना खेती कर सके ओतने खेत ओ लोग का पास रहे के चाहीं। मशीन के अलावा अपना जांगर से जेतना खेती कर सके ओतने खेती रखे के चाहीं। जब तक जांगर वाली खेती न होगी तब तक देश में अन्न की पैदावार न होगी, अन्न की उपज न होगी। जब तक मन का बदलाव न होगा, तब तक देश में अन्न या कपड़े की पूर्ति नहीं हो पावेगी। जब आप देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दूसरों से खेती कराने वाले लोगों के खेत के अन्न की पैदावार कम होती है और जो लोग अपने जांगर से खेती करते हैं, अपने हाथ से जो लोग अपने बैल, मवेशी की सेवा करते हैं उनकी मवेशी अच्छी होती है और जो लोग मजदूरों से, नौकरों से काम कराते हैं उनकी खेती बढ़िया नहीं होती। तो हमारा तो यह विचार है कि जिन लोगों के खेत में पैदावार कम हो उनके पास बिलकुल खेत रहना चाहिये ी नहीं। खेत उनके पास रहने चाहिये जिनके पास जांगर हो। जांगर चोर कहते हैं नंहिए हरवा, चलिहे हरवा, चलइहे सनिया, ऐसे गेहूं नहीं मोटाई, न धान गदराई, और न ऊख के पोर बढ़ सकी। जब आयन जांगर लागी तबे जाके अन्न के पैदावार बढ़ सकी।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सब समझ सकें।

श्री किसुना---यह तो हमने उस दिन भी कहा था कि पश्चिमी जिले वाले हमारा भाव समझने की कोशिश करें। हम पूर्वी जिले में रहते हैं जिसके किनारे छपरा जिला है। इसलिये हमारी भाषा भोजपुरी है। त हमरा बोली में और पश्चिमी जिला की बोली में कुछ फर्क जरूर पड़ी। हमारा कहना यह है कि जो हम कहते हैं उसके भाव को आप लोग समझने की कोशिश करें। जांगर से ही अन्न के पैदावार बढ़ सकी। जिन लोगों के पास जांगर है

[श्री किसुन]

उनके पास खेत ही नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग मेहनत करें, परिश्रम करें। तो परिश्रम कैसे करें? परिश्रम हम करते हैं, लेकिन उचित मजदूरी नहीं पाते, जिससे हमारा मन नहीं लगता इसलिये कि जब दूसरों के खेत में काम करने के लिये जाते हैं और जब हल की मुठिया अपने हाथ में लेते हैं तो हमारे मन में यही भाव आ जाता है कि हम कितना मेहनत करते हैं मजदूरी हमको उतनी ही मिलती है। इसलिये बड़ी जोत वालों से कह दिया जाय कि वे खुद जितना खेत जोत बो सकें उतना ही अपने पास रखें।

हमारी यह निश्चित राय है कि लगान की वसूली गांव सभाओं को दे दी जाय। गांव सभाओं को दे देने में सरकार की भलाई है, राज्य मंत्री की भलाई है। आपने लगान वसूल करने के लिये जो कर्मचारी रखा है, उससे भी अपने ऊपर खर्च का बोझ आपने बढ़ाया है। दूसरी बात यह है कि वे लोग भी वही काम करते हैं जो पहले सामन्तों के सिपाही करते थे। पहले जहां सामन्तों के सिपाही सेर भर सतुआ में १५ दिना मौका देते थे वहां इनके सिपाही बीस आना लेकर ७ दिन का ही मौका देते हैं। यह तो उन के सिपाही उन की जड़ खोद रहे हैं। अगर गांव सभाओं को वसूली दी जाय तो सरकार को कोई हानि नहीं है और उस से गांवसभाओं को जो पैसा मिल जायगा उससे गांव की उन्नति होगी। इस लिये मैं चाहता हूं कि दस बीघा से कम जमीन पर लगान बन्द हो। जितने जिस के पास जांगर हो उतनी खेती उसको दी जाय और उससे अधिक जमीन छीन ली जाय।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने माल मंत्री जी को इस अनुदान के लिये बधाई देता हूं। जहां तक माल विभाग के अधिकारियों का संबंध है हमारी सरकार के सभी कर्मचारी जहां तक बन पड़ता है वह अपने कर्त्तव्य में पीछे नहीं रहते और सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिये भरसक प्रयत्न करते हैं। जब भी मालगुजारी वसूल करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसमें कुछ कठिनाई अवश्य होती है। कोई आदमी ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो वह स्वंय जाकर तहसील में रुपया जमा कर आये। हम देखते हैं कि जितने लोगों की आर्थिक दशा, किसानों की या जमीदारों की अच्छी है वही सब से देर में रुपया जमा करते हैं और बाद में रुपया देते हैं जब कि अमीन बार-बार उन के घर पर जाता है। और वही फिर अमीनों पर दोष लगाते हैं कि अमीन ऐसा करता है रिश्वत लेता है और अधिकारी यह करते हैं। यह हमारे कर्मचारी कोई विदेश से नहीं आये हैं वे भी हमारे आप के भाई हैं जो यह काम करते हैं। उनका भी यह काम है कि वे जनता को लाभ पहुंचायें और जो कार्य सरकार ने उनको सौंपा है उसको वह पूरा करते हैं और सरकार को पैसा वसूल कर के देते हैं जिस से कि सरकार चलती है। यदि वह सरकारी कर्मचारी वसूली न करें और छोड़ दें तो आप बता सकते हैं कि सरकार की जो यह आय होती है जिस से कि उस का काम चलता है वह कामकैसे चलेगा। जहां तक अमीनों की या कर्मचारियों की शिकायतें हैं कुछ कमिया होती हैं और रहती हैं, लेकिन वह शिकायतें इतनी अधिक नहीं हैं जितनी बढ़ा चढ़ा कर यहां माननीय सदस्य रखते हैं।

वैसे जहां तक जमीन का संबंध है मैं इस बात को मानता हूं कि पंचायतों की बहुत सी जमीनों पर बड़े लोगों ने और सरपंचों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन इसमें शिकायत किस की कौन करता है, जितने लोग इधर के हैं उन में इतने लोग पंचायतों की जमीनों पर कब्जा करने वाले नहीं ह जितने के ऐसे लोग उस तरफ बैठे हैं। नेता लोगों ने ही इस तरह से ज्यादा पंचायतों की जमीनें ले रखी हैं इसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। सरकार ने तो कह ही रखा है कि ऐसी जमीनें खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को दी जांय तो इसमें कौन सी शिकायत है। पंचायतें ठीक आदमियों को जमीनें नहीं दे पाती हैं तो इसमें सरकार का क्या दोष है। जो सरगना लोग होते हैं वही जमीनों को आपस में बांट लेते हैं और वह गरीब भूमिहीनों को नहीं मिल पातीं है। मेरा सुझाव है कि यदि इस तरह की जमीनें कहीं पर हों और सरकार नियम के अनुसार दे सकती हो तो सरकार को अवश्य देनी चाहिये, और यदि नहीं है तो सरकार मजबूर

है। जब पंचायतों का नियम बनाया और उनको दे दी तथा उनके अधिकार में है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती।

जहांतक चकबन्दी का प्रश्न है, उसमें प्रारम्भ में ही कुछ त्रुटियां थीं उन्हें सुधारा गया, उसके लिये अधिनियम में संशोधन किया गया। इस समय जो चकबन्दी की जा रही है उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जहां तक रिश्वतखोरी की बात है उसको दूर करने के लिये सरकार ने भरसक प्रयत्न किये हैं। लेकिन फिर भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो यह समाज का दोष है, हमारा और आपका दोष है। सरकार का दोष नहीं। समाज में इस तरह की चेतना होनी चाहिये जिससे एक भी आदमी भ्रष्टाचार न कर सके। आखिर को सरकारी कर्मचारी भी अपने ही हैं, और जिनको दोषी पाया गया है उन्हें निकाला भी गया है। इस संबंध में मैं फिर भी एक सुझाव देना चाहता हुं यदि कहीं ऐसी शिकायतें हों तो ऐसे अधिकारियों को अवश्य सजा मिलनी चाहिये और सरकार समय-समय पर सजा देती भी रही है। जहांतक उच्च श्रेणी के अधिकारियों का प्रश्न है वे अपने नीचे वाले अधिकारियों की त्रुटियों की परवाह नहीं करते। मैं मंत्री जी से कहुंगा कि वे अवश्य उन पर ध्यान दें जिससे वे अपने नीचे के कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखें और देखें कि सही काम करते हैं कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम उन को बजाय इसके कि भाई चारे से समझायें, उन पर दोषारोपण करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे खिन्न हो कर परवाह नहीं करते हैं। और जब परवाह नहीं करते तो सरकार पर दोष लगाया जाता है। परन्तु सरकार का उतना दोष नहीं है जितना कि हमारा और आपका है। अगर हम और आप किसी दोष को दूर करना चाहें तो अवश्य दूर कर सकते हैं। हमको हर बात जनहित में सोचनी चाहियें क्योंकि सरकार भी हमारी ही है, हम, आप और सरकारी कर्मचारी उसके अंग हैं तथा जो भी दोष हों उनको दूर करने की कोशिश करें और जो दोषी नहीं हैं उन पर दोष नहीं लगाना चाहिये।

एक बात और माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मैं २, ३ साल से यह देख रहा हूं कि पहले जितने अमीन और तहसीलदार हरिजन वर्ग के रखे जाते थे उतने आज नहीं रखे जा रहे हैं और जो हैं भी उनको दोष लगा कर निकाला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि १८ फीसदी के हिसाब से उनकी नियुक्ति की जाय और जो उन पर दोष लगाया जाता है कि नाकाबिल है वह निराधार है क्योंकि वही लोग दूसरी जगहों में अच्छे साबित होते हैं। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अमीनों में, तहसीलदारों में और कानूनगो के पद पर जहां-जहां आप उनको रख सकते हैं पूरी तरह से उनके सुरक्षित स्थानों की पूर्ति की जानी चाहिये क्योंकि हमने जनता से वायदा किया है कि १८ फीसदी स्थान हरिजनों को देंगे। एक तरफ तो उस प्रतिशत को पूरा नहीं किया जाता है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े अधिकारी उनको निकाल देते हैं, रहने नहीं देते। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि १८ फीसदी की पूर्ति होनी चाहिये ताकि उन गरीबों की समस्या जिनकी जिम्मेदारी हमने ली है, हल हो। लेकिन माल विभाग में ऐसा हो नहीं पा रहा है।

जहां तक माल विभाग का कार्य है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और उसका अनुसरण दूसरे प्रान्तों ने भी किया है। हमारी कार्य शैली तथा अधिकारियों की बड़ी प्रशंसा की है। जब कि हम दूसरे प्रान्तों में गये हैं और वहां के अधिकारी लोग यहां सीखने के लिये आये हैं। इस लिये मैं पुनः माल मंत्री को बधाई देते हुए यह निवेदन करता हूं कि इन गरीब हरिजनों और सुरक्षित स्थानों के लिये वे विशेष ध्यान दें।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, भूराजस्व की मांगे पेश करके माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रश्न उपस्थित कर दिये हैं। प्रश्न इस प्रकार से है क्या यह राजस्व की मांग प्रगतिशील है अथवा दकियानूसी तरीके से पेश की गयी है? मैं जब दकियानूसी तरीके से पेश करने की बात करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यह मांग यथास्थिति पर विचार कर के ही पेश की गयी है। यथास्थिति जब कहता हूं तो उसका अर्थ यह होता है कि माल मंत्री महोदय

[श्री केसरीप्रसाद]

ने भूमिहीन किसानों की बात, खेतिहर मजदूरों की बात, छोटी जोत वालों की बात और उससे बढ़ कर उन सभी लोगों की बात मान ली है जो खेती किया करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, वकालत करते हैं, फिर भी उनके नाम से खेत पड़े हुए हैं और वे किसान कहे जाते हैं। ऐसे सभी लोगों को मिला जुला कर उन्होंने किसान की परिभाषा में लाने की कोशिश की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह यथास्थिति ही नहीं, बल्कि सहअस्तित्व की बात भी है। जहां पर छोटे किसान हैं वहां पर बड़े किसान भी रख दिये जाते हैं। बड़ा किसान कभी भी खेती नहीं करता, कभी भी वे खेतिहर नहीं रहे, लेकिन किसान के नाम से वह इस प्रदेश में पुकारे जाते हैं और उसके साथ जितनी भी बुराइयां निहित है, सब उसके साथ लगी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सहअस्तित्व में हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि बड़े छोटे को खा जाते हैं। कोई दिन ऐसा आयेगा जबकि बड़ा किसान, जिसके पास दो दो हजार एकड़ के फार्म हैं और सारी सुविधायें उसको उपलब्ध हैं, छोटे किसान को खा जायगा और उसे समाप्त कर देगा। ऐसी स्थिति में मैं माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि आमूल परिवर्तन हो जाय तो यह पचड़े हमेशा के लिये खत्म हो जायंगे। यह श्रेय हमारे माल मंत्री को प्राप्त है। उन्होंने अपने ही मंत्रित्व काल में जमींदारी अबोलीशन किया और उसको करके उन्होंने इस प्रदेश की जनता को राहत दी। क्या मैं उनसे उम्मीद करूं कि वह ऐसा कदम उठायेंगे जिसमें कि छोटे किसानों को, भूमिहीनों को, जमीन दे कर उन्हें राहत देने की कोशिश करेंगे और जो छोटे किसानों व सरकार के बीच में इंटरमीडियरी हैं, जो किसान नहीं हैं, दूसरे किस्म के पेशे करने वाले हैं, उनको भी वह खत्म कर देंगे।

मैं इस बात को इसलिये कहता हूं कि हमारी नीति रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी, लैंड टु दी टिलर आफ दि स्वायल (land to the tiller of the soil)। जो खेती करता है, जो खेत में हल चलाता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बीज डालता है, काट कर अपने घर में रखता है, ऐसे ही किसान को किसान की संज्ञा मिलनी चाहिये और उसी के पास जमीन रहनी चाहिये ऐसा ही आदमी खेती की पैदावार बढ़ा सकता है और इस देश को समृद्धि-शाली बना सकता है। जब मैं लैंड टु दी टिलर की बात करता हूं उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात जरूर आती है कि आखिर किस तरह से उसके पास जमीन पहुंचे।

यहां पर सीलिंग की बात कही गयी, डबुल सीलिंग की बात कही गयी। एक तरफ ४० एकड़ की बात और दूसरी तरफ साढ़े १२ एकड़ की बात। मैं आपसे नम्रता से यह कहूंगा कि आप फ्लोर की बात कीजिये सीलिंग के बजाय, तो निश्चय ही हमें फायदा होगा। एक जोत की जमीन जिसको किसान अपने बाहुबल से, साधन व सुविधाओं से जिसमें सरकारी सहायता भी सम्मिलित है, कमा सकता है, जोत सकता है, रख सकता है वह १०० बीघा है। ऐसी जमीन निश्चित रूप से हर किसान को मिलनी चाहिये जो अपने बाहुबल से खेती कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति इस प्रदेश में पैदा हो जाय तो यह एक नमूना होगा देश के लिये। जब फ्लोर निश्चित हो जायगी तो सीलिंग अपने आप ढहती चली जायगी क्योंकि उसके बाद उसको रुकने की कोई गुंजायश नहीं रह जाती है। अगर फ्लोर की पद्धति हम मान लें और प्रत्येक ऐसे किसान को जो किसान की संज्ञा को सार्थक करता है कम से कम एक हल की जोत दे दे तो आप देखेंगे कि सारी समस्यायें हल हो जायंगी और तमाम इंटरमीडियरीज का जो खेती के नाम पर स्वयं कुछ भी न करके उससे लाभ उठाते हैं उनका सफाया हो जायगा और एक जन हितकारी पद्धति इस प्रदेश में लाग हो जायगी।

जहां मैं फ्लोर की बात करता हूं वहीं मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वह यह कि पटवारी पद्धति को तो समाप्त कर ही देना चाहिये। इसने बहुत से झगड़े खड़े कर रखे हैं। इसने इस सरकार को भी बदनाम कर रखा है और इस प्रदेश की जनता को, छोटे और बड़े किसान को परेशान कर रखा है। बड़ा किसान तो फिर भी अपने रोब, हैसियत और साधनों के कारण

उस पर गालिब हो जाता है, लेकिन छोटा किसान रात दिन पिसा जा रहा है, कराह रहा है, परेशान हो रहा है, । आपके पड़ोसी राज्य बिहार में पटवारी की कोई पद्धति नहीं है । यह काम बहुत आसानी से गांव समाज को सौपा जा सकता है । यदि वहां पर किसी किस्म की बदमाशी होगी तो फौरेन गांव वाले गांव समाज के उस सदस्य को पकड़ लेंगे और उस गलती को तुरन्त ठीक कर लेंगे । तो इस तरह के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता इस प्रदेश को है और वह आमूल परिवर्तन आना चाहिये कम से कम माल मंत्री श्री हुकुमसिंह के जरिये ।

श्रीमन्, अमीन की बात कही जा रही है । वह भी एक ऐसा प्राणी है इस प्रदेश में जिसकी वजह से जन और धन, दोनों का नुकसान हो रहा है । अभी अभी मेरे जिला जौनपुर में एक अमीन पकड़ा गया । सम्भवतः वह मुअत्तल भी किया गया है । उसने १७ हजार रुपये खाये । कैसे खाता था ? अगर किसी किसान से दस रुपये लिये तो उसे तो वह रसीद दस रुपये की ही देता था लेकिन अपने काउन्टर फायल में एक ही रुपया दर्ज करता था । जैसा कि हमारे साथी माननीय भानुप्रताप जी ने कहा, जब अमीन जाता है तो अपने साथ वारंट से कम कोई चीज ले ही नहीं जाता और किसान को अपना घर, बैल, गहने आदि सब गिरवी रखने पर मजबूर करता है । श्रीमन्, उधर बैठे हुये जो पुराने जमींदार चुन कर यहां आये हैं उसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी अमीन की है । अगर काई अमीन या पटवारी चाहे तो किसी को भी हरा सकता है और किसी को भी जिता सकता है । अगर एलेक्शन के दौरान में कोई अमीन कड़े तरीके से वसूली शुरू कर दे तो किसान परेशान हो जाता है । ऐसी स्थिति में अमीन को खत्म करना और गांव समाज को मालगुजारी वसूल करने का काम सौपना बहुत आवश्यक है ।

चकबन्दी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा . . . .

श्री अधिष्ठाता—चकबन्दी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री केसरीप्रसाद—अभी तक तो आपने आज्ञा दे रखी थी । मेरे ऊपर प्रतिबन्ध हो तो दूसरी बात है । चकबन्दी में बहुत परेशानी है । एम० पी० आर० गलत आते हैं । अपील आब्जेक्शन्स और चक फारमेशन २४ घंटे में हो जाया करते हैं जबकि २१ दिन उसमें लगने चाहिये । शाहगंज तहसील जौनपुर में चकबन्दी खत्म हो गयी है और रिपोर्ट में माल मंत्री ने कहा भी है । वहां गैरबाह एक गांव है जिसमें ८ हजार ऐसे खाते हैं जिनकी एक हफ्ते के अन्दर चकबन्दी की गयी और कह भी दिया गया कि वहां चकबन्दी खत्म हो गयी, लेकिन आज भी वहां चकबन्दी ठीक नहीं हुई । डिमार्केशन सही ढंग से नहीं हो पाया है । चकबन्दी अफसरों का व्यवहार अच्छा नहीं है । बदजबानी कर देना, बदइखलाकी कर देना यह आये दिन का काम हो रहा है । मैं आपको याद दिला दूं कि शाहगंज से कांग्रेस हारी, जौनपुर में कांग्रेस हारी । उस का मुख्य कारण था कि वहां चकबन्दी गलत तरीके से की गई और गलत अफसरों के जरिये की गई और बेईमानी का वहां पर बोलबाला था । इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लैंड टैन्योर में आमूल परिवर्तन होना चाहिये । यह तभी हो सकता है जब कि लैंड टु दि टिलर आफ दी स्वायल का उसूल रखा जाय । पटवारियों तथा अमीनों की प्रथा को खत्म कर दिया जाय । चकबन्दी यदि आवश्यक हो तो सही रूप में ईमानदार और अच्छे अफसरों के द्वारा चलायी जाय तभी काम चल सकता है और सरकारी कार्यकलाप अभिशाप न होकर वरदान बन जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त ।

*श्री काणराय (जिला रामपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया । मैं कई दफा इस मामले में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्याणराय]

माननीय मंत्री जी से भी मिल चुका हूं कि हमारे यहां लगान १७/१८ रुपये फी एकड़ है। इसकी क्या वजह है। सैकड़ों कानून रोज बनते हैं, लेकिन जब से रामपुर रियासत प्रदेश में मर्ज हुई है तब से अब तक यह कानून क्यों नहीं बदला गया? हमारे यहां जो कलेक्टर थे वे इस समय रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। तमाम यू० पी० में हमारे यहां लगान सब से ज्यादा है। जो हिस्सा रामपुर का नैनीताल से मिलता है उस हिस्से में नैनीताल का लगान कर दिया जाय, जो मुरादाबाद से मिलता है वहां पर मुरादाबाद का लगान कर दिया जाय और जो हिस्सा बरेली से मिलता है वहां पर बरेली का लगान कर दिया जाय। हमारे यहां रेवेन्यू ४५ लाख रुपया है जबकि बरेली जो हमारे यहां बड़ा है उसकी रेवेन्यू केवल ३८ लाख रुपये ही है। इसलिये श्रीमन्, हमारी प्रार्थना है कि ऐसा कानून बनाया जाय जिससे हमारे यहां भी लगान एक सा हो जाय।

हमारे यहां के किसान बहुत परेशान हैं। उनके ऊपर १२,१४ लाख रुपया कोआपरेटिव का बाकी है और वे बनिये के कर्जदार हैं जब हम इलाके में जाते हैं तो छप्पर के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता अगर लगान कम नहीं किया जायगा तो पता नहीं जनता कब तक बरदाश्त करेगी, क्योंकि आजकल जनता शिक्षित हो चुकी है। अपने यहां मैं ही केवल देहात की बात कहने वाला रह गया हूं। मेरे एक साथी गवर्नमेंट में आ गये हैं और एक शहर के हैं। कहीं भी ६ रुपये एकड़ से ज्यादा रेवेन्यू नहीं है हमारे यहां १७–१८ रुपये फी एकड़ है। किसान बहुत गरीब है। वहां के किसान की हालत बहुत गिरी हुई है। मैंने तो मुख्य मंत्री जी से कहा था कि आप चलिए वहां पर, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। वहां स्टेट के जमाने से ही गरीबी बहुत थी। अब जब कि हमारी रियासत मर्ज हो गयी है तो वही पुराने कानून, वही पुराना लगाना चलता रहे, यह बड़े अफसोस की बात है। हमारे मंत्री जी चूंकि जमींदार भी रह चुके हैं सब चीज जानते हैं। वह भी जमींदार हैं, मैं भी जमींदार हूं। उनको जरूर सोचना चाहिए कि हमारे यहां किस तरीके का लगान तेज है। अंत में मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि रुपया तो खर्च के लिए चाहिए जरूर जब रेवेन्यू नहीं होगा तो खर्चा चलेगा कहां से? लेकिन हमारे यहां का जो रूल है उसको खत्म करना चाहिए। मैं इसके साथ अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके समक्ष माननीय माल मंत्री महोदय का ध्यान निम्न तथ्यों की ओर दिलाते हुए प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

पहली बात मुझे यह निवेदन करनी है कि नगर के रहने वाले माननीय मुख्य मंत्री और माल मंत्री जी अगर तीन हजार प्रति वर्ष की आमदनी पर ही टैक्स देते हैं तो क्या कारण है कि वे तीन हजार से कम आय करने वाले देहात के रहने वाले किसान से मालगुजारी वसूल कर रहे हैं। एक सा नियम आपको रखना चाहिए। संविधान की धारा १४ के अन्तर्गत सब वर्गों और जातियों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। आपने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऐक्ट भी बनाया था। उसमें भी-कर जो निर्धारण नीति रखी गयी थी वह भी आपने इस मालगुजारी के अलावा रखी थी। जमींदारी खात्मे के पहले काश्तकारों से वसूल किये जाने वाली रकम को, कर को आप लगान कहते थे, जमींदारों से लिये जाने वाले कर को आप मालगुजारी के नाम से पुकारते थे। जमींदारी अबालिशन के बाद अब काश्तकारों से जो लगान लिया जाता है उसको भी मालगुजारी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आप सोचे कि आपने नाम तो बदल दिया, लेकिन भूमि कर में कोई परिवर्तन नहीं किया। जमींदारों व काश्तकारों से लिये जाने वाले लगान की दर में आप वही अन्तर रखे है। अगर एक बीघा का लगान जमींदार एक रुपया देता है तो काश्तकार से दस रुपये फी बीघे के हिसाब से उसी जमीन का कर क्यों ले रहे हैं? क्या आपने मालगुजारी का नये सिरे से क्लासिफिकेशन किया? आप यह देखिये कि ३० जून, १९५२ से पहले काश्तकारों के मालिक जो जमींदार थे उन पर क्या भूमि टैक्स था और आज किस हिसाब से उसी जमीन से और काश्तकारों

स आप टैक्स ले रहे हैं, यदि यह देखें तो आपको मालूम होगा कि आप जमीदारों के प्रतिनिधि हैं, काश्तकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो काश्तकार मेहनत करके शिकमी की तरह खत को जोतते थे उनको आपने मौरूसी हकूक तो दे दिये लेकिन दस रुपया अगर किसी जमीन का असली काश्तकार देता था तो ५० रुपया उसी जमीन का शिकमी काश्तकार देता था और उससे भूमिधरी के लिए आपने उसका दस गुना ५०० रुपया लिया है, लेकिन असली से कितना लेते ? उन शिकमियों को आपने अधिवासी के राइट्स दिये हैं, उसमें वही काछी, मोराई, कुर्मी वगैरह आते हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है और जो हमारे मालमंत्री हैं उनके पास हजारों बीघे जमीन हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि वह सदन के समक्ष आंकड़े रखे कि कितना लगान आपने किस्मवार जमीन से भूतपूर्व जमींदारों व काश्तकारों से लिया है । ८ अगस्त, सन् ४६ के बाद जिस तारीख से कि आपने जमींदारी खात्मे की बात की और उसके बाद ६ साल तक जो जमींदारी को खत्म नहीं किया तो उस बीच में हजारों बीघे जमीन उन जमींदारों के पेट में समा गई, वह जमीदार कुछ इधर बैठे होंगे, कुछ उधर बैठे होंगे । जरा आंकड़े बताइए, उनसे कितना राजस्व वसूला है ? अधिकतम जोत के अन्दर क्या आपने उस जमीन को लिया है ? आपकी नीति तो ऐसी है कि जिससे गरीब और गरीब होता जाय और जिसके पास पैसा है वह अधिक पैसे वाला होता जाय ।

जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २४६, २४७ तथा २४८ में मालगुजारी में कुछ कमी करने की बात आपने रखी है । लेकिन कोई आधार उसका निश्चित नहीं किया गया । आज सर्किल रेट से जो लगान उनके ऊपर पड़ता है उससे कहीं अधिक उन्हें देना पड़ता है और जो कि जमीन पर मेहनत करते हैं, उनसे सबसे ज्यादा लगान आप लेते हैं । आप अपने डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स को देख जाइए । मैंने अपने जिले फतेहपुर के गजेटियर को देखा है उसमें लिखा है—
Kurmies pay the highest rent because they are the best cultivators.
अर्थात् कुर्मी सबसे ज्यादा लगान पे करते हैं क्योंकि वह सबसे अच्छे किसान है । इसी तरीके से काछी, मोराव, लोध वगैरह हैं । दूसरी तरफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट के अन्तर्गत देखिए । जो जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, ३ साल से अधिक उसका कब्जा होने पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा १८० या नये ऐक्ट की धारा २०९ के अनुसार वे बेदखल नहीं हो सकते थे और उस जमीन के सीरदार हो सकते थे और दस गुना देकर वे उसके भूमिधर भी हो सकते थे और जमींदार के हकूक खतम हो जाते थे, लेकिन उनके जमींदार जो पाकिस्तान चले गए उनके हकों को आपने फिर से रिवाइव (जीवित) कराया है । उनकी जमीन पर अगर कोई काबिज है तो उसको वह अधिकार नहीं हैं जो और दूसरों की जमीन पर काबिज होने वाले को हैं । इस तरह आपने गद्दार भगौड़ जमींदार को इनाम दिया है कि तीन साल तक उसकी जमीन पर काबिज रहने के बाद भी उसके काश्तकार को उसके हकूक तब तक नहीं दिये जा सकते जब तक काबिज काश्तकार लगान की १५-२० गुना न दे दे, क्योंकि उस भाग जाने वाले जमींदार के मरे हुये हकूक को आपने फिर से रिवाइव (जीवित) कर दिया है । तभी तो इसको देखने से यह मालूम हो जाता है कि आप किसके एजेंट हैं । आप आज भूमि-कर ले रहे हैं मेहनत करने वाले से । अपनी इस बुनियादी नीति को आप बदलिए ।

इस सिलसिले में मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । पहली चीज यह कि मेहनत करने वाले काश्तकार पर टैक्स न लगाया जाय और जो पुराने जमींदार हैं जिनका लगान सब लगान देने वालों से कम है उनकी मालगुजारी के रेट्स बढ़ा दिये जायं । गोहान की जमीन का जितना लगान एक काश्तकार से लिया जाता है उतना उसी जमीन पर पुराने जमींदार से भी लिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं ।

श्री जगन्नाथसिंह—अधिष्ठाता महोदय, जो माल मंत्री महोदय ने मांग पेश की है मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं । पहले मैं जो सम्मानित सदस्य द्वारा कहा गया

[श्री जगन्नाथसिंह]

है कि बहुत सी जमीन जोत में नहीं लाई गई और वह बेकार पड़ी है, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि सब जमीन इकट्ठा जोत में नहीं की जा सकती, और भी जरूरतें हैं। हमें यह देखना है कि वां पर पेड़ लगाये जायं। कुछ यह जो शिकायत हुई है कि रेगिस्तान बढ़ रहा है उसके लिये भी प्रबन्ध किया जाय। इसके अतिरिक्त मान लीजिये कि गवर्नमेंट पूरी जमीन की जोत का प्रबन्ध कर देती है तो फिर आपके जो पशु हैं उनके लिये क्या प्रबन्ध रहेगा। इसलिये यह कहना कि नहीं साहब यह गवर्नमेंट इस मामले में बहुत फेल हुई और उसने जमीन को पूरे तौर पर नहीं जोता है और सब जमीन बेकार पड़ी रही और उससे हमारी पैदावार बढ़ जाती थी तो यह नामुमकिन बात है। जो एग्रीकल्चर के अलाइड सबजेक्ट्स हैं वह बेकार हो जाते हैं। पशुओं के लिये या रेगिस्तान के लिये जो एक्सपर्ट ओपीनियन है वह भी व्यर्थ रह जाती है। इस कारण से मेरा कहना यह है कि जितना हमारी गवर्नमेंट ने इस विषय में किया है और जो कर रही है वह बहुत काफी है।

दूसरी चीज जो जोर से कही जा रही है कि साहब कुछ लोगों का लगान माफ कर देना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्स और लैन्ड रेवेन्यू में कुछ थोड़ा फर्क होता है। लैन्ड रेवेन्यू दूसरी चीज है और टैक्स दूसरी चीज है। आपके सामने एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स है। टैक्स जो होता है वह इंडस्ट्री पर या दूसरी चीजों पर होता है। मान लीजिये कोई जमीन है और कोई इंडस्ट्री किसी जमीन को लेती है तो उसका किराया वह देगी। आप जमीन को इस्तेमाल करते हैं तो उसका लगान देते हैं। टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स अलग चीज है। इसलिये यह कहना कि टैक्स इतना बढ़ गया और इन छोटे काश्तकारों का लगान माफ कर देना चाहिये, यह जरा नामुमकिन बात है। आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि डेवलपमेंट किया जाय, गांव की तरक्की की जाय और दूसरी तरफ जो आमदनी के जरिये हैं उनमें कमी कर दी जाय, तो यह उचित नहीं मालूम होता है। सम्मानित सदस्य भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि ३ करोड़ की कमी इस बजट में आयेगी और यह बजट इतना बड़ा है कि इसमें अच्छी तरह से यह मैनेज किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि अभी तो यह बजट डैफिसिट है क्या इसके अलावा और यह ३ करोड़ रुपया इसमें से कम कर दिया जाय? मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इस ३ करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के विषय में आपने कोई सजेशन दिया? दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं कि हर आदमी के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो बराबरी कैसे हो सकती है? जब एक तरफ आप यह कहते हैं कि इतने आदमियों का लगान माफ कर दिया जाय जिनके पास जमीन कम है तो इस सीलिंग ऐक्ट के हिसाब से एक दिन वह आयेगा कि जब सभी लोगों का लगान माफ करना पड़ेगा। एक जमीन जो आज है वह आगे को और कम हो जायगी। उसका परिवार बढ़ेगा। उनके पास जो उतनी जमीन है वह जमीन बटेगी। जब जमीन बटेगी तो हर आदमी कुछ रोज के बाद उसी जगह पर आजायगा और उसकी जमीन भी कम हो जायगी। उन सबकी जमीन का लगान माफ करना पड़ेगा। इसलिये मेरी समझ में उनकी दलील नहीं आई।

तीसरी चीज जो विरोधी पक्ष की तरफ से कही गई और जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया था उन्होंने भी कहा कि यह जो अमीन हैं यह धन का दुरुपयोग करते हैं इसलिये डिपार्टमेंट इन लोगों को खत्म करे और गांव समाज के जरिये मालगुजारी को वसूल कराया जाय। मेरा कहना यह है कि हो सकता है कि कुछ अमीन ऐसे हों जो गड़बड़ करते हों और ज्यादतियां करते हों, लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखिये। आपके ग्राम समाज किस प्रकार काम कर रहे हैं और उनकी संपत्ति किस प्रकार बरबाद हो रही है। कुछ प्रधान ऐसे हैं जो यह देखते हुये भी कि समाज की संपत्ति बरबाद हो रही है, लाठी के डर के मारे कुछ बोलते नहीं। यदि आपके सुझाव को कि मालगुजारी ग्राम समाज द्वारा वसूल करायी जाय,

मान लिया जाय तो, प्रधान कुछ लोगों से तो लगान वसूल ही नहीं कर सकता और कुछ गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा ज्यादती और जुल्म होने की संभावना है। किसी सिस्टम में सारी बुराइयां या सारी भलाइयां ही नहीं हो सकती हैं। आपको देखना चाहिये कि जो खराबी उसमें पैदा हो गयी है उसे दूर करने की कोशिश की जाय और बहैसियत वकील के मेरा जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि लगान वसूली का काम ग्राम समाज को दिया गया तो उससे बड़ी आफत पैदा होगी और बहुत झगड़े होंगे।

यह जरूरी बात है कि जहां अमीन इस प्रकार के गड़बड़ काम करते हैं उनको नोटिस में लाया जाय और विभागीय अधिकारियों को चाहिये कि उनके साथ कड़ाई करें। हमारे ग्राम समाज आज इस स्थिति में नहीं हैं कि वे यह भार उठा सकें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो आप उनको देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले यह भी तो देखें कि वे कितना टैक्स अपना वसूल कर पाते हैं। बहुत से लोगों से टैक्स नहीं वसूल हो पाता। ६०, ६५ परसेंट क्रिमिनल केसेज में यह प्ली दी जाती है कि दूसरा फरीक चूंकि गांव का प्रधान खिलाफ है इसलिये इस केस में फांसा गया है तो ऐसी सूरत में ग्राम समाज इस काम में असफल सिद्ध होंगे। सारी जमीन जितनी परती पड़ी हुई है वह सब भी हल के नीचे नहीं लायी जा सकती। ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा होने पर रेगिस्तान (इरोजन) बहुत बढ़ जायगा।

इसके अतिरिक्त आपको कोयला मिलता नहीं, लकड़ी की आवश्यकता काफी है, वह भी मिलनी कम हो जायगी। आपको वनों की आवश्यकता है। आपको फलों की आवश्यकता है, उसके लिये आपको पेड़ और लगाने चाहिये। इसी तरह अमीनों की बात है। जहां डिफेक्ट्स हैं उनको हमें दूर करना चाहिये और इन बातों को कह कर मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भानुप्रताप जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश एक योजना के काल से गुजर रहा है और योजनाओं का मुख्य लक्ष्य यह है कि हमारे प्रदेश का उत्पादन हर क्षेत्र में बढ़े। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का खास आधार यह हो सकता है कि हमारे कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए लागू किये जायं।

मान्यवर, जमींदारी खात्मे के बाद दो मुख्य भूमि सुधार हमारे प्रदेश में हुये हैं, एक तो चकबन्दी और दूसरे जमीन की हद बन्दी। मैं पहले जमीन की हदबन्दी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता था कि माल मंत्री जी अपने भाषण में कुछ तथ्य तथा आंकड़े हम लोगों के सामने रखेंगे जिसमें यह बतायेंगे कि इस कानून के बनने के बाद इस दिशा में क्या प्रगति हुई, कितनी जमीन मिलने वाली थी और कितनी जमीन मिली, उस पर कितना खर्चा हुआ और कितना खर्च होने का अनुमान था। माननीय माल मंत्री जी ने इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिये। संभवतः यह चीज उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। हम समझते हैं कि आज सरकार भी इस निश्चय पर पहुंच चुकी है कि इस सीलिंग बिल के पास होने पर कोई भी जमीन इस प्रदेश के भूमिहीन किसानों को मिलने वाली नहीं है। माल मंत्री जी के कथनानुसार ६ लाख एकड़ भूमि मिलने की उम्मीद थी जब यह कानून बना था। लेकिन अभी हाल ही में माननीय मुख्य- मंत्री जी ने एक सभा में यह कहा कि इस कानून द्वारा एक बिस्वा भी जमीन मिलने की आशा नहीं है। अतः सरकार भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इसका कोई असर भूमि सुधार पर पड़ने वाला नहीं है, जैसा हमने व हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था।

बात यह है कि हमारी सरकार की जो भूमि के बटवारे की नीति रही है वह बहुत गलत रही है और जो अच्छी दिशा में जाने के बजाय उल्टी दिशा की तरफ ले गई है। करीब

[श्री भीखालाल]

८६ लाख एकड़ परती जमीन जमींदारी खात्मे के बाद ऐसी थी जो खेती योग्य थी और जो ग्राम सभाओं को दी गयी थी। उसमें से ५४ लाख एकड़ सार्वजनिक उपयोग के लिये निकाल कर बाकी ३२ लाख एकड़ ऐसी थी जो किसानों को बांटी जा सकती थी लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो प्लानिंग कमीशन को भेजी गयी, ग्राम समाजों द्वारा सन् ५९ तक केवल ३ लाख एकड़ जमीन बांटी गयी है और २९ लाख एकड़ बाकी है। इसके अलावा एक लाख एकड़ जमीन कालोनाइजेशन द्वारा और एक लाख एकड़ जमीन भूदान द्वारा और बांटी गयी। कुल मिलाकर ५ लाख एकड़ जमीन बांटी गयी है। ग्राम समाजों द्वारा जब ३ लाख एकड़ ही बांटी गयी हैं तो बाकी २९ लाख एकड़ जमीन बचती है। लेकिन जब सीलिंग बिल पास हुआ तो उस समय माल मंत्री महोदय ने कहा था कि ग्राम समाजों के पास २४ लाख एकड़ जमीन बाकी है।

मेरा निश्चित मत है कि यह जमीन केवल कागजों पर है मौके पर नहीं है। मैं पूछता हूं कि वह सब जमीन कहां गायब हो गयी, किस तरह से गायब हो गयी? हमारे देश की यह विशेषता है कि जमीन गायब होती रहती है और सरकार को पता नहीं होता। जमीनें गायब होने की प्रक्रिया इस उदाहरण से सिद्ध हो जाती है। सन् ४७ से सन् ५९ तक हमारे प्रदेश की जोतों का रकबा ४ करोड़ २० लाख एकड़ था वही रकबा ५९ के बाद बढ़कर ४ करोड़ ५८ लाख एकड़ हो गया। यह ३८ लाख एकड़ जमीन कहां से आई, कैसे आई? इसका कुछ पता नहीं। ३८ लाख एकड़ जोतों का रकबा उसी समय में बढ़ा जिस समय के भीतर केवल पांच लाख एकड़ जमीन बांटी गई।

आज जमीन ऐसे लोगों के पास है जो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय भानुप्रताप सिंह जी की इस बात से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि फलां साल तक १७ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी उसके बाद जब सीलिंग बिल आया तो बड़े-बड़े फार्मर्स ने नयी जमीनों को तोड़ना बन्द कर दिया और उसके बाद ७ लाख एकड़ जमीन ही तोड़ी गयी। मैं इससे सहमत हूं कि जमीन कम तोड़ी गयी, लेकिन हदबन्दी के भय से तोड़ी जाना बन्द हो गयी यह मैं नहीं मानता। कानून तो पहले भी था कि जमीन अगर परती रहेगी तो निकाल ली जायेगी। जमीन के निकल जाने का भय उनको ज्यादा नहीं था। वाकया यह है कि जमींदारी खात्मे के बाद जमींदारों ने परती जमीनों को घेर लिया था और शुरू में जमीन तोड़ने का उत्साह भी काफी था इसलिये जमीनें तोड़ी गईं, परन्तु धीरे-धीरे उनकी क्षमता घट गई और जमीनों का तोड़ना कम हो गया।

आज वास्तव में हाल यह है कि काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है। हमारे जिले में, कानपुर के एक बड़े भारी पूंजीपति हैं, मिल मालिक हैं, और कांग्रेस की ओर से पार्लियामेंट के मेम्बर भी हो गये हैं, उनके पास १ हजार बीघा जमीन बेकार है जो परती पड़ी हुई है। हमारे जिले के सदस्य माननीय श्री रामजी बैठे हैं वह जानते हैं, उनके क्षेत्र में यह जमीन स्थित है। एक तरफ जमीनें बेकार हैं और दूसरी तरफ खेतिहर मजदूर और श्रम बेकार है। भूमि सुधारों की दिशा ऐसी होनी चाहिये कि बेकार जमीनें और बेकार आदमी एक जगह लगाये जायं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

आज खेतिहर मजदूरों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। एग्रीकल्चरल लेबर इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मैं दो तीन आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सन् १९५० में हमारे प्रदेश के जो खेतिहर मजदूर थे उनकी आमदनी की परिवार ५५१ रुपया थी जो कि सन् १९५६ में घटकर ३७३ रुपया रह गई। उनका खर्चा खाने-पीने पर १९५१ में ४६४ रुपये था जो अब बढ़कर ४८६ रुपया हो गया। १९५१ में एक परिवार पर कर्जा ७ रुपया था जो अब १४१ रुपया हो गया। १९५१ में २१.९ प्रतिशत परिवार कर्जदार थे। अब ७१.६ परिवार कर्जदार हो गये और श्रम शक्ति जो है, खेतिहर मजदूर

उसकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। जब तक आपके भुमि सुधार के द्वारा भूमि का समुचित उपयोग नहीं होता तब तक आपकी योजनायें सफल नहीं हो सकतीं।

हदबन्दी का जो कानून है वह केवल शो-रूम में रखने के लायक है। इससे कोई फायदा नहीं है। हमारी यह निश्चित मांग है कि एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो इस बात का पता लगावे कि हमारे प्रदेश से जो जमीनें गायब होती हैं वह आखिर कहां चली जाती हैं, कौन से ऐसे रास्ते निकाले जायं जिनसे जमीनों को हासिल करके भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को दिया जा सके, कौन से आमूल परिवर्तन इस कानून में किये जायं जिनसे जमीनें हासिल की जा सकती हैं और भूमिहीनों को दी जा सकती हैं जब तक ये कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की समस्या और खाद्यान की समस्या हल नहीं हो सकती।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मेरे दो मिनट बाकी हैं, तीन मिनट और दे दिये जायं।

अब दूसरा सवाल है चकबन्दी का। अगर सरकार का यह विचार हो कि इस योजना के द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ जायगा तो वह केवल एक मृगतृष्णा है। माल मंत्री जी का व उनके अधिकारियों का यह कहना कि चकबन्दी के जरिये से चक बन जायगा, खेत इकट्ठे हो जायेंगे, किसान का मकान चक में बना होगा, ट्यूब वेल लगा होगा। बड़ी-बड़ी भैंसें बंधी होंगी और किसान आराम से बैठा हुक्का पीता होगा, यह स्वर्ग पता नहीं कब साकार होगा। लेकिन आज जो दुर्दशा हो रही है चकबन्दी के दौर में उसके लिये हम जरूर माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि उसकी ओर ध्यान दें।

पिछली दफा हमारे जिले के कांग्रेसी विधायक माननीय श्रीराम जी ने कहा था और उनकी स्पष्टवादिता की मैं दाद देता हूं कि उन्नाव जिले में और खासकर हसनगंज तहसील में चकबन्दी में भ्रष्टाचार है। यह सही है कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि हमारे जिले में भ्रष्टाचार की जांच कराई जाय। मैं श्रीराम जी से कहूंगा कि वह अपनी सरकार को मजबूर करें जांच कराने के लिये। हमारे यहां एक सी० ओ० हैं मोहान सर्किल में, कहा जाता है कि एस०ओ०सी० के बहुत निकट संबंधी हैं। वह वहां पर लूट कर रहा है। मैंने माल मंत्री के पास एक पत्र भी भेजा है, दरख्वास्तें भी भेजी गई हैं और किसानों ने प्रदर्शन भी किये। सैकड़ों दरख्वास्तें गईं लेकिन एस०ओ०सी० ने उनको दबा दिया, कोई तहकीकात नहीं होने दी। सी०ओ० अपने मातहतों को भी भ्रष्ट कर रहा है। कभी कहता है इलाहाबाद में मकान बनवाना है, एक हजार रुपया प्रति ए०सी०ओ० दो, कभी मोटर सायकिल खरीदने के लिये एक हजार रुपया प्रति ए०सी०ओ० मांगता है। कभी कुछ कहता है। मैंने कमिश्नर साहब के पास भी दरख्वास्तें भेजीं है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि जैसा कि भानुप्रताप सिंह जी ने कहा, तीन एकड़ से कम वाले किसानों का लगान माफ होना चाहिये। मैं इस मांग का जोरदार समर्थन करता हूं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की यह निश्चित मांग है। अब सवाल यह है कि ३ एकड़ के किसानों का लगान अगर माफ कर दिया जायगा तो इससे जो ३ करोड़ रुपये का घाटा होगा उसको कैसे पूरा किया जाय। मैं मान्यवर, इसके लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। सरकार ने जमींदारी अबालीशन किया उसके बाद एक प्रिविलेज्ड क्लास बना दिया है। जितने भूमिधर हमारे प्रदेश में हैं उनकी दो क्लासेज हैं। ४१ प्रतिशत वे लोग हैं जिन्होंने १० गुना देकर भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त ५९ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना रुपया जमा किये ही भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर लिये और वे आधे से भी कम लगान देते हैं और वह हैं भूतपूर्व जमींदार।

[श्री भीखालाल]

मेरी मांग है कि ऐसे जितने जमींदार दस एकड़ के ऊपर हैं उनका लगान उस हद तक बढ़ा दिया जाय कि वह उन काश्तकारों के लगान के बराबर हो जाय जिन्होंने दस गुना अदा किया है इस प्रकार आप ३ एकड़ तक के काश्तकारों का लगान माफ कर सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उससे कितना रुपया प्राप्त होगा, जरा यह भी बता दीजिये।

श्री भीखालाल—बाद को उसका हिसाब भी बता सकता हूं। अपने विभाग में आप इसकी जांच कराइये कि इससे क्या मिलने वाला है।

इसके अलावा मैं बराबर इस सदन में कहता आया हूं कि हमारे प्रदेश के कागजात बहुत गंदे हैं। चकबन्दी के क्षेत्र में दो प्रकार के कागजात हैं। एक तो वे भाग जिनमें चकबन्दी लागू हो गयी है उनमें कागजात बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें दुरुस्ती हो चुकी है। लेकिन जहां दुरुस्ती नहीं हुई वहां ७० से लेकर ८० फीसदी तक गलतियां हैं। अगर किसी वजह से चकबन्दी स्टाफ को आप वहां लगा न सकते हों तो किसी और प्रकार से आप वहां के कागजात को दुरुस्त करने का प्रबन्ध कीजिये, क्योंकि कागजात को दुरुस्त करने का कर्त्तव्य सरकार का है। हमारे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां १–१ बीघा के खेत हैं जिनका लगान ४–४ काश्तकारों से चार बीघे का वसूल होता है। अतः ऐसी दुरुस्तियों का प्रबन्ध सरकार स्वयं ही करे।

***श्री जे० पी० मिश्र** (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो अतिरिक्त धनराशि का अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये और माननीय भानुप्रताप सिंह के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे ताज्जुब है कि १,६४,२०० रुपया की छोटी सी धनराशि वृहत् जोतकर के लिये मांगी जाने पर उसमें कमी करने का प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विचार कुछ शब्दों में आपके सामने रख देना चाहता हूं। यह बात सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन कानून के देर से पास होने के कारण जो सहूलियत ताल्लुकेदारों को मिली है, वह बहुत ज्यादा रही। इस देरी के कारण उन लोगों ने करोड़ों रुपया जमीन और बागों को बेचकर इकट्ठा कर लिया। यह चीज किसी से भी छिपी हुई नहीं है। इसका उनके पास लेखा जोखा है। आज वृहत् जोत कर के अनुदान में कमी की मांग एक बहुत ही अनुचित मांग है जबकि वह हर प्रकार का फायदा उन जमीनों से उठा चुके हैं जिनके मुताल्लिक आज सीलिंग की बात हमने तय की है। जो हमने ४० एकड़ की बात तय की है उस के ऊपर अभी कोई सवाल इस किस्म का खड़ा नहीं हुआ है, मुमकिन है कि वह और अनुदानों के समय लोगों की तरफ से उठाया जाय, लेकिन इस समय तो इतना सवाल है कि क्या वृहत् जोत कर में कमी की जाय या जो धन है उसको ही वसूल किया जाय। राजस्व मंत्री ने केवल इतना ही कहा है।

साथ ही साथ मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि हदबन्दी और चकबन्दी के संबंध में भी इस सदन के सम्मुख आलोचनायें की गयी हैं। ठीक है, अपने अपने विचार अपने-अपने साथ, लेकिन हम लोग जिन्होंने चकबन्दी को बहुत नजदीक से देखा है और बगैर किसी द्वेष भावना के देखा है और उसको पूरा कराने में पूरी सहायता की है, उन्हें इस बात का अनुभव है कि जिस प्रकार से औसत काश्तकारों की बहुत बड़ी तादाद ने चकबन्दी से फायदा उठाया है और जिस प्रकार से भविष्य में उठाने का कार्यक्रम है वही अनुभव कर सकते हैं कि उससे क्या लाभ है। जिन्होंने चकबन्दी का शुरू से ही विरोध किया है और जिनकी चकबन्दी के पक्ष में विचारधारा नहीं बनने पायी है और जिन्होंने चकबन्दी का विरोध कर आम जनता से तमाम वोट कमाये हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिन इलाकों में चकबन्दी हो चुकी है वहां के काश्तकार कितने खुशहाल हैं। कुछ थोड़े काश्तकार हो सकते हैं जहां थोड़ी बहुत नाइंसाफी हुई हो, हो सकता है कि कहीं-कहीं किन्हीं चकबन्दी अधिकारियों के कुछ थोड़ी बहुत गलतियां की हों उनको सजायें दी जा चुकी हैं और आगे भी सजायें देने का कार्यक्रम है लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है इसका भी आप ध्यान रखें। आप राजस्व मंत्री जी के सामने शिकायतें रखें और उनकी जांच मुनासिब न हो और उनके ऊपर मुनासिब कार्यवाही न हो तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आम तरीके से यह लांछन लगा देना कि चकबन्दी बेकार है मैं समझता हूं कि यह कदाचित सरकार को बदनाम करने के लिये है। किसी प्रश्न पर सरकार को बदनाम करने की जो आपकी भावना है उसको हमको और आपको बदलना पड़ेगा और गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि कहां दोष है और कहां अच्छाइयां हैं। अगर हम दोषों को ही देखते रहे और अच्छाइयों को हमने आपने न देखा तो मैं समझता हूं कि हमारे देश और प्रदेश का काम चलनेवाला नहीं है। चकबन्दी के जो पुराने आंकड़े हैं उनसे सिद्ध है कि भविष्य में अच्छा फल लाने वाली चीज है। हम सदन के बाहर बैठकर अनेक विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इस सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी से लाखों काश्तकारों का हित ही हुआ है, लाभप्रद और अलाभप्रद जोतों के एकजाई होने से लाभ हुआ है। उसके साथ-साथ जो सरकार का कार्यक्रम है अच्छे बीज देने का सिंचाई का कार्यक्रम बनाकर मदद देने का उस सबके बाद मेरे मित्र भविष्य में देखेंगे कि चकबन्दी से कितनी उन्नति प्रदेश की हुई है और उससे किसान कितने सुखी हुए हैं।

हदबन्दी का जहां तक प्रश्न है मेरे सम्मानित मित्र ने अभी कुछ आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं। जहां तक आंकड़े की बात कही गयी, न मालूम कहां से इस सदन में आंकड़े आ जाते हैं। हदबन्दी के सिलसिले में माननीय भीखा लाल जी ने जो आंकड़े दिये, न मालूम वे कहां से आंकड़े लाये, लेकिन मैं उनको चैलेंज नहीं करता क्योंकि सरकारी कागज है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाया कि ६५ फी सदी इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च है जब कि निकला वह १४ फी सदी। यह मुमकिन है कि कुछ हेर फेर हो, लेकिन इतना फर्क होना मुमकिन नहीं है। आपके आंकड़े से जमीन प्राप्त हुई, जमीन ग्राम सभाओं को आयी, लेकिन इसकी जांच आप कराना चाहते हैं तो जरूर जांच कराइये क्योंकि इसका आपको हक है, लेकिन जितना भेद उन्होंने बतलाया उतना भेद होना असम्भव है। जितना लम्बा भेद उन्होंने बतलाया उस पर बिलकुल यकीन नहीं होता।

जहां तक अलाभकर जोत वाली तीन एकड़ की बात श्री भानु प्रताप सिंह ने कही, माननीय भीखा लाल जी ने उनकी ताईद की। ३ करोड़ घाटे को पूरा करने की बात भी भविष्य में आयेगी। जिस प्रकर अलाभकर जोत वाले काश्तकारों के भेद को मैं नहीं समझता, अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि का बार-बार बटवारा, कितनी बार बटवारा, जमींदार और ताल्लुकेदार का भेद, बड़े काश्तकार और छोटे काश्तकार का भेद, बड़ी जोत और छोटी जोत का भेद, कितनी बार आप बहस करेंगे कितनी बार आप उन पर विचार करेंगे, कितनी बार आप यहां आंकड़े पेश करेंगे, किसान बिलकुल मर जायेंगे और जीवन पर्यन्त बहस चलती ही रहेगी और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये एक ऐसे निष्कर्ष को बिलकुल मान लेना चाहिये और उसी लक्ष्य को लेकर हमको आप को बढ़ना है। चकबन्दी, हदबन्दी, अलाभकर जोत, लाभकर जोत, सब को एकजाई करके सर्वहारा की प्रसन्नता व खुशी का विशेष ध्यान रखते हुये हमें इस प्रदेश की जनता के दिल को रखना है। इतना ही मुझे आपके सामने निवेदन करना है।

श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे के मालगुजारी सम्बन्धी कटौती के प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहता हूं। वैसे हम विचार

[श्री रामचरण शाह]

करें और देखें तो कांग्रेस ने जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसी समय कुछ वचन दिया था । वचन यह दिया था कि जब हम जमींदारी खत्म करेंगे तो किसानों के लगान को जो कि जमींदार लोग लिये जा रहे हैं, उसमें राहत देंगे, उसको कम करेंगे । परन्तु उस बात को शायद कांग्रेस सरकार भूल गयी क्योंकि उस समय एक ऐसी हवा थी, एक ऐसा विचार था और सभी लोगों का लक्ष्य था कि आजादी तब प्राप्त होगी जब सभी लोग साथ होंगे और उसमें हमारे ७२ परसेंट किसानों का भी साथ रहना जरूरी है । तो उनके साथ वादा किया गया और वादा करने के बाद सन् ५२ में जमींदारी भी खत्म हुई और जब सन् ५२ में प्रथम चुनाव हुआ तो उस समय भी यही बातें कहीं गयी थी कि किसानों को सहूलियतें दी जायंगी । परन्तु सदन में जो यह मांग पेश की जा रही है, उस पर कोई बिचार नहीं किया गया कि हम वादे जो कर चुके हैं जनता के लोगों से उनको किस तरह से पूरा कर सकेंगे । तो जनसंघ का और हमारा यह मत है कि तबतक आप देश में खुशहाली नहीं ला सकते जब तक कि आप किसानों की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे । आप को इस पर बिचार करना होगा कि जमींदार लोग आप को मालगुजारी के रूप में सात करोड़ रुपया देते थे और आज आप उसके बजाय २२ करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं । आप की सरकार पहले से १५ करोड़ रुपये ज्यादा वसूल करती है । मेरा तो यह मत है कि अगर आप किसानों को हमेशा के लिये बरी करना चाहते हैं, उनको राहत देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसान और अधिक मेहनत करें अपने देश को अपने समाज को खुशहाल बनायें और उपज बढ़ायें तो आप कृपा करके किसान को लगान में छूट दें और उनके लगान को आधा करदें । यही हमारी मांगें हैं ।

आप देखें और सोंचे कि हमारे प्रदेश में आज कितनी इन्दराज की गलतियां हैं । मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं, मुझे मुश्किल से दो मास हुये यहां आये हुये और मेरे पास ३०० इस्तगासे आ चुकी हैं जिनमें नाम की गल्तियां हैं और इन्दराज गलत है, मैं उनको तहसीलदार साहब और डिप्टी साहब के पास ले जाता हूं और उनके द्वारा उन पर विचार करने के लिये कह दिया जाता है और किसान बार-बार परेशान होते हैं, उनकी तारीखें बढ़ाई जाती हैं, बहुतों का काम अभी तक नहीं हो सका । मैं चाहता हूं कि जिनके इन्दराज ठीक नहीं हैं उनको ठीक करने के लिये सरकार अपने अधिकारी वर्ग को आदेश दे कि वे इन केसों को जल्द निबटाने के लिये उचित कदम उठावें ।

दूसरी बात यह है कि हमारी तहसील निघासन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पड़ती है जहां पानी भर जाता है और उसके कारण उपज भी नहीं हो पाती, लेकिन इस पर भी किसान से लगान लिया जाता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि जब मेहनत के बावजूद पानी से नुकसान हो जाय और कुछ न पैदा हो तो लगान न लें । यह कहां की नीति है कि उनके साथ रियायत न बरती जाय ? ऐसे केसेज में उनको चाहिये कि वह टैक्स और लगान माफ करें ।

इसके अलावा हमारा जो क्षेत्र हैं वह जंगली क्षेत्र के करीब पड़ता है और वहां पर जंगली जानवर आकर खेती खा जाते हैं । मैं एक वाकया बताऊं कि हमारे यहां जो थारू क्षेत्र है वहां पर एक बार चरने के लिये चीतल आ गया और उसको खेत बचाने के लिये उन लोगों ने मार डाला । इस जुर्म के लिये जंगल के अधिकारियों ने उन लोगों से जुर्माना के १७०० रुपये वसूल किये और उन को यह डांड़ देना पड़ा । इस ओर सरकार ध्यान दे कि इस तरह से उनके रुपये भी जाते हैं और जंगली जानवरों से उनके खेतों का नुकसान भी होता है । या तो सरकार जंगल के पास किनारे-किनारे तार लगवा दे ताकि वह जंगली जानवर उन के खेतों में आ कर नुकसान न कर सकें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें कितना रुपया लगेगा ?

श्री रामचरण शाह—यह तो आप विचार करें, हमने तो सुझाव दे दिया । आप रखा चाहते हैं तो इस पर विचार करना चाहिये । रुपया जहां बेकार खर्च हो रहा है उसको

बचाइये, हम अपना वेतन छोड़ने को तैयार हैं केवल भत्ते पर काम करेंगे, आप भी छोड़ दीजिये, देखिये हम छोड़ते हैं या नहीं ।

एक बात यह भी है कि आपने भूमिधरी जमींदारी के कानून में ४० वर्ष की मीयाद रखी थी और आज फिर दस साल की बात की जाती है । आज किसानों को दुख है कि उनका लगान भी आधा नहीं हुआ, आप को अपना वादा पूरा करना चाहिये ।

सीरदारी की जिनकी जमीन होती है वे बिना १० गुना दिये बेच नहीं सकते । पर अधिकारियों ने बिना १० साला जमा हुये पूरा-पूरा का प्लाट एक मैनेजर के नाम पर दिया और उसका इंदराज भी हो गया, वह जमीन भी बेच रहा है, परन्तु १० साला जमा नहीं हुआ । क्या ऐसा भी हो सकता है ? सरकार अधिकारियों से पूछे कि क्या इस तरह का कोई प्राइवेट कानून भी है ?

अमीनों और पटवारियों की ओर सदस्यों ने ध्यान दिलाया । मैं यह तो नहीं कह सकता कि सभी एक तरह के हैं, परन्तु यह जरूर कहूंगा कि अगर उनमें कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिये सरकार उचित कदम उठाये जिससे किसानों को राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं दिन भर की कोशिश के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय राजस्व मंत्री ने जो अनुदान सदन के सामने रखा है उसके संबंध में मैं अपने जिले और विशेषकर अपने क्षेत्र तथा सामान्यतः प्रदेश के अन्दर जो काश्तकार हैं उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को आपके सामने रख रहा हूं ।

भू-राजस्व से संबंधित किसानों की कुछ दिक्कतें हैं । नियोजन का समय चल रहा है और निर्माण सब तरफ चल रहा है । इस निर्माण के समय काफी डिफेक्टिव प्लानिंग चल रही है । जहां समुचित देख-रेख नहीं होती, वहां पर जो सड़क बनती है, या ट्यूब वेल की नालियां बनती हैं, पुलियां बनती हैं उन जगहों की जितनी जरूरत है उस हिसाब से बननी चाहिये । जहां पर पानी का नैचुरल बहाव है वह बहाव डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से रुक जाता है और वहां पर वाटर लागिंग हो जाती है । जिस प्रकार आप उदारतापूर्वक बाढ़ पीड़ित, अग्नि पीड़ित और अन्य प्रकार से पीड़ित काश्तकारों की मदद करते हैं, ठीक है, वहां जो काश्तकार मुस्तकिल तरीके से वाटर लागिंग से परेशान हैं, जिनकी खरीफ तो डूब ही जाती है, रबी के लिये भी समय नहीं मिलता, दोनों फसलें मारी जाती हैं, इंसाफ की दृष्टि से उन काश्तकारों से उस समय तक लगान माफ कर दिया जाय जब तक वह डिफेक्ट दूर न कर दिया जाय ।

दूसरी बात मैं अपने जिले के संबंधित मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जिले के अधिकांश भाग में वन है । वन राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, आप वन महोत्सव मनायें और जंगलों का विकास करें, लेकिन जिस प्रकार अन्य किसानों की बहबूदी के लिये तरह-तरह की सुविधायें सरकार देती है उसी प्रकार जंगलों के किनारे बसे हुये काश्तकारों को भी सुविधायें मिलनी चाहिये । मैं खीरी जिले का रहने वाला हूं, जहां पर जंगल हैं वहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू है, ठीक है यह होना चाहिये, लेकिन इसके मातहत कोई भी आदमी एक भी जानवर नहीं मार सकता चाहे उसकी खेती को जंगली जानवर कितना ही नुकसान पहुंचायें । जंगलात के लोग इस कानून का दुरुपयोग करते हैं और इस ऐक्ट की वजह से किसान अपनी फसल बचा नहीं सकते, पूरी की पूरी फसल जंगली जानवर खराब कर जाते हैं और आखिर में मालगुजारी भी देनी होती है । आज जब अन्न संकट है और बाहर से भी अन्न मंगाया जाता है उसके बाद भी अन्न पूरा नहीं होता, फिर भी जंगलात के किनारे के काश्तकार जो मेहनत करते हैं उसको जंगली जानवर बेकार कर देते हैं और सरकार उनको बचा नहीं पा रही है । इसलिये जहां ऐसी समस्या है वहां कम से कम उनका

[श्री छेदालाल चौधरी]

लगान तो माफ किया ही जाय । जिलों के अन्दर जहां तक लेखपालों का चुनाव होता है, इस चुनाव में चुपके से अपने ही लोगों को ले लेते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं लिया जाता है । इस दिक्कत की तरफ भी माननीय माल मंत्री ध्यान देंगे ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, भू-राजस्व के अनुदान के अधीन जो कटौती का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं । जब हम अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ते थे, उस जमाने में माननीय गुप्ता जी जो आजकल हुकूमत को चला रहे हैं हमारे सेनानी थे, और कहा करते थे कि किसानों से लगान नहीं लिया जायगा । आज लगान की हालत यह है कि कोई किसान यह नहीं बतला सकता कि उसका क्या लगान है । हर किसान को मुख्तलिफ साल में लगान की अलग-अलग कीमत अदा करनी पड़ती है । यह गुप्ता जी हमारी सोशलिस्ट पार्टी के खजान्ची रह चुके हैं और कहा करते थे कि जब समाजवादी राज्य कायम होगा तो जो शासन करने वाली ताकत है वह दिन प्रति दिन खत्म होती चली जायगी । माननीय गुप्ता जी बतलाते थे कि एक दिन वह आयेगा जब राज्य सत्ता सूख जायगी जैसे वह पेड़ जो पानी नहीं पाता है गर्मी में सूख जाता है । इसी तरह से मानव को हम परिपूर्ण बना देंगे और राज्य सत्ता सूख जायगी और उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी । लेकिन आज राज्य सत्ता मोटी होती जा रही है और जीवन के हर साधन पर कब्जा करती चली जा रही है । लेकिन वोट मांगने के लिये कहा जाता है कि हम समाजवाद लायेंगे । मैं यह मानता हूं कि समाजवाद एक दिन की चीज नहीं है । मगर एक दिन का चौथाई हिस्सा भी अगर आगे बढ़ते तो जरूर हम समाजवाद महसूस करते । पारसाल २४ थाने थे, इस साल १ थाना भी खत्म हो गया होता, एक कांस्टेबिल भी कम किया गया होता, तो जरूर हम मानते कि समाजवाद आ रहा है । लेकिन हर साल यह बजट बढ़ता चला जा रहा है । तो क्या यही समाजवाद का असर है, हम अपने दोस्तों से, बुजुर्ग से यह पूछना चाहते हैं कि इसी समाजवाद के लिये हमारा आवाहन किया था ? जो लोग घर छोड़ कर आये, जेल गये, अपने को पिटवाया, जुर्माना दिया और तमाम दिक्कतें जो पेश आईं वह क्या इसी समाजवाद के लिये किया गया था ? क्या यह वही समाजवाद है जिसको बनारस सेंट्रल जेल में माननीय हरगोविन्द सिंह पढ़ाया करते थे या जिसको गुप्ता जी ले आने वाले थे ? आज गुप्ता जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री है जो कभी उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के खजाँन्ची थे । आज इस सरकार में हम देखते हैं कि जो गरीब आदमी है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स और जो अमीर आदमी है उस पर कम से कम टैक्स लगता है ।

यह जमीन का मसला है । इसलिये जमीन की बात करनी चाहिये । जमीन के मामले में देख लीजिये, जिसके पास कम से कम जमीन है उस पर अधिक से अधिक मालगुजारी लगती है । जो शिकमी काश्तकार पहले का है वह अधिवासी हो जाता है और वही काश्तकार अब सीरदार हो गया है । भूमिधर के लगान में, जो बिना पैसे चुकाये भूमिधर हो गया है, और उस छोटे से नन्हें से काश्तकार के लगान में जो ३, ४ बीघे का काश्तकार है, कितना अन्तर है ।

भूमिधर का लगान अगर १ रुपया बीघा है तो अधिवासी का लगान अमूमन २ रुपया है, सर्किल रेट से दूनी उसकी मालगुजारी है । और जब उसको सीरदारी का हक दिया गया तो और दूना कर दिया गया, यानी १ और ४ का फर्क हो गया और यह फर्क बड़ी-बड़ी जोत वालों के लिये नहीं है । जो छोटी जोत वाला किसान है उसके ऊपर बड़ी से बड़ी मालगुजारी लगी हुई है ।

दुनिया में लोग यह खयाल कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर कम से कम लगाया जाय । दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं, जैसे इजिप्ट और यूरोप, जहां भूमि पर कोई कर नहीं है । हमारे देश में भी हमारे साथी भानुप्रतापजी ने बताया कि अगर जमीन पर से कर उठा दिया जाय तो बहुत आसानी से यह सरकार चल सकती है और इस देश की जनता यह महसूस करने लगेगी कि हमारी सरकार ने गांधी जी ने जो वायदा किया था उस ओर बढ़ रही है । मगर न जाने क्या जिद है,

उधर के लोग जब बोलने खड़े होते हैं तो मन में कुछ और होता है, लेकिन इधर के लोग जो कहते हैं उसका विरोध ही करते हैं । यह सदन तो इसलिये है कि प्रदेश की सारी समस्याओं पर विचार किया जाय । आप जानते हैं कि सब से अधिक अगर कोई परेशान किया जा रहा है, सब से कम सुविधा अगर किसी के पास पहुंचती है, तो वह किसान है ।

जो शासन की ओर से वसूलियां होती हैं वह सब से पहले गरीब आदमी के यहां से शुरू होती हैं और जो बड़े-बड़े जमींदार पहले रह चुके हैं उनके यहां मालगुजारी की वसूली सब से बाद में होती है । जब जमींदारी थी तो इस साल का लगान उस साल और उस साल का लगान अगले साल, यह रियायत करते थे लेकिन आज क्या होता है ? आज उनकी उजरत अलग और सरकारी मालगुजारी अलग वसूल होती है । तभी किसान चिल्लाता है कि इससे अच्छा तो अंग्रेज ही था । नहीं तो आपके राज्य के लिये तो उसने लड़ाई लड़ी है, अपना घर फुंकवाया है, अपने नौजवानों को जेलखाने भिजवाया है और अपनी मां बहनों के गहने खुले बाजार में नीलाम करवाये हैं । अगर आप उसकी भलाई करते तो क्या एक भी विरोधी यहां आ पाता ? लेकिन आप वोट मांगने के लिये तो समाजवाद की बात करते हैं और जब यहां आ जाते हैं तो हर काम में मुनाफे की सोचते हैं । अगर किसी इलाके में आपने नहर खुदवाई तो यह हिसाब लगाते हैं कि किस रेट से वसूल किया जाय कि सब लागत निकल आये । होना यह चाहिये कि काम चलता रहे । वैसे सब किसान का तो है ही । भगवान का खेत और भगवान चरे तो क्या हर्ज है ?

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हुआ ।

***श्री अब्दुल समी** (जिला सुल्तानपुर)--जनाबवाला, जो अनुदान हमारे सामने पेश है, मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ है । आज एक बहस चल रही है कि किसानों को अपने लगान के बारे में सही तरह से बातें मालूम नहीं हैं । यह बातें एक हद तक सही भी हैं और उसके कुछ कारण भी हैं । सही बात तो यह है कि किसान जब तक खेत जोतता रहा है और उसको नहीं मालूम था कि किस हैसियत पर उसकी जोत है । कुछ काश्तकार थे, कुछ शिकमी थे और कुछ की ज्यादा जोत चली जा रही थी । तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी सही पोजीशन कायम कर दे और खातों के जो गलत इन्दराज हैं उनको ठीक करा दे । इस सिलसिले में बहुत दिक्कत होती हैं, और शुबहा होने लगता है । इसमें दिक्कत में हम सभी लोग मुब्तला हो जाते हैं । मिसाल के तौर पर ले लीजिये, एक शख्स अधिवासी है, जब वह सीरदार होगा तो लगान के अलावा मुआवजे की रकम भी उस को देनी पड़ेगी और इधर पिछले साल में कई सालों से उसने रकम नहीं दी है । जब एक साथ वसूली होती है तो उसको परेशानी होती है । मिसाल के तौर पर अगर उसका लगान दस रुपये है तो आज उससे १५ रुपये मांगे जा रहे हैं । इसी तरह से जो शिकमी सीरदार बनाये जा रहे हैं उनका लगान बढ़ जायगा । इसी तरीके से उसके पास बाग है और उसका कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है और कुछ हिस्सा उसने जोत लिया है और उस पर लगान पड़ता है । कई चीजें ऐसी हैं जिसके कहने में हम माजूर समझे जाते हैं कि किसान को पता नहीं है कितना लगान देना चाहिये और कितना नहीं देना चाहिये । इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन यह दिक्कत उसकी भलाई के लिये है, उसके फायदे के लिये है ।

दूसरी बात यह कि इन दिक्कतों की वजह से सरकार को चाहिये कि उनके खाते की नकल और लगान जमाबन्दी की नकल उनको दे दिया करे और कैफियत के खाने में जो इंदराजात हो जाते हैं वे बंद कर दिये जाय ।

तीसरी दिक्कत चकबन्दी के सम्बन्ध में है । गो चकबन्दी का कानून बना हुआ है, वह बुरा नहीं है, लेकिन जिला स्तर पर जो जिला अधिकारी होते हैं, वे मेहनती नहीं होते और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अब्दुल समी]

वे अपने गांव की पड़ताल देखते नहीं हैं, अपने नीचे के नायब तहसीलदार का काम वे नहीं देखते हैं, इसलिये खराबी पैदा हो जाती है। अगर ऊपर के हुक्काम तवज्जह दें और ध्यान दें तो चकबन्दी का मामला बड़े अच्छे ढंग से चल सकता है और यह किसानों के लिये फायदेमंद है। हमारी बदकिस्मती यह है कि चकबन्दी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो काम करने वाले हैं वे खराब हैं। हो सकता है कि कुछ लोग खराब हों और कुछ दयानतदार हों। मेरा लोगों से साबिका पड़ चुका है। मैं जबानी बात वैसे ही नहीं कह रहा हूं। जिन विधायकों के क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है वहां पर उनको गांव में पहुंच जाना चाहिये और पड़ताल को देखकर जो खराबी हो उसे चकबन्दी अधिकारी को बता देना चाहिये। बहुत सी शिकायतें मौके पर ही दूर हो सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। चकबन्दी में ऐसा ढंग है कि साल भर में इतना काम होना चाहिये। काम पूरा न होने पर नीचे के लोगों पर दबाव डाला जाता है। इसीलिये गड़बड़ियां और नुकसान होते हैं और किसान परेशान होता है।

चौथी बात यह है, जो बड़ी अहम है, कि वे लोग किसान को नहीं बताते हैं जैसे चकतराशी में गलतियां होती हैं। हालांकि कानूनी बात यह है कि चकतराशी के वक्त पूरे गांव को इकट्ठा होना चाहिये और राय लेनी चाहिये और सबके सामने चकतराशी होनी चाहिये। लेकिन जो हमारे आदमी हैं, कम से कम इस हाउस के मेम्बर लोग, जनता को यह नहीं बताते कि चकबन्दी में यह खास चीज है। इसी तरीके से जो कीमतें तय होती हैं, वह भी जनता को बताना चाहिए कि तुम्हारे सामने कीमतें तय होनी चाहिए। जो काम करने वाले हैं, वह जल्दी करने की वजह से या तवज्जह न देने की वजह से, लोगों को इकट्ठा नहीं करते। कई तरह की चीजें हैं, जिन्हें हमें बतलाना चाहिए। इससे बड़ी आसानी हो सकती है।

पांचवी बात यह है कि सी० एल० आर० डी० में बड़ी दिक्कत होती है। गवर्नमेंट उसमें यह देखें कि उसमें कितनी गलती होती है। घर बैठ कर वह काम होता है। मसलन बाग है, जब तक वह बाग है लगान नहीं है, लेकिन अगर उसमें जोतने बोने लगें तो उस पर लगान लगना चाहिए। होता आम तौर पर यह है कि हमारे लेखपाल अपने काम की मजबूरियों की वजह से घर पर बैठ कर अपना रकबा मुअय्यन कर देते हैं और उसके हिसाब से लगान कर देते हैं। उसका नतीजा यह हुआ सुल्तानपुर जिले में कि एक साल में २७ सौ उजरदारियां हुई और २६ सौ उजदरदारियां कायम हुई। जो लगान लगा हुआ था वह खारिज हो गया। यह छोटी-छोटी चीजें हैं, अगर इन पर ध्यान दिया जाय और जो गलतियां साबित हुई हैं उन पर थोड़ी सी तम्बीह कर दे तो बहुत सी शिकायतें किसानों की दूर हो सकती हैं।

हमारे जिले में और खास कर सदर तहसील में गोमती नदी बीच से गुजरती है। उसकी बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। सरकार उसकी तरफ खास ध्यान दे। बाढ़ की वजह से खेती का जो नुकसान होता है उसके मुताल्लिक सोचे कि उसमें कितनी छूट देनी चाहिए। आम तौर से वहां किसान बहुत परेशान रहते हैं।

*श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके आदेश से राजस्व के अनुदान से संबंधित जो चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारी कांग्रेस सरकार ने जब यहां पर ब्रिटिश शासन था, उस समय यह वायदा किया था कि हम इस देश में ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें सब को समान अवसर मिले और उनके अधिकार की रक्षा की जा सके। आज इस सम्बन्ध में सरकार यह कहती है कि हमने जमींदारी प्रथा का अन्त किया। सरकार यह कहती है कि हमने किसानों को भूमिधरी के अधिकार दिये। वह कहती रहे कि हमने शिकमी काश्तकारों को सीरदारी के अधिकार दिये किन्तु श्रीमन्, जो आज किसानों की दशा है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको जाकर अगर कोई माननीय सदस्य देखें और एक पक्षीय दृष्टिकोण से न सोच कर जो स्थिति है उस ओर देखें तो आज किसान के जीवन में एक बड़ा हाहाकार पायेंगे। सरकार ने यह वायदा किया था कि हम भूमिश्री के अधिकार दे रहे हैं और उनकी रक्षा ४० साल तक रहेगी। लेकिन हमने देखा कि शिकमी काश्तकारों को सीरदारी के अधिकार किस प्रकार दिये गये। जिन लोगों के नाम ५६ और ५९ फसली में लिखे थे कागजों में, उनको सरकार ने सीरदार करार दे दिया, यद्यपि उस जमीन को असली काश्तकार ने अपने कब्जे में ले लिया था।

आज किसानों के सामने एक समस्या है। उसको ड्योढ़ा लगान देना पड़ता है। हजारों किसानों के पास सीरदारी के अधिकार हैं, लेकिन जमीन पर काबिज नहीं हैं। जमीन पर वही लोग काबिज है जिनके हाथ में लाठी है। इस ओर माननीय राजस्व भी मंत्री का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। या तो इन कागजात की दुरुस्ती के विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया जाय या मौजूदा अधिकारियों को आर्डर दिया जाय कि जिन लोगों को कागज पर सीरदारी के अधिकार मिले हैं उनको जमीन पर कब्जा दिलाया जाय। इस प्रकार देहात की कठिनाई बहुत दूर हो जायगी। यह स्थिति जहां पर बड़ी-बड़ी जमींदारियां थीं वहां पर न हो कर जो गांवो में छोटी-छोटी पट्टयां थीं, वहां पर यह समस्या बनी हुई है। इस सम्बन्ध में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, आज नित नये कानून लाये जाते हैं। कभी चकबन्दी की योजना आती है, कभी सी० एल० आर० डी० की योजना आती है। ये योजनाएं रोज किसान को परेशान किये हुए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को सोच समझकर कर एक नीति निर्धारित करनी चाहिए और उस नीति के अन्तर्गत किसानों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आज कई प्रकार के किसान हैं। सरकार को खास तरीके से एक योजना बना कर किसानों को एक रूप में अधिकार देने चाहिए। जो सीरदार हैं सभी को भूमिधर बना दिया जाय।

एक बात में और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। लगान की वसूली के लिए आज कुर्क अमीन गांव-गांव, रात दिन, हजारों रुपया लिये फिरते हैं। लेकिन उसके लिए गांवों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी उस पैसे को छीन सकता है और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती। आज उसको पदोन्नति रोक दी गयी है। आदेश यह हैं कि १९६० तक जो कुर्क अमीन थे उनमें एक बटा तीन को स्थायी कर दिया जाय, किन्तु कहीं-कहीं पर तो यह आर्डर आज तक लागू नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि विभागीय स्तर पर कुर्क अमीन लोगों की नायब तहसीलदार के पद पर जो पदोन्नति रोक दी गयी है, वह पदोन्नति खोल दी जानी चाहिए और कुर्क अमीनों को भी पदोन्नति का हक होना चाहिए। जब कि सरकार जन गणना, सिविल सप्लाइज आदि जैसे अस्थायी और अल्पकालिक विभागों में काम करने वालों को पदोन्नति का अवसर देती है, तो क्या कारण है कि जो रातदिन, परिश्रम करता है, उसका पदोन्नति का अधिकार समाप्त कर दिया जाय ?

इन शब्दों के साथ में फिर एक बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों के बीच जो आज तहलका मचा हुआ है, उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए।

श्री गंगासिंह (जिला अल्मोड़ा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कई दिनों की उठक बैठक के बाद, मुझे आज आपके द्वारा यह अवसर प्रदान हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं बहुत दिन से यह चाह रहा था कि पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें सदन के सम्मुख रखूं, किन्तु मुझे गवर्नर के सम्बोधन के सम्बन्ध में और बजट के सामान्य विवाद के समय अवसर प्रदान नहीं हुआ। आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[श्री गंगासिंह]

अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मुझे खास निवेदन यह करना है कि मैदानी भाग में जमींदारी उन्मूलन हुआ, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आया कि सन् ३७ में कुमायूं लाज कमेटी बैठी थी। उस समय से वहां के किसानों के बारे में और उनकी परेशानियों और तकलीफों के बारे में जानने की कोशिश की गई और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ था, किन्तु उस कुमायूं ला कमेटी ने किसी भी प्रकार से वहां के किसानों के हित में कोई कार्य नहीं किया। तत्पश्चात् मैदानी भाग में जमींदारी उन्मूलन हुआ, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में जमींदारी उन्मूल नहीं हुआ। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि अब जमींदारी उन्मूलन का जो बिल है वह पास हो चुका है, किन्तु न मालूम किन कारणों से वह अब तक कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सर्वे हो रहा है, सर्वे हो जाय तो लागू हो जायगा।

श्री गंगासिंह—तो श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना है कि जो आज कल वहां सेटिलमेंट हो रहा है उस सेलिटमेंट में वहां के गरीब लोग और विशेषकर हरिजन लोग अब तक वर्ग ५ में रखे जा रहे हैं जिससे उनके वह प्राप्त अधिकार जो खायकरी के उनके थे, कच्चे खायकरी के, उससे वह बंचित हो जायेंगे। ऐसा उन लोगों को आभास हो रहा है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि उन दीन हरिजनों और दीन काश्तकारों को जोकि कच्चे खायकर कहलाते हैं और जो वर्षों से वहां की भूमि की उपज को बढ़ाने में, वहां फलोद्यान लगाने में पर्याप्त सहयोग दे रहे हैं, उनकी ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे।

मुझे प्रसन्नता हुई यह जानकर कि देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में इस राजस्व विभाग के अनुदान में यह रखा गया है कि कुछ सहायक पटवारी रखे जायेंगे। मैं आपके द्वारा सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के पटवारी जो हैं उन्हें पुलिस की ताकतें भी हैं और उनके पास काफी कार्य है, जबकि हमारे मैदानी भाग में पटवारियों को पुलिस की ताकत नहीं होती है। साथ ही इस विकास के युग में इतने और कार्य उनके पास बढ़ गए हैं कि वह अपने कार्य को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। किसी क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात सहायक पटवारी रखे जा रहे हैं, इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा कि पवतीय क्षेत्रों में भी इसी प्रकार सहायक पटवारी रखे जायं ताकि काम करने में सहूलियत हो।

विरोधी पक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने जिसमें कि जनसंघ और हमारी राजा पार्टी के सदस्यों ने खास तौर से आज किसानों के प्रति बड़ा दुख प्रकट किया और उनका बड़ा भारी हितैषी अपने को दिखलाया और उन्होंने लांछन लगाया इस कांग्रेस सरकार पर कि ब्रिटिश काल में आपने बड़े बड़े वायदे किसानों से किये, लेकिन आज तक उनको पूरा नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय हम विदेशी सरकार से लड़ रहे थे इसलिए यदि हमने उस समय कुछ अतिशयोक्तिपूण बातें भी कहीं तो मैं समझता हूं कि उसमें हमने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है। अब हमारे ऊपर दायित्व है, देश में अपना शासन है, उस दायित्व को समझते हुए उसे निभाने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि जनसंघ ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि १२५ रुपया न्यूनतम वेतन होगा, क्या वह ऐसा कर सकते थे या कर सकते हैं? एक ओर तो उनका प्रयास यह है कि लगान आधा हो, टैक्सेज कम हों, दूसरी ओर यह भी वह चाहते हैं कि सारे साधन भी सुलभ हो जायं, जोताई के, सिचाई के, बोवाई के, हर तरह के साधन वह सुलभ करना चाहते हैं। जिन किसानों को हमेशा उन्होंने सताया है, जिनका हमेशा उन्होंने खून चूसा है, उन्हीं के आज वह सबसे बड़े हमदर्द बन रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी उनके इन कामों से उनका नाम अच्छी प्रकार लेगी, ऐसी मुझे आशा नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, इस राजस्व विभाग के कार्य विवरण की पुस्तिका में लिखा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खिसकने से जन हानि हुई है। ज्यों ज्यों वहां पर भूमि खिसकती चली जाती है त्यों त्यों वहां पर जनहानि, पशुहानि और भूमि हानि होती चली जा रही है। इसका

कारण यह है कि लड़ाई के समय में बहुत सी लकड़ी गई और स्टार पेपर मिल आदि को काफी मात्रा में वहां से लकड़ी चली जा रही है, उससे वहां की बन सम्पत्ति नष्ट होती चली जा रही है। इसी कारण से वहां पर भूमि का खिसकना जारी है और पर्वतीय क्षेत्र में दिन ब दिन यह स्थिति बढ़ती चली जाती है। मैं अपने राजस्व मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि जो अनुदान सहायता के रूप में वहां पर जनहानि, पशुहानि और मकानों की हानि के लिये दिया जाता है वह बहुत नाकाफी है। पचासों आदमी, सैकड़ों पशु और पचासों गांवों की भूमि खिसकने से जो नुकसान हुआ है उनके लिये नाममात्र ग्रांट है जो १०,२०,३० रुपया होती है। वहां पर मकानों के नष्ट होने, जनहानि होने और पशुओं की हानि पूर्ति के लिये यह सहायता अपर्याप्त है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा और सुझाव दूंगा कि इस ओर विशेषरूप से ध्यान देने की कृपा करें।

इसी प्रकार से गत वर्ष टिड्डियों के द्वारा गेहूं की फसल को पर्वतीय क्षेत्र पर काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। मैं जब वहां पर कई क्षेत्रों में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वास्तव में वहां पर टिड्डियों ने काफी नुकसान उनकी फसलों को पहुंचाया है। सहायता के बारे में जब मैंने चेष्टा की तो किसी भी प्रकार से सहायता वहां पर उपलब्ध नहीं हो सकी। मैंने बराबर प्रयास किया। एक बार ऐसा भी हुआ कि शहर के नजदीक एक गांव में टिड्डियों ने काफी नुकसान किया, किन्तु अधिकारियों द्वारा उस ओर विशेषरूप से ध्यान नहीं दिया जा सका।

उत्तराखंड के विषय में, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि गत वर्ष मुझे सौभाग्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुनिस्यारी के पास अनेक स्थानों पर जब मैं पहुंचा तो उसके पास एक गौरी गंगा है जिसका बहाव काफी तेज रहता है। गत बरसात में अस्कोट के पास, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, कि गांव का गांव बह गया और उसमें ७ जन बह गये। इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र की जो भूमि है वह दिन-दिन खिसकी रहती है और उससे काफी गांवों को नुकसान पहुंचा है। उस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना अपना परम कर्तव्य समझता हूं। मुझे विश्वास है कि आदरणीय मन्त्री महोदय उस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। दीन हरिजनों के लिये जो भूमि संबंधी समस्या है उसको मैंने मंत्री जी के सम्मुख रखा है उसके सम्बन्ध में भी मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करेंगे। जो सर्वेक्षण भूमि का वहां पर आज कल हो रहा है उसमें कुछ कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। छोटे गरीब खायकरों को वर्ग नम्बर ४ में रखा है, किन्तु मैं देखता हूं कि कुछ इस प्रकार से भी वहां पर हुआ है कि कई दीन, गरीब हरिजनों को या अन्य वर्ग के खायकरों, जोतने वाले कृषकों को वर्ग नम्बर ५ में रखा गया है जिससे उनके मन में यह आशंका हो गई है कि उनको शीघ्र ही अपनी भूमि से अलग कर दिया जायगा। कुछ सुधार जो प्रदेशीय सैटिलमेंट के विभाग द्वारा हुये हैं उसके लिये बधाई देता हूं। जैसा प्रारम्भ में केला उगाने वाली भूमि, फलों वाली भूमि, आलू उगाने वाली भूमि को उपजाऊ न मानकर उस पर तराऊ का लगान निर्धारित किया जायगा, ऐसा सरकार ने निश्चय किया था, लेकिन हम लोगों की प्रार्थना करने पर इस बात को मान लिया गया है कि आलू उगाने वाली भूमि, फल उगाने वाली भूमि पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस तरह की भूमि ऊंची भूमि होती है जिसको उपराव भूमि कहते हैं। इस बात को सरकार ने सुना और माना। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने अपनी सरकार के सम्मुख रखे, किसानों के हित में वह उन पर बयान देने की पूर्ण कृपा करेंगी।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री तमेश्वर प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर) मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास उपस्थित होकर नाम लिखा कर देने से बोलने का अवसर मिलता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था कर दी गई है?

श्री अधिष्ठाता—कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह तो मेरे डिस्क्रीशन पर है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, पहले यह प्रथा थी कि एक सदस्य उधर का बोलता था और फिर दूसरा इधर का बोलता था।

श्री अधिष्ठाता—मैंने वही प्रथा कायम रखी है और उसी के अनुसार दिन भर कार्यवाही चली है।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिये और हमारे भानु प्रताप सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करनेके लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने मिल्कियत की एक अजीब परिभाषा इस सदन में पेश की। उनका यह कहना है कि जब यह कहा जाता है कि किसान अपनी भूमि का मालिक है तो उसे अपनी जमीन पर लगान नहीं देना चाहिये। अगर वह लगान देता है तो उसके माने यह हो जाते हैं कि उसकी प्रोपराइटरशिप में कुछ कमी आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जमींदारी प्रथा थी और जमींदार मालगुजारी देते थे सरकार को तब उनके प्रोपराइटरी राइट में कोई कमी नहीं आयी। ऐसा क्यों? और फिर पूरी मिल्कियत के लिये लगान न देने की बात जो कही जा रही है उसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जिस किसान के पास भूमि ३ एकड़ से कम हो उसका लगान माफ कर दिया जाय। पहले मैं यह कहूंगा कि हमारे भारत का जो संविधान है उसके अनुसार कोई डिस्क्रिमिनेटरी ला बनाया नहीं जा सकता। संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर मिलना चाहिये। अगर ३ एकड़ वाले का लगान माफ किया जाता है तो कल दूसरों के लिये भी यही बात आयेगी। राज्य सरकार द्वारा जो सुविधायें हैं वह सभी को प्राप्त होंगी चाहे वह शिक्षा के संबंध में हों अथवा हेल्थ के संबंध में। इसलिये इस तीन एकड़ वाले का लगान माफ करने वाली बात में कोई तत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आज ३ एकड़ वाले का लगान माफ करेंगे तो कल ६ एकड़ वाला आगे आयेगा और कहेगा कि हमारी होल्डिंग भी अनइकानामिक है। हमारा लगान भी माफ होना चाहिये। तो इस तरह की बात उचित नहीं मालूम नहीं होती।

एक बात और कही गयी कि सीलिंग दर सीलिंग है। आप देखें कि जो ४० एकड़ की सीलिंग की गयी है वह उन लोगों के लिये हैं जो पहले से खेती का काम करते आये हैं। जो नये आदमी खेती करना चाहते हैं उनके लिये तो साढ़े १२ एकड़ की सीमा रखी गयी है और यह भूमि उनके लिये पर्याप्त है। वह उसमें खेती कर सकते हैं। इस के अतिरिक्त हमारे बस्ती जिले में पर कैपिटा बहुत कम जमीन लोगों के पास है। ऐसी हालत में किसी के पास ४० एकड़ जमीन रह जाय और किसी के पास बहुत कम जमीन रह जाय, यह उचित नहीं मालूम होता।

चकबन्दी के लिये कहा गया कि उसमें बड़ा करप्शन और ठीक काम नहीं हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी है। जहां तक चकबन्दी का सवाल है उस से काश्तकारों को फायदा है। इसके अलावा जिन लेखपालों की आप शिकायत करते हैं चकबन्दी हो जाने के बाद उनका इंस्टीट्यूशन ही समाप्त हो जायगा। जो वे लोग मौके बे मौके कब्जे गलत सही आदि लिखते रहते हैं, वह सब जब वे रहेंगे ही नहीं तो नहीं संभव हो सकेगा और इस तरह की दिक्कतें भी नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि चकबन्दी से किसान का कितना फायदा है। अभी जो चुनाव हुये उसमें विरोधी दलों की तरफ से इस बात का प्रचार किया गया गांव में जा-जा कर कि चकबन्दी से नुकसान हुआ है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उससे उनके खेत एक जगह इकट्ठे हो गये और अब उनको अपनी काश्त करने में काफी सुविधा होती है।

साथ ही मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह कि हमारे यहां, बस्ती में, कमिश्नर महोदय ने एक आदेश ऐसा अपने अमीनों को दिया

है लगान वसूल करने के सिलसिले में, ऐसा मुझे बताया गया है कि उन्होंनें एक रकम निर्धारित कर दी है कि इस महीने में इतने लाख रुपये वसूल होंगें और दूसरे में इतने । इस तरह से जो दर उन्होनें निश्चित की न उसके अनुसार जहां महीने में एक लाख वसूल होता था वहां दो लाख कर दिया गया, और जहां दो लाख था वहां ४ लाख कर दिया गया । इससे वहां किसानों में बड़ी बेचैनी है । पहले कोई सीमा न रहने से किसानों को बड़ी सुविधा थी । उसमें अमीन लोग उनकी सुविधा के अनुसार वसूल करते थे । इसलिये मैं, नहीं जानता कि यह ठीक है या नहीं, अगर ऐसी चीज है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कमिश्नर महोदय को ऐसी हिदायत दें जिससे इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न रहे ।

जहां तक लगान की माफी का सवाल है, वह कैसे हो सकता है ? लगान माफ कर किया जायेगा तो काम कैसे चलेगा ? इधर तो आप चाहते हैं कि प्रगति हो, देश में तरक्की के काम हों, स्कूल बढ़ें, और सारे काम हों, उधर दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि टैक्स माफ हो । यह दोनों बातें असंगत हैं । जनरल डिस्कसन के समय भी यही बातें कही जाती रहीं । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है वह बहुत उचित है और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से और कार्य कुशलता के साथ इस अनुदान को पेश किया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कई बार उठक बैठक लगाने के बाद मुझे आपने बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं माननीय भानुप्रतापसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । पहले हमारे एक कांग्रेसी मित्र ने एक बात कही कि जनसंघ में राजा लोग जो पहले गरीबों और किसानों पर अत्याचार करते थे अब उनके हित की बात करते हैं और लगान में कमी की बात करते हैं । मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि जनसंघ की विचारधारा अध्यात्मबाद और भौतिकवाद दोनों के समन्वय को साथ लेकर चलने की है ।

(इस समय ३ बजकर ४९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इसलिये हमारे यहां कोई भी आ जाता है तो हम उसका हृदय पवित्र कर देते हैं उसी प्रकार जिस तरह से पुराने कट्टर मुस्लिम लीगी आपके यहां कांग्रेस में आने पर देश भक्त बन जाते हैं । अगर कांग्रेस में रहकर पूंजीपति मजदूर और किसानों के हित करने की बात कर सकते हैं उनका ढिंढोरा पीट सकते हैं तो आपका यह आक्षेप उचित नहीं है कि जो जनसंघ में आ जाते हैं उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है । जनसंघ में केवल राजे महाराजे ही नहीं हैं, केवल वे ही नहीं है जिन्होंने गरीबों पर अत्याचार किये है, बल्कि उसमें बहुत गरीब लोग हैं, अगर आप चाहें तो एम० एल० एज० की जो जीवनी छपी है उससे देख सकते हैं । मैं स्वंय अपनी ही बात करता हूं कि मेरे पास केवल ३८ बीघे खाम जमीन है । यह बात मैंने इसलिये रखी क्योंकि हमारे मित्र ने बड़ा कटाक्ष किया था ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर जितने हमारे सरकारी पक्ष के आगे आकर बैठे हुये हैं वह यहां आकर तो टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो एक भी ऐसा नहीं होता जो कहता हो कि हम टैक्स बढ़ायेंगे, वोट दो । इस जगह पर आकर सभी ऐसा कहने लगते हैं । हमारे क्षेत्र में माननीय सिंचाई मंत्री ने यह कहा कि इस वर्ष कोई टैक्स बढ़ाने का विचार नहीं है और सहकारी खेती भी यदि आप चाहेंगे तो हो जायगी वरना कोई जरूरी नहीं है । आप नवभारत टाइम्स का नवम्बर का अखबार उठाकर देखिये, माननीय गोविन्द सहाय जी जो कि हमारे पुनर्वास मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आवश्यक होगा तो हम सहकारी खेती को अनिवार्य रूप से लागू करेंगे और कोई पर्वाह नहीं करेंगे । अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पोर्टफोलियो बैग से वह अखबार निकाल कर दिखला सकता हूं । अधिष्ठाता महोदय, बात कोई विशेष सम्बन्धित नहीं थी ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि किसानों का लगान आधा करने की जो जनसंघ की नीति है वह वास्तव में सही है और लगान आधा होना ही चाहिये । जब मंत्री लोग कहते हैं कि किसान बड़ा फूला फला है और खुशहाल हुआ है और उसके साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि उसका लगान बढ़ना ही चाहिये क्योंकि उसके गल्ले का दाम बढ़ गया है तो मुझे इन बातों में अधिक सत्यता नहीं दिखलाई देती । किसानों को यदि खुशहाल देखना है तो आपको यह देखना होगा कि उसको रोकड़ क्या है, उसके पास बैलेन्स क्या है ? आज तो बहुत से व्यक्तियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अधिकतर किसान, ८५ फीसदी से ऊपर, कर्ज के बोझ से दब रहे हैं, फिर भी उनको और कर्जा लेने के लिये उत्साहित किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिस तरह से वह कर्जे से दबी जा रही है उसी तरह से किसान भी दब जांय और वह कुछ कह न सकें, और सरकार भी यह कह सके कि अगर हम दबे हैं तो तुम भी दबे हो, तुम्हें कर्जा देने के लिये ही तो हमने कर्जा लिया था । यह एक गलत नीति है ।

आज वास्तव में किसान खुशहाल नहीं हुआ है और न उसको कोई ज्यादा सहूलियतें दी गई हैं । १५ सालों में इतना रुपया खर्च करने के बाद यदि आपने कुछ सहूलियतें पहुंचाई भी तो कोई खास बात नहीं हुई । यदि आप इतना रुपया खर्च करने और योजनायें चलाने बाद १०–१५ प्रतिशत सहूलियतें भी न पहुंचायें तो कैसे काम चलेगा, सरकार किस लिये बनेगी, योजनायें किस लिये बनाई गईं ? इसीलिये कि जतना का भला हो, भला होना भी चाहिये, लेकिन भला हो नहीं पाता । अगर आप ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोक कर काम करते तो शायद कुछ भला होता । इसलिये मैं कहता हूं कि खुशहाली नही बढ़ी है । अगर आपको खुशाहली देखनी है तो देहातों में जाइये । आज विक्रमादित्य का काल नहीं है कि आपको वेश बदलना पड़े । आप मिनिस्टर न बनकर साधारण रूप में वहां जायं और जनता से बात चीत करें तो आपको पता लगेगा, हर आदमी यही कहेगा कि हमें कोई सुख नहीं मिला । हमें इस राज्य में कोई बहबूदी की बात नहीं मिली है ।

दूसरी बात यह कही जाती है कि गल्ले की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं यानी किसान का गेंहूं १० सेर का बिकता था और अब ढाई सेर का बिकता है । अच्छा, गल्ले की कीमतें इस हिसाब से चार गुनी बढ़ीं, लेकिन जिन चीजों का किसान उपभोग करता है उनकी कीमत १० गुनी से लेकर १६ गुनी तक बढ़ गयी हैं । क्या लोहे के दाम १६ गुने नहीं बढ़ गये हैं, क्या लकड़ी और उसके काम में आने वाली दूसरी चीजों के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गये हैं ? क्या मजदूरी नहीं बढ़ गयी है ? पहले जो २ आने का मजदूर मिलता था आज वह सवा रुपये का मिलता है । सबसे बड़ा साधन उसका बैल होता है । पहले मेरे पिताजी जिन बैलों की गोईं को ५०–५५ रुपये में लाते थे वह आज ५०० रुपया में बड़ी मुश्किल से आती है । इस प्रकार किसान जिन चीजों से खेती करता है उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है । पहले दो पैसे में २४ सुइयां आतीं थीं, अब दो पैसे की एक मिलती है । वह भी इतनी पायेदार नहीं होती । कपड़े को देख लीजिये तथा और दूसरी कमोडिटीज को देख लीजिये कि वह कितनी तेज हो गयीं हैं । किसी भी चीज को ले लीजिये । किसानों को अपनी पैदावार का जो मूल्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा मूल्य उसको अन्य चीजों को देना पड़ता है जिनको वह प्रयोग में लाता है । इसलिये हम मांग करते हैं कि किसानों का लगान आधा होना चाहिये ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राजस्व मंत्री जी का मांग का समर्थन करता हूं । साथ ही विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह कहा था कि विरोधी पक्ष की ओर से जो आज कहा जा रहा है, वही बजट के समय भी कहा जायगा । मैं आज देख रहा हूं और सुन रहा हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय जो बातें कही गयी थीं उन्हीं बातों को आज फिर विरोधीपक्ष की ओर से दोहराया जा रहा है ।

एक ओर तो विरोधीपक्ष के लोग कहते हैं किसानों की हालत बहुत गिरी हुई है, वे हर माने में पिछड़े हुये हैं, इसलिये उनके स्तर को हमें ऊंचा उठाना है। दूसरी तरफ जब हम अपने राज्य में ऐसी व्वयस्था करना चाहते हैं जिससे उन लोंगों की गरीबी दूर हो, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, तब वे उसका विरोध करते हैं। हमने भूमिधरी व्यवस्था कायम की, चकबन्दी को लागू किया गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज विरोध पक्ष वाले चकबन्दी की भी बड़ी चर्चा कर रहें हैं। मुझे आश्चर्य तब होता है जब कि समाजवाद का नारा लगाने वाले लोग भी उसके विरोध में बोलते हैं और हदबन्दी की बात का भी वे विरोध करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर राज्य का स्तर किस प्रकार से ऊंचा होगा ?

गरीबों का स्तर कैसे ऊंचा होगा, राज्य का धन कैसे बढ़ेगा ? वह पैदावार बढ़ाने से होगा, कल कारखानों की वृद्धि से होगा। हम चाहते हैं कि पैदावार बढ़े। उसके लिये हमने भूमि सुधार का लक्ष्य बनाया और समाजवादी समाज की रचना पर जोर दिया। हमने चकबन्दी समाप्त की और स्टेट्स को खत्म किया, सीलिंग लाये और चकबन्दी का कानून बनाया। यह सब जनता के लाभ के लिये है, उसके लाभ से सब परिचित हैं। विरोधी दल के लोग कहते हैं कि चकबन्दी से भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप चकबन्दी का जिक्र न करें। उससे इस अनुदान का सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामप्यारे---लेकिन विरोधी पक्षवालों ने कहा है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप भी असंगत बातें करें।

श्री रामप्यारे---अच्छी बात है, श्रीमन्। आज लगान की बात बहुत की जा तो है। आज चीजों के मूल्यों में कितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारे किसानों का लगान करीब करीब उतना ही है। मैं रुद्धी जैसे पिछड़े इलाके से आता हूं। वहां के लगान को देखकर अन्दाज लगता है कि उसमें कोई अन्तर नहीं आता है। विरोध पक्ष के लोग किसानों को भड़काते हैं किस लिये ? वोट लेने के लिये। कहते हैं कि लगान आधा किया जाय या कम किया जाय या बिलकुल न लिया जाय। आज किसान अपना पुनीत कर्तव्य समझता है कि जिस जमीन को वह जोतता है उसका वह लगान दे, लेकिन विपक्ष के लोग उनमें ऐसी भावना भरते हैं कि तुमको लगान नहीं देना चाहिये। यह कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है।

दूसरी बात घूसखोरी के संबंध में कही गयी है। जनसंघ के एक भाई ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बात कही। हम भी कहते हैं कि घूसखोरी कुछ है, लेकिन यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जो नैतिक स्तर है, जो सामाजिक स्तर है उसमें गिरावट के बहुत से कारण हैं। हमारी सरकार उसमें सुधार करने का प्रयत्न करती है।

श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया---यह जो माननीय सदस्य चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं इसका अनुदान से क्या संबंध है ?

श्री रामप्यारे---विपक्ष की तरफ से यह बात आयी है इसलिये कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बातें करते हैं उनका भी कुछ कर्तव्य है, केवल सरकार का ही नहीं है। हमारी सरकार जितनी शिक्षा नवयुवकों के देती है उसमें चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है और उस पर लाखों रुपया सरकार खर्च करती है। स्कूलों पर, शिक्षा संस्थाओं पर लाखों रुपया खर्च करके उनको अनेक प्रकार से शिक्षा दी जा रही है और उनकी शिक्षा में नैतिक गुणों का समावेश होने जा रहा है। विरोधी दल के लोग दूसरी ओर ध्वंसात्मक बातों पर प्रचार नवयुवकों में करते हैं। अभी चुनाव के समय जनसंघ ने बराबर यह नारा लगाया था कि "कांग्रेस ने क्या किया ?

[श्री रामप्यारे]

देश को बरबाद किया !" हमारे नवयुवकों पर उसका क्या असर पड़ा ? कांग्रेस ने तो देश को आजाद किया है, बरबाद नहीं किया । हमने बरबाद किया है अवश्य और वह जमींदारी को बरबाद किया, और अब आगे पूंजीपति प्रथा को बरबाद करने जा रहें हैं (हर्षध्वनि)। हमारी सरकार चाहती है कि देश में आर्थिक व्यवस्था आये जिनमें सबको समान अवसर उन्नति करने का मिले और उसकी तरफ हम आगे बढ़ते चले जा रहें हैं । लेकिन विरोधी पक्ष वही बातें बार-बार करता है और सदन का समय बेकार किया जाता है । कोई चकबन्दी की आलोचना करता है तो कोई हदबन्दी की । मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे समाजवादी भाई जो धन-धरती के बटवारे की बात करते हैं उसके लिये नारा लगाते हैं, हमारा जो मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं उसकी आलोचना करते हैं । हमारी समझ में नहीं आता कि उनका ध्येय क्या है ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे साथी श्री भानु-प्रताप सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । हमारे कुछ भाई जिनका खेती बारी से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे भी आंकड़े पेश करते हैं और आंकड़े नहीं पाते तो कहते हैं, हमारा खयाल ऐसा है । इस तरह की बात करना कुछ मुनासिब नहीं है ।

आपके जरिये मैं पूछना चाहता हूं कि किसी जमाने में यह कहा करते थे कि हमारे सूबे की मालगुजारी ७ करोड़ रुपये थी, लगान २२ करोड़ रुपये था । हम यह कहा करते थे कि १४–१५ करोड़ रुपये उन आदमियों के पेट में जाता है जिनसे देश व समाज को कोई लाभ नहीं होता और वह पैसा, इंगलैंड, अमेरिका आदि देशों को चला जाता है । आज जमींदारी का विनाश हुआ लेकिन वह १४–१५ करोड़ रुपया किसको बाबत खर्च कर रहे हैं, क्या काश्तकारों को वह हक मिला जो आशा थी कि कम से कम वह लगान जो जमींदार लेते हैं, सरकार और काश्तकारों का सीधा सम्बन्ध हो जायगा और रुपये में १० आने की छूट हो जायगी ? यही समझ कर हम भी उस आन्दोलन में शरीक थे और इस खयाल से कि वे रंगरेलियां जो जमींदार उड़ाते हैं, हमारे आफिसर्स या मिनिस्टर्स नहीं उड़ायेंगे और काश्तकारों को उठने का एक मौका मिलेगा, लेकिन वह मौका नहीं मिला ।

आज जमींदार कौन है ? जमींदारी गई, लेकिन किसके हाथ में गयी यह हम और आप जानते हैं । आज जमींदारी बड़े काश्तकारों के हाथ में है । यही नहीं, बल्कि हमने तो यहां तक देखा कि जिससे दससाला लगान लिया गया उस पर जहां इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिये था वहां अगर किसी काश्तकार का लगान एक रुपया था और उसकी शिकमी की गयी तो दो रुपया उसका हो गया और उसी को किसी गरीब ने तीसरे को दे दिया तो उसका लगान ४ रुपये कर दिया गया । यानी जो जितना ही गरीब था उसके ऊपर उतना ही लगान बढ़ा दिया गया । तो क्या यही समाजवादी तरीके का ढांचा है, जिस बिना पर गरीबों के हमदर्द होने की बात कही जाती है ? यही नहीं, पिछली मर्तबा जैसा कि मैंने कहा था, दससाला लगान किसने दिया ? जिसके पास पैसा था उसी ने दिया । जिसके पास पैसा नहीं था वह बेचारा वैसे का वैसा ही रहा ।

इसमें बाढ़ विभाग का भी जिक्र आया है । हमारे क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे के बहुत से गांवों को काट दिया है, लेकिन आज तक वहां के किसानों को यह नहीं बतलाया गया कि वे अपना छप्पर कहां डालें । इसमें नावों के प्रबन्ध की बात भी लिखी हुई है कि इस सम्बन्ध में जिलाधीश को अख्तियार दिया गया है । मैं कल ही बलरामपुर गया था तो वहां के एस० डी० ओ० से पूछना चाहता था कि बरसात अब आने वाली है, नावों के बारे में क्या किया गया ? इसमें लिखा गया है कि दो ढाई रुपये मन पर जानवरों के लिये चारे का इन्तजाम भी किया गया है । बाढ़ में उनके घर बह गये, फसल बर्बाद हो गयी, उनके जानवर खड़े हैं, फिर वे ढाई तीन रुपये का मन भर चारा कहां से ले सकते हैं ? यही नहीं, बल्कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति तो यह है कि वहां बाढ़

पीड़ितों को हफ्ते या महीने में एक मुट्ठी चना, एक ढेबरी किरासिन का तेल और दो छटांक नमक मिला। तो क्या आप समझते हैं कि इसी पर वे अपनी गुजर कर रहे हैं? नहीं, क्या वे एक मुट्ठी चना के ऊपर हफ्ते या महीने तक कभी जिन्दा रह सकते हैं? कितनी मुसीबत में वे अपना दिन काट रहे हैं इसको भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। यही है इन्तजाम सरकार का? यह कहा जा रहा है कि दामों में कोई अन्तर नहीं पड़ा। हमारे कुछ भाईयों ने कहा कि आज हमारे गल्ले के बाद बढ़ गये हैं और महंगी है। आज भी अखबार में निकला है कि कपड़े पर टैक्स बढ़ेगा। हर चीज के, जितनी भी जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं, दस गुना और १२ गुना दाम बढ़ रहे हैं। डीजेल जिसकी जरूरत कुवों के इंजन चलाने के लिये होती है उसके दाम भी जो ४ साल पहले थे वह आज कहीं से कहीं पहुंच गये हैं। इसी तरह से जितनी भी किसान के काम की लोहे के औजार और चीजें हैं सब के दाम दस गुने १२ गुने और १६ गुने तक गये हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिये जब हम कहते हैं कि किसान के गल्ले के दाम बढ़ बढ़े हैं। कुछ भाई कहते हैं कि गांवों में बड़ी खुशहाली है, लेकिन हमने अभी भूदान के सम्बन्ध में अपने जिले के गांवों मे स्वयं घूम कर देखा है तो हर गांवों में आज दो चार खंडहर मौजूद हैं और घर टूटे पड़े हैं और शहरों में रोज जोर के साथ मकान बन रहे हैं। अगर कहा जाता है कि ३ एकड़ के काश्तकार से लगान न लिया जाय तो क्या गलत है? जब आप शहर की आय वाले साढ़े तीन हजार तक के आदमी को छोड़ते हैं तो इसमें क्या कठिनाई है। क्या यही आपका समाजवादी ढांचा है कि आप एक तरफ तो इस कदर छूट दें और दूसरी तरफ इस तरफ छोटे किसान को पाबन्द करें कि इतनी छोटी आय पर भी लगान देता चला जाय।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो तीन अनुदानों की मांग पेश की हैं उन के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं चाहे जितने अच्छे ढंग से कोई चीज रखी जाय और चाहें उसमें जनता की भलाई ही क्यों न हो और चाहें हमारे विरोधी पक्ष के भाई स्वयं ही क्यों न ये समझते हों कि इसमें अवाम के मफाद हैं, लेकिन उनकी आलोचना करने की एक टेंडेंसी सी हो गयी है। बराबर वह इस बात की कोशिश में रहते हैं कि कहीं से कोई ऐसी बात निकाली जाय जिसमें कि सरकार की अलोचना हो और जनता में इस बात की अफवाह फैले कि हमारे प्रति विरोधी लोग बड़ी सद्भावना दिखा रहे हैं। छोटे से छोटा कानून नियम अनुदान या मांग जो भी सदन में पेश होती है शुरू से आखीर तक जब तक यह सदन चलता है एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें उधर के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो सके। इसका मतलब यह है कि जितने लोग भी यहां बैठे हैं वह यहां केवल इसलिये हैं कि उन्हें आलोचना करना है। आपको इससे लाभ है। अगर आप इसमें अभ्यस्थ न होते और आप की सफलता न मिलती होती और आप की इन गलत चीजों का देहात में किसानों का असर न पड़ा होता, आप की भ्रमात्मक बातों का असर न पड़ा होता तो सच बात तो यह है कि आप की आज यहां इतनी संख्या न आई होती। लेकिन जब आप इतनी सफलता प्राप्त कर चुकें हैं आप को वोट मिल चुके हैं और आप इस सदन में आ गये हैं तब आपको जरा ठंढे दिल से सोचना चाहिये कि आप को यहां क्या काम करना चाहिये। आप को यहां स्वस्थ सुझाव रखना चाहिये जिससे वाकई में किसानों को लाभ हो। जहां अवाम की भलाई की बात हो वहां भी अड़ंगे बाजी ही करते हैं, यह उचित बात नहीं है। यह न समझना चाहिये कि जनता सोचती नहीं है, जनता अब समझने लगी है और उनके सोचने के तरीके में बड़ा फर्क हो गया है। वह सारी बातों को अच्छी तरह से समझती है। हां, यह सत्य है कि जो सरकार होती है, जिसके हाथ में प्रबन्ध होता है, ताकत होती है, कानून होता है, काम करने की जिम्मेदारी होती है उसके प्रति अवाम में इस तरह की कुछ बेचैनी पैदा हो जाती है, यह सोच कर कि इतने दिन हो गये कांग्रेस की सरकार को पर हमारी तकलीफें आज भी मौजूद हैं. . . . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री का ीनाथ—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषय पर नहीं बोल रहे हैं, बेमतलब की बातें हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—उनका पहला भाषण है । आप कृपा कर बैठें और सुनें ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—श्रीमन्, राजस्व के सिलसिले में यह आलोचना हो रही है कि किसान का लगान बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आगे नहीं बढ़ना चाहिये । मैं अध्यक्ष महोदय, उनसे प्रार्थना करूंगा कि दरअसल जितना भ्रामक विचार आज किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है, अगर किसान को असलियत मालूम हो जाय कि हमारी सरकार जो कुछ कर द्वारा वसूल कर रही है हमारे फायदे के लिये कर रही है, हमको ऊंचा उठाने के लिये कर रही है, तो यह सब बातें समाप्त हो सकती हैं । विरोधी पक्ष के लोग २४ घंटे जनता को गलत बातों की याद दिलाया करते हैं, उनके सामने सही बात नहीं रखते । किसान भाई पढ़े लिखे नहीं हैं जिसके कारण आपको फायदा जरूर हो जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक-एक किसान आपसे पूछेगा कि आपने हमको धोखा दिया, भ्रम में डाला है तथा सरकार के साथ हमें सहयोग प्रदान नहीं करने दिया जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, तब आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा । अगर हमारी तीसरी योजना सफल हो गई, विकास के अन्य कार्य जो बिखरे पड़े हैं अगर पूरे होकर उनसे फायदा होने लगा तो आपकी जबान बन्द हो जायगी और आपके पास कोई चीज नहीं रह जायगी जिसको लेकर किसान के बीच में भ्रामक विचार फैला सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं उनको कंडम करता हूं ।

*श्री राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों में जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनका समर्थन करता हूं ।

बृहत् जोत-कर के अन्तर्गत १९६२-६३ के लिये व्यय मतदेय २ लाख १९ हजार २०० और चार्ज्ड १,००० रुपये रखा गया है । इसमें व्यय मुख्यालय स्तर पर ४३,७०० रुपये और जिला स्तर पर १,७६,५०० रुपये रखा गया है । एक तरफ तो सरकार के बजट में घाटा दिखाया जाता है और दूसरी तरफ सरकार अपनी नीतियों में मितव्ययिता का कोई ढंग नहीं अपनाती है । जब पिछले साल सीलिंग ऐक्ट पास हो गया तब इस बृहत् जोत-कर में इतना भारी खर्चा क्यों किया जाय यह मेरी समझ में नहीं आता । सीलिंग ऐक्ट पास हो जाने के बाद तो इसमें वैसे ही कम खर्च हो जाना चाहिये था और इसकी वसूली करीब-करीब समाप्त हो जानी चाहिये थी और जो थोड़ी बहुत रह गयी हो उसके लिये इतना बड़ा स्टाफ रखने की और खर्च करने की जरूरत नहीं है । यह तो रेगुलर नायब तहसीलदार द्वारा ही वसूल हो सकता है । इसके लिये १२० नायब तहसीलदार, ९८ लिपिक और १२० सेवकगण की जगहें जो रखी गयी हैं ये अत्यधिक हैं ।

जहां तक सीलिंग का सवाल है इससे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और पहुंचेगी ? फूड प्रोडक्शन में भी इससे क्षति पहुंचेगी क्योंकि जो बड़े फार्म्स थे उनका उत्पादन अधिक था और छोटी जमीनें जिनके पास थीं उनमें उतना उत्पादन नहीं था । उसका कारण यह है कि हमारे छोटे किसान को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है । हमारे यहां इंटेंसिव कल्टीवेशन के अच्छे साधन नहीं हैं । न हम किसी तरह की सुविधा छोटे किसान को दे पाते हैं । एक तरफ हम कहते हैं कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग हो । उन्नतिशील तरीके अपनाये जायं, नयी रासायनिक खादें डाली जायं और नये ढंग से खेती की जाय । तो जिनके पास छोटी जमीनें हैं उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वे उन तरीकों को इस्तेमाल कर सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इधर जो हमारे बड़े फार्म्स हैं उनमें उन ढंगों को कुछ न कुछ अपनाने की कोशिश की है। उनका फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। अब सीलिंग लगा कर उनसे जमीन ले लेंगे तो अन्न के उत्पादन में क्षति होगी और देश को हानि होगी। यह तभी हमें करना चाहिये जब हम हर सुविधा किसान के सामने रख दें। उसके लिये ठीक मार्ग यही है कि स्वायल टेस्टिंग का तरीका हो, सही खाद हो, इंटेंसिव कल्टीवेशन करने की हर सुविधा उसे प्राप्त हो तब जमीन के छोटे टुकड़े किये जा सकते हैं वर्ना अन्न उत्पादन में कमी होगी।

भू-राजस्व के सम्बन्ध में थोड़ा सा कह देना चाहता हूं। इसमें भी बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है और कोई मितव्ययता अपनाने की कोशिश नहीं की गयी। अगर आप इसमें कुल मदों का रुपया देखें तो वह है २२ करोड़ १४ लाख ६५ हजार और इसमें वसूल करने के लिये जो खर्च करना पड़ता है वह आमदनी का १०.६६ परसेंट लगभग हो जाता है, जो बहुत अत्यधिक है। इसमें भी मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह कोई इकोनामिक तरीका अपनाये और यह जो इतना बढ़ा हुआ खर्चा है उसे कम करने की कोशिश करे। इस सम्बन्ध में कहा भी जा चुका है कि हम इन चीजों को पंचायत के जरिये करायेंगे। इस तरह से पंचायतों का भी फायदा होगा और सरकार का खर्च भी कम होगा, लेकिन वास्तविक तौर पर इस सम्बन्ध में कदम नहीं उठाया गया।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि पंचायतों को यह अधिकार सुपुर्द किया गया। जब स्कीम फेल हो गयी तो उसे खत्म किया गया।

श्री राजा विक्रमशाह—तो आप यह कोशिश करते कि जिन वजहों से वह नहीं कर सकीं उसकी उन्हें शिक्षा देते।

इसके अलावा मैं यह भी कह सकता हूं कि मालगुजारी वसूल नहीं होती इसलिये हमको इतना खर्च करना पड़ता है। इसका सब से बड़ा कारण तो यह है कि किसान इतना गरीब है और उसके ऊपर सिंचाई की दर और मालगुजारी वगैरह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वह दे ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

मैं एक निवेदन कर दूं। माननीय विक्रम शाह साहब ने जो अध्ययन किया है, वह ठीक किया है और जो वह बोले, वह ठीक बोले। लेकिन इस समय इस सदन के समक्ष कटौती का प्रस्ताव है वह पालिसी को डिस्कस करने के लिये है और तमाम जो बहस आपने की वह एकोनामिक दृष्टिकोण से की। तो एकोनामी कट और होता है और पालिसी कट और होता है। इसी वजह से माननीय सदस्यों से निवेदन था कि वे संबंधित नियम जान लें कि एक पालिसी कट होता है, एक एकोनामी कट होता है और एक टोकेन कट होता है। तो इस समय हम केवल पालिसी कट के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। एकोनामी कट का प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आज बजट पर बहस के छठवें दिन मुझे अवसर दिया और आज तो मुझे हरारत सी हो गयी उठते बैठते। अगर कोई व्यवस्था हो.....

श्री अध्यक्ष—आप मुझे सजा दे लीजियेगा। अब विषय पर आ जाइये।

श्री लखीसिंह—तो यह उठने बैठने की सन् १९४२ जैसी सजा को खत्म कर दें।

श्रीमन्, आज का विषय किसान से संबंधित लगान का विषय है और बदकिस्मती से मैं भी एक छोटा सा किसान हूं। हमारे राजस्व मंत्री जी तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत पुराने हैं और हमारे मुख्य मंत्री भी बहुत पुराने नेता हैं। करीब-करीब आगे बैठने वाले जितने मंत्री हैं वे सब पुराने मंत्री हैं और हमारे साथी हैं और उनमें से हैं जो सन् ३० से सन् ४२ की क्रान्ति

[श्री लखीसिंह]

तक कन्धे से कन्धा मिला कर हमने यह कहा कि हम आधा लगान करेंगे, आधी आबपाशी करेंगे, किसानों को जमीन का मालिक बनायेंगे । श्रीमन्, दुर्भाग्यवश मैं अबकी बार एम० एल० ए० बन कर आ गया । सन् ५२ में लड़ा, सन् ५७ में लड़ा, अबकी मैं जीत गया । यहां मैं इतना परेशान हूं.....

श्री अध्यक्ष—आपको जब हरारत आती है तब आप जीत जाते हैं ।

श्री लखीसिंह—मैं क्या कहूं । वही कृष्ण और अर्जुन वाली बात हो रही है । अर्जुन ने मना किया था कि मैं महाभारत नहीं करूंगा । कृष्ण ने कहा कि करना पड़ेगा । लेकिन मैं यह दावे के साथ कहूंगा कि जो लोग लगान बढ़ाने की बात करते हैं, जो लोग किसान की बात करते हैं या तो वे १५ अगस्त, १९४७ के बाद कांग्रेस में आये हैं या उन पर एक बिस्वा भी जमीन नहीं है ।

मैं कहता हूं कि अगर किसानों पर वर्तमान बजट में लगान बढ़ाया गया तो आप हम से नहीं कह सकते हो तुम सामन्त हो, राजा हो, सोशलिस्टों से नहीं कह सकते हो । हमने अंग्रेजों से टक्कर ली है, इधर के कुछ लोगों से भले ही आप कह सकते हो लेकिन हमसे नहीं कह सकते हो । हम कहते हैं कि किसी माननीय सदस्य ने तीन एकड़ पर लगान माफ करने की बात कही लेकिन हमको और आपको जिन्दा रहना है और किसानों को मुंह दिखाना है तो सवा छः एकड़ के किसानों का लगान माफ करना होगा । इसमें ९ करोड़ का अगर घाटा होता है तो हो । पहली मई, १९६० को जो सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह हुआ था वह इसी मुख्य मांग को लेकर हुआ था और उस समय के मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को ९ करोड़ का घाटा पड़ेगा अगर हम सवा छः एकड़ वाले किसानों का लगान माफ करें । मैं कहता हूं कि ९ करोड़ का घाटा भले ही पड़े क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में तो ८ करोड़ की मालगुजारी मिलती थी और १६ करोड़ जमींदार अपनी जेब में रखते थे । घाटा पड़ता है सरकार को तो क्या हम १०० में से ८० किसानों को तो जिन्दा रखेंगे । अगर आपको समाजवाद लाना है तो यह करना होगा ।

श्रीमन्, आप मुझे समय दें, कहीं लाल बत्ती न कर दें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय लखीसिंह जी, पहला दिन है और आपको हरारत भी है ।

श्री लखीसिंह—मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बुरी नजर से नहीं देखता हूं बल्कि उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूं । लेकिन साथ ही साथ इस बजट का घोर विरोध करता हूं, लगान बढ़ाने वाली नीति का घोर विरोध करता हूं । लगान बढ़ाया न जाय । कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था .....

श्री अध्यक्ष—इसमें लगान बढ़ाने का जिक्र नहीं है ।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, हमें बड़ा भय है । आखिर यह गोलमाल क्यों हो रहा है ? हमें भय है कि लगान जरूर बढ़ेगा ।

श्रीमन्, मैं मथुरा जिले से आया हूं और राजस्व मंत्री जी वहां जायं वैसे तो वे राधा कृष्ण की झांकी देखने जाते हैं, मथुरा, वृन्दावन के मंन्दिरों के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अगर कहीं वे जायं तो उन्हें मालूम होगा कि वहां छाता के इलाके में २,००० एकड़ भूमि पानी में डूबी हुई है और दो दो फीट पानी चढ़ा हुआ है । अगर वहां के किसनों से लगान वसूल किया जायगा तो यह अहिंसा के पुजारियों से हिन्सा होगी ।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार न रहे, लेकिन समाजवादी सरकार बन कर रहे । वह समाजवाद की नीति पर आये, ठीक नीति पर आये । यदि यह सरकार समाजवाद की

नीति पर नहीं आयेगी और कवती करती रहेगी और पोथी बना बना कर हमारे सामने रखती रहेगी तो याद रखिये हम तो मरेंगे ही, लेकिन खैर आपकी भी नहीं रहेगी, यह मैं बतलाये देता हूं ।

कुंवर श्रीपाल--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हरारत मिटाने के लिये दो मिनट और जरा दे दिये जांय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री लखीसिंह--मैं तो पांच मिनट चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--दो मिनट आपके हैं ।

श्री लखीसिंह--अब मुझे थोड़ी सी बात चकबन्दी के ऊपर कहनी है ।

श्री अध्यक्ष--चकबन्दी के ऊपर न कहिये ।

श्री लखीसिंह--चूंकि मेरे क्षेत्र में हो रही है, मुझे वह जरूर बतानी है । मैं चकबन्दी की बात कह रहा हूं और राजस्व मंत्री जी उसको नोट करें । हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने लिख दिया इस किताब में कि सबसे उल्लेखनीय चीज यह हुई है कि चकबन्दी में बड़ी प्रगति हुई है । वाह महाराज, वाह काशी के पंडितों, बहुत उल्लेखनीय चीज आपने लिखी । यह चकबन्दी वह चकबन्दी है जो किसानों का काल है । यह चकबन्दी नहीं है बल्कि चक्रव्यूह है जिसमें फंसाकर अभिमन्यु का वध किया गया । मैं बताता हूं, नोट कर लीजिये । यह असेम्बली भवन है । जितनी जगह में यह है उतनी जगह छोड़े बगैर कुआं नहीं बनाया जाता । हम किसान हैं, जानते हैं, इसलिये बताते हैं । गोला कुआं इतनी जमीन छोड़े बिना नहीं बनाया जाता क्योंकि झोपड़ी डाली जाती है, वृक्ष लगाये जाते हैं नेंहची और भौंरा बनाया जाता है । अगर नेंहची भौंरा न बने तो रहट लगाने के लिये चबूतरा बनाया जाता है । तो इतनी जमीन बंजर छोड़कर के कुंआ बनाया जाता है ।

अब आपका कानून क्या कहता है ? वह कहता है कि यह कुंआ बंजर में है इस वजह से वह गांव समाज का हो गया । हजारों किसान इस कानून के शिकार हैं । हजारों किसान त्राहि-त्राहि मचाये हुये हैं मेरे छाता क्षेत्र में । इसके बाद सी० ओ०, ए० सी० ओ०, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० इन सबने मिलकर किसान का काल बुला रखा है । कलेक्टर की रिपोर्ट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय राजस्व मंत्री जी मस्त हैं, उसने लिख दिया कि सब ठीक है, जय जयकार हो रही है, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में पता है कि क्या हो रहा है ?

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने कुछ इतना इन्नोसेंट या निर्दोष अनुदान सदन के सामने रखा है कि इस पर कोई गम्भीर वादविवाद या आलोचना नहीं हो पा रही है और इसीलिये आपने देखा कि आपको कई मरतबे हस्तक्षेप करना पड़ा है कि लोग विषय से अलग जा रहे हैं ।

जो बहस चल रहा है उस में एक अनुदान बृहत् जोत कर का भी है । हमारे यहां जबकि हदबन्दी का कानून पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जायगा और वह चालू हो गया है, हमें आशा है कि साल दो साल के अन्दर कार्यान्वित हो जायगा, तो उसके बाद बृहत् जोत कर की कोई समस्या नहीं रह जायगी और इसलिये उसके बारे में आलोचना करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के भूमि-व्यवस्था संबंधी जो कानून हैं, उनकी भी आलोचना की गई है । इस संबंध में श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारा उत्तर प्रदेश किसी चीज में सबसे अधिक प्रगतिशील है तो यह भूमि-व्यवस्था संबंधी कानूनों में है और भारतवर्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

में सबसे प्रगतिशील अधिनियम भूमि व्यवस्था के संबंध में अगर कहीं लागू किये गये हैं तो हमारे प्रदेश में लागू किये गये हैं। जैसा कि कहा जाता है —ए स्ट्रोक आफ पेन से—लेखनी के एक चलन से एक बहुत ही क्रान्तिकारी कदम हमारे प्रदेश में उठाया जा चुका है जिसके अनुसार जो लोग खेत जोतते थे, उनको खेत का अधिकारी या खेत का स्वामी बनाया जा चुका है। पीजेंट्स प्रोप्राइटरशिप एक बहुत ही क्रान्तिकारी नारा हमारे समाजवादी भाई लगाते हैं जो कि जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

इस संबंध में श्रीमन्, एक यह भी चर्चा की गई कि लेखपाल जो हैं उनमें बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब मैं श्रीमन्, विरोधियों के लेखपाल के प्रति आरोप सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज जो इस संबंध में हमारा अधिनियम है वह उससे परिचित नहीं है। यदि आलोचना करने के बदले वह अपने क्षेत्रों में जाकर अपने क्षेत्र की जनता को यह बतलाते कि लेखपाल को आज के कानून के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है कि स्वयं इन्दराज कर सके तो इससे जनता का बहुत लाभ वह करते। यदि लेखपाल को कोई एक पैसा भी देता है किसी इन्दराज के कराने में तो वह जनता के प्रति हानि करता है और कानून के खिलाफ करता है। आज कोई लेखपाल कानून के अन्तर्गत तभी नया इन्दराज कर सकता है जब वह गांव सभा के प्रधान को सूचना दे। जिसके नाम खेत इन्दराज किया हुआ है उसको सूचना दे, जिसको इन्दराज करना चाहता है उसको सूचना दे और उन सूचनाओं के संबंध में कम से कम दो गवाह हों उनको उपस्थित करे तब वह ऐसा कर सकता है। अब जब तक लेखपाल, गांव सभा का प्रधान और कम से कम दो आदमी, जो गवाह हों, इतने आदमी षड़यन्त्र न करें तब तक एक लेखपाल कोई नया इन्दराज नहीं कर सकता है। अब ऐसे बंधे हुये लेखपाल को हमारे मित्र यदि रुपया देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि वह जनप्रतिनिधि होने का अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता को आज के जो इस प्रकार के नियम हैं, उनको न बतलाकर उनको हानि पहुंचाते हैं।

अब श्रीमन्, लगान के संबंध में बहुत चर्चा हुई कि यह सरकार १५ करोड़ रुपया अधिक ले रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के पहले ६ करोड़ रुपया लोगों से इस सरकार को प्राप्त होता था और इस समय वह २२ करोड़ है, लेकिन श्रीमन्, यह जो १६ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी कही जाती है वह ऐसी नहीं हुई है जो किसानों को यह लगान के रूप में न देनी पड़ती हो जो कि राज्य एक नये तरीके से उसको वसूल करता है। पहले यह था कि जमींदार लोग, जिनको इन्टरमिडियरी कहते थे, वह १५, १६ करोड़ रुपया उनकी जेब में जाता था। वे १५, १६ करोड़ रुपया किसानों से वसूल करते थे। वसूल करने के उपरान्त वह उन्हीं के पास रह जाता था। अब सरकार ने भूमि के संबंध में इन्टरमिडियरी को समाप्त कर दिया और उनसे जो लगान मिलता था उसको सरकार ने लगान के रूप में लेना शुरू किया। जो पहले १५, १६ करोड़ रुपया जमींदारों की जेब में जाता था वह अब सरकार के पास आ जाता है और किसानों को जमीन पर स्थायित्व प्रदान कर दिया गया है।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि यह जो हमारा जमींदारी उन्मूलन का कानून है, मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह अब थोड़ा सा पुराना पड़ गया है। इसको स्वीकृत हुए १०, १५ साल हो गये हैं। इसमें ४ प्रकार के किसानों को टेन्योर दिया हुआ है। शिकमी, अधिवासी, सीरदार और भूमिधर। कानून में जो आज व्यवस्था है, उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपने खेत को किसी दूसरे को लगान पर नहीं उठा सकता है। इस कानून के अन्तर्गत इसकी रुकावट की गई है। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी भूमि को किसी दूसरे को लगान पर उठाता है तो उसकी भूमि गांव समाज को चली जाती है। जब किसी व्यक्ति को लगान पर उठाने का अधिकार नहीं है तो ऐसी अवस्था में यह जो टेन्योर है वह अन्य तरीके से न शिकमी हो सकता है, न अधिवासी हो सकता है, न सीरदार हो सकता है और न भूमिधर हो सकता है क्योंकि एक ही कानून है

टेन्योर का। तो जो लोग खेत जोतते हैं, चाहे वह सीरदार हों या भूमिधर हों या अधिवासी हों या शिकमी हों, अगर वे दूसरे को नहीं दे सकते तो आज के कानून के अन्तर्गत इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। जिन लोगों ने १० गुना या १५ गुना नहीं दिया है औ ट्रान्जीशनल पीरियड में उनकी जमीन भी कानून के ही अन्तर्गत है तो यह जो चार प्रकार की व्यवस्था लागू कर दी गई है अब इस टेन्योर को समाप्त करके इसका एकीकरण कर दिया जाय तो अच्छा है। इससे राजस्व को समस्या जो सामने आती है वह भी हल हो जाती। आज भूमिधर के लगान में, सीरदार के लगान में और अधिवासी के लगान में भेद है वह उसकी हैसियत भी जब एक प्रकार का टेन्योर होता तो वैज्ञानिक ढंग से यह एक प्रकार के टेन्योर का लगान निश्चित होता। नित्यप्रति आलोचना जो सामने आती हैं और इस सरकार को ४ तरह के टेन्योर के कारण जो झंझट होता है वह समाप्त हो जाता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर किसानों का मामला जेरे बहस है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों की बड़ी बदकिस्मती है कि उसकी बात को सुनने के लिये हमारी ट्रेजरी बेंचेज पर लोगों की हाजिरी बहुत कम दिखाई पड़ती है हालांकि ज्यादातर लोग किसानों से वोट पा कर ही यहां पर आये हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आपकी बात सुनी जायगी।

श्री रियासत हुसैन---आज उत्तर प्रदेश के किसान की दास्तान दो लफ्जों में बतायी जा सकती है--एक है करप्शन और दूसरा है कलेक्शन। दुरुस्ती कागजात का मामला जब जमींदारी के खात्मे के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने आया, उस इंकलाब के बाद जो कागजात में गलतियां हुईं वह किसान को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं और उसमें खास तौर से ज्यादा हिस्सा लेखपाल का रहा। यह लेखपाल जो पहले पटवारी कहे जाते थे, आज लेखपाल हैं, वे समझते हैं कि अगर कागज को दुरुस्त रखा जाय तो उसका गुजर नहीं हो सकता। यह असर उसके दिमाग पर है। और वह जानबूझ कर कागज को गलत रखता है। आज दुरुस्ती कागजात के लिये बगैर पटवारी की फर्द के कोई मामला भी आगे नहीं चल सकता और फर्द का मामूली रेट जो कानूनी तरीके से आठ आना होना चाहिये उसके लिये कोई भी लेखपाल ५ रुपये से कम नहीं लेता। इसलिये वह जानबूझ कर कागजात में गलती रखता है और उसकी वजह यह है कि जो उसके ऊपर के अफसर हैं, जो कानूनगो, तहसीलदार, आदि हैं उनका यह फर्ज है कि वह परतालों के सिलसिले में मौके पर जा कर देखें कि पटवारी के कागज में जो इन्दराजात हैं वे सही हैं या नहीं। लेकिन वे अपनी जगह पर सही काम नहीं करते और कागजात की जांच जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हो पाती। इसके लिये मैं मंत्री जी की सेवा में अपने ही गांव की मिसाल पेश करूंगा। सन् १९४३ का जो बन्दोबस्त हुआ था उसमें वहां पूरा चक ५०० बीघे का ऐसा है कि जिसमें कब्जा सही है और कागज में गलती है। नाम किसी न किसी का लिखा हुआ है और वह गलती बराबर चली आ रही है। मैंने बार-बार मुरादाबाद के कलेक्टर, हाकिम परगना और हल्के के तहसीलदार से कहा, कानूनगो व पटवारी से कहा कि मौके पर जांच कर के यह दुरुस्ती कर लो तो बेहतर है, लेकिन वह हुआ नहीं। वह चाहते हैं कि हर आदमी अलग-अलग दावा दायर करें, अलग-अलग फर्दें जारी हों और अलग-अलग मुकदमे चलें और नायब रजिस्ट्रार कानूनगो का पैसा बने और दूसरों का पैसा बने। इस तरह से जो कागज में गलती है उसे दुरुस्त करने के लिये वह कोई खास कोशिश नहीं करते हैं।

हमारा माल का कानून सदन में बनता है, लेकिन मैं साफ-साफ बतलाना चाहता हूं कि माल का कानून जैसा कि सदन में पास किया जाता है वैसा वहां माना नहीं जाता। वहां वह कानून माना जाता है जो वहां का पटवारी, कानूनगो, नायब रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसीलदार, आदि चलावें। एक मोटी सी बात है कि अगर कोई काश्तकार मशविरे के लिये हमारे

[श्री रियासत हुसैन]

पास आता है, किसी वकील के पास जाता है तो वह वकील उस से कहता है कि कागज में यह गलती है और यह इस तरह से ठीक हो सकती है। कानून यह कहता है और तुम इस तरह से अमल करो। इस पर किसान फौरन उत्तर देता है कि आप कानून की बात करते हों, कानूनगो साहब ने कहा है कि १०० रुपया दे दो, तुम्हारा सब काम ठीक हो जायगा। यह रात दिन होता है। १९५१ में जब दसगुना का प्रोग्राम चल रहा था तो उस समय बहुत से किसानों ने दसगुना जमा किया। उस समय यह शर्त थी कि जो दसगुना जमा करेगा उसका लगान नहीं बढ़ाया जायगा। लेकिन आज उनका लगान बढ़ गया और बहुत से काश्तकार ऐसे हैं कि जिनके दसगुना जमा कर देने के बाद भी उनका अमलदरामद आज तक कागजात में नहीं हो पाया है। मेरा अपना केस ही ऐसा रहा। गौर करने की बात है, सन् १९५३ में मैंने दसगुना दिया। मेरे पास २० एकड़ जमीन थी। खसरे के अंदर वह खेत भूमिधरी में भी चलता रहा और सीरदारी में भी चलता रहा। खसरे पर कानूनगो साहब के दस्तखत भी हो गये, । उस गांव के निजाम पर वह जमीन २० एकड़ की भूमिधरी में भी आ गयी और सीरदारी में भी वही खेत कायम रहा। और जमाबन्दी में भी वह बकाया इकट्ठी रही। जब वह इकट्ठी हो गयी तो फिकर पड़ी। बड़ा लम्बा खाता हो गया। मुझसे कहा गया कि बकाया दो। मैंने पूछा कौन सा बकाया? खैर बाद को कहने-सुनने के बाद उसको कैन्सिल कराया गया।

इसी तरह की एक दूसरी मिसाल भी है। एक व्यक्ति ने १० गुना दे दिया। कागज मुहाफिज खाने में पहुंच गया। बकाया सीरदारी इकट्ठा होती रही। बाद को अमीन कहता है बकाया दो। जब वह पूछता है कि कौन सी बकाया और नहीं देता तो उससे तहसील में चलने को कहा जाता है। जब वह तहसील जाता है तो वहां पर उससे कहा जाता है कि वह अपने खर्चे से दुरुस्ती कराये। वह बेचारा किसान क्या दुरुस्ती कराये अपने पैसे से। तो मैं यह समझता हूं कि करेक्शन आफ रिकार्ड्स के केसेज बहुत अधिक हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार वगैरह को यह हुक्म होना चाहिये कि वे उस करप्शन को रोकें। तहसील मुरादाबाद के अन्दर १६ हजार केसेज ऐसे पड़े हैं जिनमें फैसला नहीं हुआ है। मंत्री जी मुरादाबाद जाकर अलमारी में अगर देखेंगे तो उनको १६ हजार केसेज ऐसे मिलेंगे। वे अभी तक तय नहीं हुये हैं। लोगों के बयान हो गये हैं मगर फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जब कागजों के अन्दर इतनी गलतियां होंगी तो फिर किसानों का क्या भला होगा।

दूसरा ढंग कलेक्शन का है। जो अमीन कलेक्शन के लिये जाते हैं उनके साथ दो चपरासी जाते हैं। पहले जब जमीदार को किसान लगान न देता था तो वह किसान को ६ महीने की छूट दे देता था या २ पैसे रुपये के हिसाब से सूद ले लेता था। लेकिन अब जब अमीन जाता है और यह दोनों चपरासी जाते हैं तो उसी वक्त उससे लगान मांगते हैं और अगर वह नहीं देता तो उससे कहा जाता है कि तुम हमारे साथ तहसील चलो। वह तहसील जाता है और वहां पर तहसीलदार द्वारा उसका वारन्ट काट दिया जाता है .....

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे कई बार प्रयत्न करने के बाद बोलने का अवसर दिया और खास तौर से ऐसी मांग पर जिसमें विशेष महत्व की बात नहीं थी।

मेरी समझ में नहीं आता कि इस मांग के संबंध में कोई बहस हो। इसमें कोई बहस की बात ही नहीं थी। इसमें तो केवल पालिसी के संबंध में ही हमको बहस करनी थी। लेकिन मैं कुछ ऐसी परम्परा देख रहा हूं कि हमारे मित्र जो कि हम लोगों के साथ इस आजादी की लड़ाई में साथ-साथ रहे थे, आज यहां आकर अपनी दूसरी नीति बदले हुये हैं क्योंकि वे दूसरी बेन्च पर बैठे हुये हैं। इस कारण हमारी जो सही बात भी होती है उसका वे विरोध करने लगते

हैं क्योंकि उन्होंने अलग रंग का चश्मा लगा रखा है और वे उसी चश्मे से देखते हैं और अपनी दृष्टि से टीका-टिप्पणी करते हैं। हमारे एक दोस्त ने तो बहुत जोर और जोश के साथ बोलना शुरू किया मगर किसने कहा कि लगान बढ़ना चाहिये ? उन्होंने बड़े जोरों के साथ बोलना शुरू किया, हाल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उनको न सुना हो। लेकिन जोर से या धीरे बोलने से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

आजादी की लड़ाई में हमारे मित्रों ने यह वायदा किया था कि लगान आधा करेंगे। उस लड़ाई में या उस लड़ाई के पहले से सन् १९२१, १९२२ से मैं भी उनके साथ रहा हूं। उस लड़ाई के दौरान में जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़नी थी बहुत तरह की बातें आईं, समय-समय पर नीति के अनुसार हम लोगों को बहुत सी बातें करनी पड़ीं। आज उसकी दुहाई इस सदन में देने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा मुल्क आजाद हो चुका है। इस सदन में कई बार यह याद दिलाया गया कि हमारे जो विरोधी पक्ष के भाई हैं वह हमें ठीक सुझाव दें क्योंकि हमारा और उनका कर्त्तव्य एक सा ही है। जैसा देश हमारा है वैसा ही आपका भी है, मैं नहीं समझता कि हमसे आप कम देशभक्त हैं या आपकी जिम्मेदारी कम है। हम चाहते हैं कि आपके ठोस सुझाव आयें। हमारे मित्र ने बड़े अच्छे ढंग से, सिद्धान्त के रूप में कहा कि जब हम मालिक हैं तो हमको लगान नहीं देना चाहिये, बात सुनने में अच्छी मालूम होती है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है। जो घर का मालिक होता है उनको अपना अस्तित्व, प्रतिष्ठा और प्रबन्ध के लिये बहुत सी चीजों का बलिदान करना पड़ता है जिसको वह शायद दूसरी अवस्था में न कर सकता। आज जो मांगे हमारे सामने हैं उसमें एक मद तो ऐसी है इस्टेब्लिशमेन्ट की जो कि शायद इस साल के बाद ही समाप्त हो जायगी। दूसरे जो लगान एकत्रित करने की मद है उसके लिये खर्चा देना है। मालगुजारी वसूल करने का व्यय हमको और आपको अदा करना है।

दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में हमारे मित्रों ने टीका-टिप्पणी की। ये इन्नोसेन्ट चीजें हैं जिनके संबंध में कोई मतभेद नहीं होना चाहिये .....

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, कुछ समय मुझे और देने की कृपा करें, मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं पांच मिनट तक समय बढ़ाये देता हूं, आप पांच बजकर ४ मिनट पर समाप्त कर दीजियेगा।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—वास्तव में हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उनको हल करने के लिये हमको और आपको जुटकर काम करना है। इस मद का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। वाकई अगर कोई ठोस चीज होती तो उसे मान लेने में कोई हर्ज नहीं था। अध्यक्ष महोदय, हम किसान हैं और हम जानते हैं कि देहात की कठिनाइयां क्या हैं? टीका-टिप्पणी तो बहुत हुई, लेकिन किसी ने सुझाव नहीं दिया। मैं उस समय समझता कि आप-देहात के रहने वाले हैं जब आप यह कहे होते कि हमारी फसल की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम जब लगान देते हैं तो साथ ही क्लेम कर सकते हैं कि हमारी फसल नष्ट हो रही है उसकी रक्षा की व्यवस्था हो। इस व्यवस्था के लिये आपने कहा होता तो मैं भी आपका साथ देता। जरूर ही हम लोगों की फसल का एक तिहाई भाग नष्ट हो जाता है। बात यह है कि फसलों की रक्षा में हम सब को मिल कर काम करना है। एक के करने से यह काम होने वाला नहीं है।

साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी जमीन का हिसाब ठीक है। हमारी एक इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जिसका रिकार्ड न हो और उसकी हमें मालगुजारी देनी पड़ती है। लेकिन अन्य प्रकार के लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं है और सही सही आंकड़े उनकी

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

आमदनी के हमको मिलते नहीं है। इसलिये जब कि किसान अपने पूरे के पूरे डयूज दे देता है, दूसरे लोगों से पूरे टैक्स प्राप्त नहीं हो पाते। उसके लिये हम चाहेंगे कि आज हमारे मित्र, चाहे वे अपोजीशन के हों या इस तरफ के हों, यह बतायें कि ऐसी चीज कहां है और किसने इस प्रकार की आमदनी को छिपा रखा है। उसको बाहर लाने की कोशिश करें, यह हमारी और आपकी ड्यूटी है।

पेड़ों की रक्षा के लिये जो जमीन जोती गयी थी, अभी तक उस पर कोई लगान नहीं था, अब उस पर लगान लगाया गया है। उन पर वाकई लगान नहीं लगना चाहिये।

इसके साथ ही जैसा कि हमारे मित्र ने अभी बताया कि पटवारी को कोई अख्तियार नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं मानता। मैं जानता हूं कि अगर वह कैफियत के खाने में कब्जा एक दो साल लिखता जाय तो वह मेरी समूल जोत को नष्ट कर सकता है और इसके संबंध में वह सभापति आदि किसी को भी नहीं बताता है। हमको तो आपकी जो बात ठीक हो उसको कबूल करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप हमारी ठीक बात को भी कबूल नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके मुझे एड्रेस करें।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—मैं चाहता हूं कि दाखिल खारिज का जो अधिकार जिनको दिया गया है उससे बहुत परेशानी बढ़ गई है। वह पटवारी को न दिया जाय। इसके बारे में ऐसी व्यवस्था होनी अवश्य चाहिये जिससे दाखिल खारिज की काश्तकार की परेशानी सदा के लिये दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त।

मैं माननीय नेता विरोधी दल को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ५—बिक्रीकर, अनुदान संख्या ७—स्टाम्प, अनुदान—संख्या ८—निबंधन (रजिस्ट्रेशन), अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते अर्थात् सुपर एन्युएशन एलाउन्सेज तथा निवृत्ति वेतन (पेंशने), अनुदान संख्या ५४—निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि (कम्युटेड वेल्यू आफ पेंशन्स), अनुदान संख्या ५६—व्याज वाले ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ६—अन्य कर और शुल्क, इन अनुदानों के संबंध में मुझे यह सूचना मिली है कि इन मदों पर कोई विवाद नहीं होगा। आज जिन मदों पर विवाद चल रहा है उन पर कल जारी रहेगा। अब ये जो मदें हैं, जो मैंने अभी बतायीं उनके संबंध में कोई बहस या तर्क नहीं होगा। तो उसके संबंध में जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं वह कल एजेन्डे में नहीं छवेंगे, यह मैं आपकी सूचना के लिये बता रहा हूं।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ अप्रैल, १९६२

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न ७

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४३९ पर)

प्रश्न संख्या ७ से संबंधित तालिका

राजकीय रोडवेज (क्षेत्रीय वर्कशाप गोरखपुर) में डेली वेज पर इस समय काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या व श्रेणियां—

क्रम संख्या	श्रेणी	संख्या
१	कारपेन्टर	७
२	टिन स्मिथ	३
३	ब्लैक स्मिथ	१
४	पेन्टर	१
५	वेल्डर	१
६	अपहोल्स्टर	१
७	फिटर	१
८	हेल्पर	८
९	क्लीनर	४
	योग ..	२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—७२ एल० ए०—१९६२—८४५ ।